Tuesday, 04 March, 1975

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र
Thirteenth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On 1-9-92
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 49 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

12 LSS/75—1

विषय सूची/CONTENES

अंक 12, मंगलवार, 4 मार्च, 1975/13 फाल्गुन 1896 (शक)

No. 12, Tuesday, March 4, 1975/Phalguna 13, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 203 से 206	Starred Question Nos. 203 to 206	1-26
लेडी और सर रॉनल्ड मिशनर का स्वागत	Welcome to Lady and Sir Ronald Michner	6
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	Short notice question No. 1. . .	14
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
तारांकित प्रश्न संख्या 201, 202, 207, 208 और 210 से 220	Starred Question Nos. 201, 202, 207, 208 and 210 to 220 . . .	26-36
अतारांकित प्रश्न संख्या 1991 से 1996, 1998 से 2004, 2006 से 2100, 2102 से 2104, 2106 से 2175, और 2177 से 2190	Unstarred Question Nos. 1991 to 1996, 1998 to 2004, 2006 to 2100, 2102 to 2104, 2106 to 2175 and 2177 to 2190	37-137
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Question of Privilege .	137-140
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . . .	140
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . .	141
वायुसेना और थलसेना विधियां (संशोधन) विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Air Force and Army Laws (Amendment) Bill as passed by Rajya Sabha .	141
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to matters of urgent public importance . . .	141-144
अपराध मूलक और अश्लील उत्तेजक फिल्मों को चोरी छिपे देश में लाये जाने का समाचार	Reported smuggling of crime and obscene thriller films into the country.	141

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan .	142
श्री आई० के० गुजराल	Shri I.K. Gujral	142
जम्मू और काश्मीर राज्य के बारे में दिये गये वक्तव्य सम्बन्धी प्रस्ताव	Motion Re. Statement in relation to the State of Jammu and Kashmir .	144-158
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate	144
श्री इन्द्र जे० मलहोत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	146
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra . .	147
श्री सन्त बक्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	148
श्री एस० ए० शमीम	Shri S.A. Shamim .	149
श्री कुशोक बाकुला	Shri Kushok Bakula . . .	150
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्	Shri S.D. Somasundaram .	150
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait .	151
श्री एस० ए० कादर	Shri S.A. Kadar	151
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	152
श्री रण बहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh.	153
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi . .	154
स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्यसभा द्वारा पारित किये गये रूप में	Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill. Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . .	158-162
श्री के० रघुरमैया	Shri K. Raghu Ramaiah .	158
श्री नुरूल हुडा	Shri Noorul Huda . . .	159
श्री मुहम्मद जमीलुर्रमान	Shri Md. Jamilurrahman. .	159
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R.R. Sharma . .	159
श्री अमरनाथ विद्यालंकार	Shri Amarnath Vidyalankar . .	160
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	160
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga .	161
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	161
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	162

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 4 मार्च, 1975/13 फाल्गुन, 1896(शक)

Tuesday, March 4, 1975/ Phalguna 13, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम के अन्तर्गत मामले सौंपे जाने के मानदंड

*203 **श्री बी० वी० नायक :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग को मामले सौंपे जाने के लिये क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार के किसी दस्तावेज में इसकी परिभाषा नीति निर्णय या संकल्प के रूप में की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले को अस्पष्ट रखने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) विधान, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत आयोग को मामले संदर्भित करने के लिये किसी मानदंड के निर्धारण को प्रारूपित नहीं करता है, किन्तु कथित अधिनियम की धारा 28 स्पष्ट रूप से बहुत से विचारों का निर्धारण करती है, जो केन्द्रीय सरकार और आयोग के मन में जैसा भी मामला हो, और जब वे अध्याय 3 के अन्तर्गत आवेदन पत्रों को व्यौहारित करते हैं, उत्पन्न होना चाहिये।

केन्द्रीय सरकार के निर्णय लेने से पूर्व कि क्या अध्याय 3 के अन्तर्गत आवेदन पत्र आयोग को सन्दर्भित किये जायें या नहीं किये जायें यह धारा 28 में उल्लिखित और 28 नवम्बर, 1972 को सदन के पटल पर प्रस्तुत एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्यकरण एवं प्रशासन की प्रथम रिपोर्ट के अध्याय 1 उप-पैरा (ख) (II) (पृष्ठ 1-4) में दिये गये 14 सूत्रों, तथा जो 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के 25-26 पृष्ठों में दोहराया गया है, के सम्पूर्ण मानदंड पर विचार करना है। उन मामलों, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय है कि उसके पास उपलब्ध सामग्री/ब्यौरा के आधार पर अध्याय 3 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पर पब्लिक जांच द्वारा आगे सूचना निकाले जाने के बगैर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, को आगे जांच एवं रिपोर्ट देने के लिये आयोग को संदर्भित किया जाता है।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

श्री बी० वी० नायक : मैं चाहता था कि मंत्रालय अपना उत्तर चतुराई से न देकर सच्चाई से देता क्योंकि जहां उत्तर में कहा गया है कि विधान के अधीन कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया जा सकता, वहां प्रशासनिक प्रतिवेदन, 1973 में यह कहा गया है:--

> "वास्तव में सरकारी नीति यही है कि धारा 38 में उल्लिखित मानदण्डों का ध्यान रखते हुये प्रत्येक आवेदन पर अध्याय तीन के अधीन उसके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है।"

अतः इन दोनों स्थितियों में विरोधाभास है। अपने उत्तर में उन्होंने कहा है कि यदि सरकार की राय के अनुसार अध्याय तीन के अधीन आवेदनों पर सरकारी जांच द्वारा और जानकारी प्राप्त किये बिना उपलब्ध जानकारी आंकड़ों आदि के आधार पर कोई आदेश न दिया जा सकता हो, तो उन्हें आगे जांच और उस पर प्रतिवेदन देने हेतु आयोग को सौंप दिया जाता है।

मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे मामले कौन से हैं?

श्री वेदव्रत बरूआ : एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियायें अधिनियम के अधीन केवल बड़े व्यापार गृहों के आवेदन ही आते हैं। ऐसा होने पर सभी सम्बद्ध प्रशासनिक मंत्रालय संयुक्त समिति की बैठक में उन आवेदनों पर विचार करते हैं और की गई मांगों सम्बन्धी जानकारी पर विचार किया जाता है जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध की जाती है, और इसके आधार पर यदि आवेदन को अस्वीकार करना अपेक्षित होता है तो ऐसा ही किया जाता है। यदि स्पष्ट रूप से वह स्वीकार्य हो तो उसी समय स्वीकृति दे दी जाती है। परन्तु यदि निर्धारित मानदण्ड के आधार पर आयोग द्वारा उनकी जांच आवश्यक होती है, जैसे "लघु उद्योग क्षेत्र या गैर-एकाधिकारवादी उद्योग द्वारा उठाई गई आपत्ति, और यदि यह आपत्ति संगत प्रतीत होती है तो उसको आयोग द्वारा जांच के लिये भेज दिया जाता है।

श्री बी० बी० नायक : मंत्री महोदय के अनुसार एक मानदंड जनसाधारण द्वारा आपत्ति उठाये जाने का सिद्धान्त है। जनता में यह धारणा है कि यदि प्रत्येक मामले में सरकार ही फैसला करने लगेगी तो काफी भ्रान्ति हो सकती है। तो क्या उक्त आयोग को भेजे जाने वाले मामलों के प्रकार के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित करना अधिक उचित नहीं होगा?

श्री वेदव्रत बरूआ : स्वयं इस आयोग ने कहा है कि ऐसे कोई सिद्धान्त होने चाहिये। वास्तव में सरकार की कठिनाई यह है कि किसी आवेदन पर विचार करते समय उसके अनेक पहलुओं पर विचार

करना होता है। उस आवेदन की विशेषता विस्तारपूर्वक विचार का विषय बन जाता है, परन्तु यदि वह आवेदन साधारणतया ऐसा हो जिस पर आयोग विचार कर चुका है और उसने रखी गई सभी मांगों पर भी विचार कर लिया हो तो उसे आयोग को नहीं भेजा जाता क्योंकि वह पहले ही वैसे आवेदन पर स्वीकृति दे चुका होता है। उदाहरणार्थ, अनेक मामलों में कहा जाता है कि मांग आश्चर्यजनक रूप से अधिक है और आवेदन-पत्र को रोके रखना आवश्यक नहीं है। उस स्थिति में वैसी ही वस्तु के उत्पादन के लिये आने वाले बाद के आवेदन पर हमारा दृष्टिकोण यह होता है कि यदि मांग काफी अधिक हो और देश में उतना उत्पादन संम्भव न हो तो आयोग की पहली सिफारिश के आधार पर बाद के आवेदन को आयोग को भेजे बिना स्वीकृति दे दी जाये। अतः मैं बताना चाहूंगा कि किन्हीं सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कारण नहीं अपितु ऐसे विशेष मामले की विशेषता के कारण ही उसे आयोग के पास नहीं भेजा जाता और यह उपबन्ध स्वयं अधिनियम में विद्यमान है।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर और प्रश्न दोनों संक्षिप्त होने चाहिये।

श्री मोहन राज कलिंगरायर : क्या सरकार को इस आयोग के चैयरमैन से आयोग के बेबस होने सम्बन्धी विचारों की जानकारी है जो उन्होंने खुले आम व्यक्त किये हैं और क्या इस अधिनियम में संशोधन करने के बारे में उनसे सलाह ली गई है?

श्री वेदव्रत बरुआ : जी हां, उनसे सलाह ली गई थी और अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं जो विचाराधीन हैं।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोग को कितने मामले सौंपे गये हैं, उन पर क्या कार्यवाही अब तक की गई है और क्या इस अधिनियम के अधीन किसी बड़े एकाधिकारी गृह को दण्ड दिया गया है?

श्री वेदव्रत बरुआ : अध्याय 3 लाइसेंस देने के सम्बन्ध में हैं अतः दण्ड का प्रश्न ही नहीं हैं। लाइसेंस या तो दे दिया जाता है या अस्वीकृत कर दिया जाता है। मेरे पास आकड़े नहीं है। आयोग को 50 मामले भेजे गये और मोटे तौर पर 10 प्रतिशत मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है। अन्य उपबन्धों के बारे में होता यह है कि आवेदनों पर विचार करते समय उन्हें बिल्कुल अस्वीकृत न करके कुछ शर्तें लगा दी जाती हैं जैसे प्रमुख शेयरधारियों के शेयर घटाना और अन्य अपेक्षायें जहां तक लाइसेंस देने का सम्बन्ध है यह बात नहीं कि कोई दण्ड दिया जाता है। दण्ड सम्बन्धी अन्य अध्याय हैं जैसे अध्याय चार और छः जहां निर्बन्धनकारी एकाधिकारवादी प्रक्रियाओं का प्रश्न उत्पन्न होता है।

श्री जगन्नाथ राव : लगता है कि यह आयोग आरम्भ से ही एक निर्बल सा निकाय है। आयोग न तो निर्बन्धनकारी व्यापार और न ही एकाधिकारवादी कदाचारों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही कर सकता है। अतः क्या सरकार मंत्रालय के आदेश या अनुरोध के बिना आयोग को स्वतः ही इन मामलों पर कार्यवाही करने का अधिकार देने पर विचार कर रही है? मैंने यही प्रश्न गत वर्ष भी उठाया था।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : सदस्य महोदय की सभी बातें ठीक नहीं हैं। धारा 21, 22, और 23 के अधीन प्रस्तावों पर स्वीकृति के मामलों में तो आयोग की भूमिका सलाह देने की है परन्तु यह कहना कि निर्बन्धनकारी व्यापार प्रक्रियाओं सम्बन्धी शिकायतों पर कार्यवाही करने का आयोग को अधिकार नहीं है, सही नहीं है। इन मामलों में आयोग शिकायतों पर कार्यवाही करता है।

श्री नरुल हुडा : जबकि सरकार ने नीति निर्णय किया है कि एकाधिकारवादी गृहों पर नियंत्रण रखा जायेगा, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री का यह कहना कहां तक संगत है कि राज्य में ऐसे गृहों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता और यदि ऐसा किया गया तो राज्य की प्रगति में व्यवधान आ जायेगा? क्या यह सरकार की मूल नीति के अनुकूल हैं?

श्री एच० आर० गोखले : मुझे मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की जानकारी नहीं हैं, परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है उसका सर्वमान्य नीतियों से विमुख होने का कोई आशय नहीं है और वह उस अधिनियम के सभी उपबन्धों का पूरा-पूरा पालन करायेगी।

श्री नुरुल हुडा : यह तो सभी समाचारपत्रों में छपा है।

श्री पी० आर० शिनाय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनेक एकाधिकारवादी गृहों ने अपने आवेदन उन्हें इस आयोग को भेजे जाने पर वापस ले लिये थे और वे पुनः सरकार को लाइसेंसों के लिये भेजे गये हैं और उन्हें लाइसेंस दे दिये गये हैं? यदि हां, तो ये लाइसेंस उन्हें किस कसौटी पर दिये गये हैं?

श्री वेदव्रत बरुआ : कम्पनियों को आवेदन वापस लेने की छूट है। उस मामले में हम ने स्पष्ट कह दिया था कि एकाधिकार सम्बन्धी स्वीकृति के लिये तो उन्हें आयोग की अनुमति प्राप्त करनी ही होगी, अन्यथा लाइसेंस की अनुमति नहीं दी जा सकती। कुछ मास पूर्व एक कम्पनी विशेष को यह बात स्पष्ट कर दी गई थी।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है कि इस अधिनियम के लागू होने पर भी और सरकार को एकाधिकार पर अंकुश के दावे के बावजूद, गत तीन वर्षों में एकाधिकार में 10 प्रतिशत या इससे भी अधिक वृद्धि हुई है?

श्री वेदव्रत बरुआ : एकाधिकार सहित सभी प्रकार के उद्योगों में वृद्धि हुई है, परन्तु यह अधिनियम एकाधिकारी गृहों का उत्पादन और विस्तार रोकने के लिये नहीं है। उसके लिये हमारे पास कम्पनी अधिनियम के अन्य उपबन्ध हैं, यदि हम किसी स्थापित कम्पनी को अपने अधिकार में लेना चाहें, परन्तु जहां तक विस्तार का सम्बन्ध हैं, इन मामलों पर बहुत सतर्कता बरती जाती हैं, और, जब उत्पादन के हित में आवश्यक होता हैं, एकाधिकारी गृहों तक को विस्तार की अनुमति दे दी जाती है।

नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिये तकनीकी योग्यता जुटाया जाना

*204. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तिमाही के दौरान देश में नये तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिये समस्त वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय योग्यता जुटाई हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई सफलता प्राप्त हुई है?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) जी हां। देश के अन्तर्गत उपलब्ध तथा जहां कहीं आवश्यक हो विदेश से समस्त अपेक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी योग्यताओं को हाइड्रोकार्बन की खोज करने के लिये लगा लिया गया है। उनके अन्वेषण कार्यों के परिणामस्वरूप, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लि० ने 182 मिलियन मीटरी टन के अधिक

के तेल भण्डार तथा 80,000 मी० टन घन मीटर से अधिक गैस की खोज की। 1974-75 के दौरान तेल के उत्पादन का अनुमान लगभग 7.5 मिलियन मी० टन हुआ है तथा 1978–79 तक लगभग 12 मिलियन मी० टन तक बढ़ाने का अनुमान है।

Shri Anadi Charan Das : From the reply it appears that the engineers of Oil India and ONGC have discovered about 18.2 million tonnes of oil whereas our country at present needs about 22 million tonnes. The production this year is estimated at 7.5 million tonnes and we have to pay many thousand crores of rupees to oil producing countries to meet our demands. I want to know why efforts are not being made to augment production so as to meet the demand ?

Shri K. D. Malaviya : We also share the hon. Member's anxiety. It is our desire to see that oil production increases as early as possible. It is increasing and we except it to increase further very soon.

Shri Anadi Charan Das : I want to know the steps taken and amount provided therefor ?

Shri K. D. Malaviya : Efforts are afoot. According to our Scheme, the O.N.G.C. proposes to spend 255 crore rupees in 1975-76, which has been sanctioned. It is a sizeable amount for one year and I hope very satisfactory results would be manifest by the year end.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं जानना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल और बंगाल की खाड़ी में तेल के कुल निक्षेपों की मात्रा कितनी है? हाल में मंत्रालय बर्दवान जिले में बोल्सी नामक स्थान पर तेल की खोज करता रहा है। वहां क्या संभावनायें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों का सम्बन्ध हैं, तेल नहीं मिला है यद्यपि लगभग 12 वर्ष पूर्व सरकार ने स्टेंडर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी के साथ खोज के प्रयास किये थे, जो त्याग दिये गये थे। हमने अब पुनः जोरदार ढंग से खोज आरम्भ की। तटीय क्षेत्रों का अध्ययन जारी है और कुछेक मास या एक वर्ष में इन खोजों के परिणाम सामने आ जायेंगे। जहां तक तट-दूर क्षेत्रों का सम्बन्ध है, खोज का प्रबन्ध एक विदेशी कम्पनी के साथ किया गया है। वह भूमिगत खोज कर रहे हैं। विस्तृत परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होंगे और अब तक प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा तट-दूर क्षेत्रों में तेल और गैस मिलने की संभावनायें कुछ हद तक काफी अधिक हैं।

Dr. Kailas : May I know whether the profit being earned by O.N.G.C. to the tune of crores of rupees will also be deployed in oil-exploration operations to step up oil production ?

Shri K. D. Malaviya : O.N.G.C. has been allotted 75 crore Rupees in the Budget, it is therefore clear that the remaining amount is spent out of its own resources i.e. out of its own profits from oil distribution, production etc.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know the names of places where oil could not be found on exploration and therefore further attempts were given up and the number of places where well would be dug in future as also the amount spent so far and proposed to be spent for this purpose ?

Shri K. D. Malaviya : It does not come out of the main question.

श्री पी० वेंकटासुवैया : मंत्री महोदय ने वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करके प्रयोग में लाने का उल्लेख किया है। तो क्या तेल की खोज में भारतीय ज्ञान ही काफी है अथवा हम विदेशों से तकनीकी सलाह और ज्ञान आयात करने पर विदेशी मुद्रा भी व्यय कर रहे हैं? यदि हां, तो कितनी?

श्री के० डी० मालवीय : मैं बता चुका हूं कि जब भी आवश्यक होता है हम इसका आयात करते हैं। वास्तव में तट दूर खोज में तो हम इसी पर आश्रित हैं।

श्री पी० वेंकटासुवया : कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है?

श्री के० डी० मालवीय : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

Shri Panna Lal Barupal : Sir, I want to know the results of the oil exploration work so far, being under taken in Jaisalwer, Rajasthan.

Shri K. D. Malaviya : Perhaps the exploration work around Jaisalwer has been the most intensive as compared to the efforts made so far in on-shore areas in the entire country. Many wells were sunk and efforts are afoot there even today. Some gas has been found but it is not of good quality. We shall continue our efforts and it is hoped that more gas and oil will be available.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गत वर्ष त्रिपुरा में तेल क्षेत्रों में तेल की खोज का काम वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के अभाव में अधिक प्रगति नहीं कर पाया है? दूसरे, क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश, बंगाल की खाड़ी और त्रिपुरा में तेल की खोज का काम वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के अभाव के कारण ही रुका पड़ा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक तकनीकी ज्ञान और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का सम्बन्ध है, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि उनमें यह प्रतिभा नहीं है। हमारे वैज्ञानिक पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उपलब्धता की दृष्टि से भी हम उनके लिये व्यवस्था करने की स्थिति में हैं। परन्तु यह सच है कि जहां तक त्रिपुरा में तेल और गैस क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम उतने सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे जितना करना चाहिये था परन्तु इसका कारण छिद्रण उपकरणों का अभाव है। हम उन्हें बाहर से मंगाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमने वहां कुएं खोदने का एक कार्यक्रम निश्चित किया है। जब हमें छिद्रण उपक्रम उपलब्ध हो जायेंगे तब हम वहां कुएं खोदने की स्थिति में हो जायेंगे।

लेडी और सर रानल्ड मिशनर का स्वागत

WELCOME TO LADY AND SIR RONALD MICHNER

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों में लेडी और सर रानल्ड मिशनर का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वह काफी वर्षों तक कनाडा की संसद के अध्यक्ष और भारत में उच्चायुक्त रहे हैं और हाल ही में कनाडा के गवर्नर जनरल रह चुके हैं। उनका हमारे देश में गहरा स्वागत है। वह हमारे लिये अजनबी नहीं हैं। हम उनके हमारे देश में सुखद प्रवास की कामना करते हैं।

डा० एच० पी० शर्मा : क्योंकि राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र की भूमि वैज्ञानिक स्थिति पाकिस्तान में सुई गैस निक्षेपों वाले क्षेत्र जैसी ही बताई गई है और क्योंकि पाकिस्तान वहां सफलतापूर्वक गैस निकालता है अतः मैं जानना चाहता हूं कि हमें क्या कठिनाई अनुभव हो रही है ? मैंने समाचारपत्रों में लगातार यह समाचार देखे हैं कि उक्त क्षेत्र में खुदाई कार्य आधे मन से किया जा रहा है और इस कार्य की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट वक्तव्य चाहता हूं।

श्री के० डी० मालवीय: हम जैसलमेर में हाइड्रोकार्बन की खोज का यह कार्यक्रम पूरे मन से और लगन से कर रहे हैं। हमारे विचार में पाकिस्तान स्थित सुई गैस निक्षेपों वाले क्षेत्र कुछ हद तक हमारे देश की तुलना में अधिक ऊंचे भू-स्तर पर हैं और उसी किस्म की गैस हमारे क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। हमारे यहां जो गैस निकलती है उसमें 25 से 30 प्रतिशत तक नाइट्रोजन पाई जाती है जो ईंधन गैस के रूप में अधिक लाभदायक नहीं है। अब हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं कि गैस की इस मात्रा और किस्म को कैसे काम में लाया जाये। इस बीच उस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज जारी है और मैं अभी इस सम्बन्ध में निराश नहीं हुआ हूं।

श्री मोहन राज कलिंगरायर: हम काफी समय से तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा में तेल की खोज सम्बन्धी सरकारी योजनाओं की बात सुनते आ रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं? कुछ समय पहले छपे समाचारों के बाद हमें इस सम्बन्ध में कोई समाचार सुनाई नहीं दिया।

श्री के० डी० मालवीय: कभी कभी तो हमें गैस या तेल का पता लगाने में, बीसियों वर्ष लग जाते हैं। कावेरी में हम दस साल तक खोज करते रहे जिसके परिणामस्वरूप हमें कुछ बहुमूल्य जानकारी मिली है जिससे पता चलता है कि खुले समुद्र में हाइड्रोकार्बन की तहें विद्यमान हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में अपने कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ायें जायें।

श्री राजा कुलकर्णी: देश से बाहर विशेषकर [दक्षिण-पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के देशों में विदेशी कम्पनियों द्वारा अनेक तकनीकी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक तेल खोज के कार्य में लगे हुये हैं। क्या सरकार ने इन भारतीय तेल वैज्ञानिकों से सम्पर्क स्थापित किया है और उन्हें देश में तेल की खोज तथा अन्य ऐसे कार्यों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, हम उन्हें भारत लाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री वैकारिया: क्या गुजरात के समाचार-पत्रों में छपे समाचार के अनुसार पोरबन्दर के निकट समुद्र तट पर तेल के निक्षेप के कुछ लक्षण दिखाई दिये थे? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस क्षेत्र में कोई खोज की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां, हाइड्रोकार्बन की खोज पोरबन्दर और कच्छ क्षेत्र में जारी है।

रेल कर्मचारियों की शेष मांगों पर विचार

*205. **श्री मधु दंडवते:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल कर्मचारियों की उन मांगों के बारे में, जिनके कारण राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई थी, विचार किस अवस्था में हैं;

(ख) स्वीकृत की गई मांगों सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार शेष मांगों पर विचार करने हेतु नये सिरे से बातचीत आरम्भ करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अप्रैल, 1974 में मजदूर प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान निम्नलिखित मदों पर सहमति व्यक्त की गई थी:—

(1) मियांभाई के अधिनिर्णय को पूर्णतः लागू करना।

(2) तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संवर्ग समीक्षा और ग्रेड को ऊंचा करना।

(3) वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्य का मूल्यांकन।

(4) तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फलस्वरूप उत्पन्न असंगतियों को दूर करना।

(5) नैमित्तिक मजदूरों के नियोजन के सम्बन्ध में कुछ नीतियां।

(6) 300 से अधिक परिवारों वाली रेल बस्तियों में उचित मूल्य की दुकानें खोलना।

अन्य दो मुद्दों पर सरकार सहमत न हो सकी और वे हैं रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान 'तथा' कतिपय अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ वेतन की समानता । इसलिये इन मुद्दों पर कोई नई बातचीत करने का प्रश्न नहीं उठता।

2. **जिन मदों पर सहमति हो गयी है उनके संबन्ध में वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:—**

(1) **मियांभाई का अधिनिर्णय**

इसे लागू किया जा रहा है।

(2) **तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के संवर्ग की समीक्षा और ग्रेड को ऊंचा करना**

एक व्यापक योजना बनाई गई है और इसे यथा आवश्यक अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(3) ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज, हैदराबाद के परामर्शदाताओं द्वारा दी गई प्रारम्भिक अध्ययन रिपोर्ट विचाराधीन है।

(4) तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के फलस्वरूप उत्पन्न असंगतियों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गई है और इस समिति की कुछ बैठकें हो भी चुकी हैं।

(5) इन नीतियों को लागू करने के लिये रेलों को आवश्यक अनुदेश जारी किये गये हैं।

(6) विभिन्न रेलों पर उचित मूल्य की 84 अतिरिक्त दुकानें खोली गई हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं जानना चाहता था कि छोड़ी गई मांगों का क्या हुआ? अधिक अच्छा होता यदि मंत्रि महोदय ने मांग पत्र पढ़कर सुनाया होता और यह भी बताया होता कि इनमें से किन मांगों पर विचार नहीं किया गया है । आपकी अनुमति से और बेहतर उत्तर पाने की आशा से मैं मांग पत्र में उल्लिखित उन मांगों का उल्लेख करूंगा और यह विशेष रूप से जानना चाहूंगा कि उनमें से किन मांगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया है :

"1. (क) सभी रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मचारी माना जाये और उन्हें समझौते के अधिकार सहित कार्मिक संघ के अधिकार दिये जायें।

(ख) रेल कर्मचारियों के कार्य के घंटे आठ घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होने चाहियें।

(ग) सभी रेल कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन एक वैज्ञानिक प्रणाली द्वारा कराया जाये जो पुनः वर्गीकरण के बाद हो और न्यूनतम वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिये आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन निश्चित करने के बाद किया जाये।

(घ) कार्य के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्वर्गीकरण होने तक केन्द्रीय उपक्रमों जैसे एच० एम० टी०, बी० एच० ई० एल०, एच० एस० एल०, एच० ए० एल० आदि के कर्मचारियों के समान उन्हें तुरन्त वेतन दिये जायें।

2. जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध मंहगाई भत्ता और प्रत्येक छमाही में चार अंकों की प्रत्येक वृद्धि के अनुसार पूरे भत्ते की अदायगी।

3. वर्ष 1971 और 1972-73 के लिये एक मास के वेतन की दर से बोनस दिया जाना।

4. सभी नैमित्तिक रेल कर्मचारियों को नियमित करना और भूतलक्षी प्रभाव से उन्हें सभी लाभ देकर सेवा में स्थाई बनाना।

5. विभागीय आधार पर चलाई जा रही दुकानों से अनाज और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की रियायती दर पर उचित बिक्री।

6. सभी उत्पीड़न मामलों को वापस लिया जाये।"

आपकी अनुमति से मैंने यह मांगें पढ़ कर सुनाई हैं। और अब मैं जानना चाहूंगा कि इन मांगों में से कौन-कौन सी मान ली गई हैं और शेष मांगों का क्या होगा? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन मांगों पर चर्चा का क्या तरीका अपनाया जायेगा।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने सभी मांगें यहां पर पढ़कर सुना दी हैं जिनसे स्पष्ट है कि इन में उचित मांगों के साथ साथ अनुचित मांगें भी हैं। यह भी स्पष्ट है कि आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन द्वारा पेश की गई यह मांगें कुछ उचित हैं कुछ अनुचित। उचित मांगें सरकार द्वारा मान ली गई हैं। अनुचित मांगों के बारे में न तो उक्त फेडरेशन का रवैया न बदला न सरकार की नीति।

प्रो० मधु दंडवते : दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं उनसे यह जानना यह चाहता हूं कि स्वीकार कर ली गई उचित मांगें कौन सी हैं और स्वीकार न की गई अनुचित मांगें कौन सी हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : हमने वह मांग स्वीकार नहीं की है जिसमें रेल कर्मचारियों की परिलब्धियों में सीधे 75 प्रतिशत वृद्धि की मांग की गई है और यह भी कि उन्हें सरकारी क्षेत्र की परियोजना के कर्मचारियों जैसा माना जाये। दूसरे उन्होंने वर्ष 1971–72 तथा 1972–73 के लिए एक महीने के वेतन की दर से बोनस की मांग की है किन्तु सरकार ने यह मांग स्वीकार नहीं की। यदि हमने ए० आई० आर० एफ० की सभी मांगों को स्वीकार कर लिया होता तो रेलवे पर 450 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ता। हमने मियांभाई पंचाट के कार्यान्वियन को स्वीकार कर लिया है। इसका संबंध रेलवे में कार्य के घंटों से है। इसके कार्यान्वियन के फलस्वरूप रेलवे पर 35 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ा। नैमित्तिक श्रमिकों के स्थायीकरण से हम पर 5 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। इसे रेलवे ने स्वीकार कर लिया है। कार्य मूल्यांकन की मांग भी स्वीकार कर ली गई है। मैंने उस समय श्रमिकों के नेताओं से कहा था कार्य मूल्यांकन में उन्हें भी भाग लेना चाहिए किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बावजूद भी हमने कार्य मूल्यांकन की मांग स्वीकार कर ली जिसका हम पर 15 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने से कुछ असमानताएं उत्पन्न हो गई हैं। हमने इसकी जांच के लिए तथा असमानताओं को दूर करने करने के लिए एक समिति नियुक्त की हैं जिसका हम पर 12.5 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा। चतर्थ

श्रेणी से तीसरी श्रेणी के लिए संवर्ग पर पुनर्विचार करने की मांग स्वीकार कर ली गई है जिसका हम पर 12.5 करोड़ रुपये का और वित्तीय भार पड़ेगा। हमने रेल कर्मचारियों की यह मांग भी स्वीकार कर ली है कि जहां कहीं रेल कर्मचारियों की संख्या 300 से अधिक है वहां उचित दर की दुकानें खोली जायें। इस प्रकार की 84 दुकानें खोली जा चुकी हैं और मुझे पूरी आशा है कि अगले कुछ ही महीनों में उन सभी क्षेत्रों में जहां रेल कर्मचारी रहते हैं और अधिक दुकानें खोल दी जायेंगी।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ समय पूर्व इसी सभा में भूतपूर्व रेल मंत्री, स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने यह घोषणा कर दी थी कि वे अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और यह बातचीत स्थायी बातचीत तंत्र तथा संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में मैं सही रूप में जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि स्थायी वार्ता तंत्र का कार्य भी कठिन हो रहा है क्योंकि उन रेल कर्मचारियों को, जिन्हें स्थायी वार्ता तंत्र की बातचीत में भाग लेना था, एक परिपत्र को जारी करके उत्पीड़ित कर लिया गया है। इन प्रतिनिधियों को स्थायी वार्ता तंत्र में नहीं बैठने दिया। यद्यपि अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ ने चर्चा के लिए पहले ही कार्य सूची पेश कर दी थी।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम कभी भी रेलवे के कार्मिक संघों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों से बातचीत करने के विरुद्ध नहीं थे और न ही अभी हैं। उनके लिए किसी भी मामले पर बातचीत करने के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र तथा स्थायी वार्ता तंत्र के दरवाजे खुले हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जो उत्पीड़ित किए गए उन्हें बातचीत में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कार्मिक संघों के नेताओं को बातचीत करने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। किन्तु यह सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हिंसा तथा तोड़फोड़ की गतिविधियों में हाथ है... (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : मैं ऐसे कर्मचारियों की सूची पेश कर सकता हूं जिनके विरुद्ध हिंसा तथा तोड़फोड़ के कोई मामले नहीं हैं किन्तु उन्हें बातचीत में भाग नहीं लेने दिया गया।

Shri D. N. Tiwari : This question has been repeatedly raised in every session in this House, but the Government have not given any categorical reply and that is why this question is being raised here time and again. I want that the Government should categorically say that they are not going to negotiate some matters which are not acceptable.

Shri Mohd. Shafi Quereshi : We have already stated this.

Shri D. N. Tiwari : You have not stated that the points which are acceptable for discussion should be briefly placed before us. Just now a question has been asked that the dismissed employees have not been taken back, you say they have been taken back, which is correct ? These thing's should be finally decided.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : I have made it quite clear that all the reasonable demand of the workers have been accepted and the demand which are not acceptable, have not been acceded to. No change has been made in Government's Policy in this regard. If the employees have any reasonable demand, we would certainly look in to it.

Members of opposition parties say that there has been victimisation of employees. They are using it as a weapon against us. But most of the members are satisfied that even

a single railway employee has not been victimised. No doubt no mercy will be shown towards those employees, who were involved in violence and sabotage;

श्री समर मुखर्जी : श्रीमान आप जानते हैं कि देश में रेल कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल हुई है और सभी रेल कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उस हड़ताल से पहले बातचीत हुई थीं। प्रो० मधु दण्डवते ने जिन मांगों को पढ़ा है, उन पर बातचीत आरम्भ हुई थी। वे मांगें एन० सी० सी० आर० एस० की संघर्ष समिति ने पेश किया था। अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ उसका भी एक भाग है।

उनमें से एक मांग यह है कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक समझा जाये। क्या यह सही नहीं है कि मियांभाई अधिकरण ने भी वह मांग सिद्धांततः स्वीकार कर ली ? क्या यह भी सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बहुत पहले एक संकल्प स्वीकृत किया था जिसमें उन्होंने सभी सरकारों को कहा था कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कर्मकार समझा जाये ? क्या यह सही है कि मियांभाई अधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित करने की उनकी कोई मांग नहीं थी क्योंकि यह अधिकरण रेलवे प्रशासन ने स्थापित किया था और उससे बहुत पहले उन्होंने अपना पंचाट पेश कर दिया था। रेल प्रशासन ही इसको कार्यान्वित करने में विलम्ब कर रहा है। अब वे यहां कह रहे हैं कि वे मियांभाई अधिकरण के पंचाट को कार्यान्वित करने जा रहे हैं। बातचीत के लिए यह एकमात्र मांग नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एन० सी० सी० आर० एस० की संघर्ष समिति के साथ बातचीत चल रही है। इसका उत्तर यह है कि निम्नलिखित मांगें स्वीकार कर ली गई हैं। उन मांगों पर कौन सहमत हुआ? मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि उन्होंने कुछ मांगें स्वीकार नहीं की हैं। दूसरी मांगों पर कौन सहमत हुआ? मैं भी उस बातचीत में उपस्थित था। वे कहते हैं कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में एक मांग कार्य मूल्यांकन के बारे में थी। यह कोई मांग नहीं है। मांग यह थी कि वैज्ञानिक आधार पर कार्य मूल्यांकन किया जाये किन्तु हमने सरकार की इस मांग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया। सरकार ने ये सिफारिशें पेश कीं किन्तु अन्य नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी कारण मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सरकार बातचीत के माध्यम से मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार है या फिर सरकार चाहती है कि टकराव हो।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को कुछ भ्रांति हो रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि मियांभाई अधिकरण ने सिफारिश की है कि रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाये और साथ ही उन्होंने कहा है कि मियांभाई अधिकरण का पंचाट समिति के समक्ष नहीं था क्योंकि हमने उस पर कभी कोई चर्चा नहीं की।

श्री समर गुह : यही एकमात्र मांग नहीं है। मियांभाई पंचाट बहुत पहले दे दिया गया था। **(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा किसी भी पंचाट देने वाले प्राधिकरण को सिफारिशें करने का अधिकार है किन्तु अन्ततोगत्वा यह देखना सरकार का काम है कि क्या वह उन सिफारिशों को स्वीकार करेगी या अस्वीकार।

जहां तक दो फेडेशनों द्वारा पेश की गई मांगों का संबंध है, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने रेल कर्मचारियों के संघर्ष के लिए राष्ट्रीय समन्वय समिति को मान्यता नहीं दी है और हम इसे मान्यता देने के लिए कदापि तैयार नहीं हैं **(व्यवधान)** अतः जो भी मांगें स्वीकार कर ली गई हैं, उनके अतिरिक्त हम अस्वीकृत मांगों पर और बातचीत नहीं कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र साल्वे : क्या मैं रेल मंत्री से जान सकता हूं कि क्या रेल हड़ताल से देश में दो प्रकार के संघ सामने आये हैं? एक संघ ऐसा जो देश की आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखता है और दूसरा संघ ऐसा जो देश के महत्वपूर्ण हितों को आघात पहुंचाता है, वह भी ऐसे समय पर जबकि देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा हो। यदि ऐसा है तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या आज निष्ठावान धार्मिक संघ अधिकारियों तथा श्रमिकों की ओर से कोई शिकायत मिली है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है और उन्हें उन्हीं श्रमिकों जैसा समझा जा रहा है जो देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं और यदि हां तो क्या यह समुचित प्रबन्ध के अनुसार है क्योंकि रेलवे सबसे बड़ा नियोजक है।

श्री मुहमम्द शफी कुरेशी : हमने सदैव ही कार्मिक संघों के नेताओं को कहा कि वे रेलवे के कार्यकरण में जिम्मेदारी की भावना को स्थान दें। यह सही है कि कुछ कार्मिक संघों के नेताओं ने कर्मचारियों के एक वर्ग को गुमराह करने का प्रयास किया है क्योंकि वे बाहरी लोग हैं, उनका रेलवे से कोई संबंध नहीं है। इस तरह उन्होंने देश में अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया है। किन्तु मैं उन रेल कर्मचारियों की सराहना करूंगा जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया और रेलवे के कार्य को चलाते रहे। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि निष्ठावान कर्मचारियों को पुरस्कार दिया जायेगा और जिन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है उन्हें दण्ड दिया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मांग पत्र में उल्लिखित मांगों में से उत्पीड़न न करने संबंधी मांग के बारे में मेरा प्रश्न है। मैंने रेल मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी के भाषण को ध्यान से सुना। उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि वह रेलवे के समुचित कार्यकरण के लिए श्रमिकों को विश्वास में लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि आज भी 16,700 स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों में से लगभग 2,900 कर्मचारी नौकरी से हटाये हुए हैं। 21,600 नैमितिक श्रमिकों में से लगभग 12,470 श्रमिक पुनः काम पर ले लिए गए हैं और शेष लगभग 10,000 श्रमिक अभी लिए जाने शेष हैं। 18-2-75 को दिए गए वक्तव्य के अनुसार हिंसा आदि के मामले 55 हैं। जिन का विस्तृत ब्योरा इस प्रकार है मध्य रेलवे--कुछ नहीं उत्तरी रेलवे--26, पूर्वोत्तर रेलवे--कुछ नहीं आदि। श्रीमान यह सब उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया है। उन्होंने स्वयं कहा है कि उन 55 व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी काम पर वापिस ले लिए गए हैं। उन 1,111 रेल कर्मचारियों में से जिन पर मुकद्दमा चलाया गया, 55 को छोड़कर शेष सभी वापिस ले लिए गए हैं। 1083 कर्मचारियों के मामले न्यायालयों में निलम्बित पड़े हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री, श्री कुरेशी तथा श्री त्रिपाठी से अनुरोध है कि वे सभी कर्मचारियों को, जिनमें वे 55, स्थायी अस्थायी या नैमितिक कर्मचारी हैं, वापिस काम पर ले लें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस सभा में बार 2 कहा गया है कि सभी रेल कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मंत्री महोदय ने रेल बजट पेश करते समय इसकी घोषणा कर दी थी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह आपका अपना वक्तव्य है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से केवल उन कर्मचारियों को छोड़ कर जो हिंसा तोड़ फोड़ की गति-विधियों में अन्तर्ग्रस्त थे, शेष को वापस ले लिया गया है और उनकी सेवाओं को भंग करने से क्षमा कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : सेवा भंग नहीं।

श्री मुहम्मद कुरेशी : किन्तु मैं सभा को सूचित करना चाहूंगा कि हिंसा अथवा तोड़-फोड़ करने वाले लगभग 1500–2000 कर्मचारियों को परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : ऐसे कर्मचारियों की संख्या केवल 55 ही है। जिन कर्मचारियों का हिंसा में हाथ नहीं था। उन्हें तो वापस लिया ही नहीं गया है।

अध्यक्ष महोदय : अब रेल बजट पेश किया जा रहा है। उस पर बोलने के लिए आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा।

Sh. Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, I want to raise a matter.

Mr. Speaker : The Railway Minister is going to place the railway Budget. You can speak thereon.

श्री एस० एम० बैनर्जी : मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार इस तरह के केवल 55 मामले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन 55 कर्मचारियों का क्या होगा? क्या रेल मंत्री महोदय तथा उनके साथी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन लोगों को जो भुखमरी का सामना कर रहे हैं, वापिस काम पर ले लिया जाए। कम से कम स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की स्मृति के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उन्हें वापिस ले लिया जाए।

The Minister of Railways (Sh. Kamlapati Tripathi) : I want to assure the Hon. Members that all the cases are being considered seriously we will consider all the cases sympathetically except those which were involved in violence, sabotage and intimidation. But those employees who were involved in violence sabotage and intimidation will not be spared. They will be punished.

Shri Narsingh Narain Pandey : It is being said that there should be only one Trade Union in Railway and they are considering to take an initiative in this direction. I want to know whether the Railway Minister is taking any step to ensure peace and good industrial relations in this vast industry. There are 700 categories and 700 unions in Railways. I want to know whether the Railway Minister proposes to take initiative for establishing peace in Railways through negotiations with the Federation.

Sh. Kamlapati Tripathi : This all is being done to create peaceful atmosphere in the Railways. We are considering the cases sympathetically except those involving violence and sabotage. The suggestions given by the Hon. members will be considered.

Sh. Hukam Chand Kachwai : Mr. speaker, I want to know from the Hon. Minister the time by which the points made by him will be implemented. You have accepted some suggestions. So the time by which these suggestions will be implemented.

Secondly whether it is a fact that thousands of class I and class II officers, who tried to make the strike a failure by committing atrocities on workers have been promoted and their pay was increased; if so, the total expenditure incurred thereon ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : One of their demands was that the working hours should be reduced from 14 hours to 10 hours. This demand is being implemented and all Express and goods train drivers are running these trains for 10 hours. About 80 percent passenger trains have so far been covered and on some big sections goods trains are being run for 10 hours. The working hours in the time schedule have been fixed at 10 hours instead of 14 hours. They are working according to the time Schedule. We hope this demand will be implemented fully by 1976.

So far as the award of the Miabhoy Tribunal is concerned, that is being implemented. We have set up an Anomally Committee for implementing the recommendatios made by the Tribunal for casual labour and this committee is looking into the recommendations. Cadre is being reviewed. It is a fact that the pay scales of the employees have been upgraded

as a result of the recommendations made by the Third Pay Commission. I have no figures at present about the expenditure incurred on new gradation but we have undertaken the work of upgradation in class III and Class IV.

वर्ष 1974-75 के दौरान पश्चिम तटीय रेलवे के आप्टा-दसगांव सैक्शन पर किया गया कार्य

*206. **श्री शंकरराव सांवत** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974–75 के दौरान पश्चिम तटीय रेलवे के आप्टा-दसगांव सैक्शन पर कुछ निर्माण कार्य किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा उस पर कितनी लागत आई है।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री ('श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) आप्टा और दसगांव के बीच अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। निर्माण के बारे में विनिश्चय सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच के बाद धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है।

श्री शंकरराव सावन्त : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि व्यावहारिक रूप से 1974–75 के दौरान इस सैक्शन पर कोई कार्य नहीं किया गया। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सच नहीं कि इस कार्य के लिये अविलम्बनीय प्रमाण पत्र जारी किया गया था? यदि हां, तो ऐसी अविलम्वनीयता का किस प्रकार निभाया किया जा रहा है अब कार्य कब तक शुरू होगा ?

श्री बूटा सिंह : यह सही नही है कि कोई कार्य नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने सूखा सहायता कार्य के रूप में इस कार्य को हाथ में लिया था और इस परिस्थिति के समाप्त होने पर राज्य सरकार ने कार्य समाप्त कर दिया। भूमि की खुदाई का कुछ काम किया गया था। सरकार ने अविलम्बनीयता का प्रमाण पत्र इस आधार पर दिया था कि धन के उपलब्ध होते ही कार्य शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा।

श्री शंकर राव सावन्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि रेलवे प्रशासन द्वारा क्या कार्य किया गया है न कि राज्य सरकार द्वारा। दूसरे क्या यह सच नहीं है यह पिछड़े क्षेत्र से संबंधित है? यदि हां तो इस कार्य को पिछड़े क्षेत्रों के कार्य की सूची में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया?

श्री बूटा सिंह : यह सच है कि यह कार्य पिछड़े क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। इस पूरी परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त 14 करोड़ रुपए की राशि इंजन डिब्बों आदि के लिये अपेक्षित होगी। इसलिए राशि की अधिकता को ध्यान में रखते हुए आप मुझसे सहमत होंगे कि जब तक धन उपलब्ध नहीं किया जाता तब तक इस प्रकार की परियोजना कैसे शुरू की जा सकती है।

जयपुर के भूतपूर्व शासक परिवार के भवनों पर छापा

अ०सू०प्र० संख्या 1 **श्री एस० एम० बनर्जी†** :

श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या जयपुर के भूतपूर्व शासक परिवार के भवनों की आयकर विभाग ने कोई तलाशी ली थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयकर विभाग द्वारा तलाशी लेने के बाद स्वर्ण, नकदी, बहुमूल्य हीरों और इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के रूप में अब तक बरामद हुई वस्तुओं की कुल कीमत कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन-पटल पर रखा गया है।

विवरण

इस सूचना के आधार पर कि स्वर्गीय महामहिम श्री सवाई मान सिंह के कानूनी वारिसों द्वारा करों का अपवंचन व्यापक हुआ है, श्रीमती गायत्री देवी, श्री भवानी सिंह, श्री जय सिंह, श्री पृथ्वी राज सिंह तथा अन्य संबंधित मामलों में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 के अन्तर्गत, तलाशी की कार्यवाही 11 फरवरी, 1975 को दिल्ली तथा जयपुर में शुरू की गयी। दिल्ली में तलाशियां निम्नलिखित स्थानों पर ली गयी थीं :—

1. 38, औरंगज़ेब रोड, नई दिल्ली—श्रीमती गायत्री देवी का निवास स्थान।
2. 3/13 शान्ति निकेतन, नई दिल्ली—लेफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह का निवास स्थान।
3. लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की पत्नी श्रीमती पद्मिनी देवी के 3/13, शान्ति निकेतन स्थित तथा 302/9 हेली रोड, नई दिल्ली स्थित दोनों निवास स्थान।
4. मैसर्स एस० एम० एम० प्राइवेट लि०, ई०-2, हौज़ खास, नई दिल्ली।
5. श्री वी० के० वर्मा, चार्टेड लेखाकार दिल्ली का निवास स्थान और परिसर।

दिल्ली में तलाशियां 11-2-75 को पूरी हुई।

जयपुर में तलाशियां निम्नलिखित स्थानों पर ली गयी थीं :—

1. सिटी पैलेस।
2. राजमहल पैलेस—लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह का निवास-स्थान।
3. मोती डूंगरी पैलेस—श्रीमती गायत्री देवी का निवास स्थान।
4. सवाई प्रताप सिंह रोड पर श्री जयसिंह का निवास स्थान।
5. जयगढ़ किले में सुरक्षित कमरे। (Strong Room)।
6. सवाई प्रताप सिंह रोड पर श्री हरनाथ सिंह का निवास स्थान जो भूतपूर्व शासक परिवार के गृह-व्यवस्था नियंत्रक थे।
7. मैसर्स माली राम पूरन मल रावत का कार्यालय तथा जौहरियों की फर्म के साझीदारों के निवास स्थान :

जयपुर में तलाशियां अभी चल रही हैं :—

दिल्ली में तलासियों के परिणाम :

नं० 33 औरंगज़ेब रोड़ : नं० 33 औरंगज़ेब रोड, नई दिल्ली स्थित भवन की तलाशी के समय लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह तथा उनके भाई श्री जय सिंह भवन में ठहरे हुए थे। लेफ्टिनेंट भवानी सिंह से निम्नलिखित विदेशी मुद्रा, अमेरिकन डालर, यात्री चेक पकड़े गये :—

ब्रिटिश पाउंड	76
इटालियन लीए	3000
अमेरिकन डालर	120
स्विस फ्रैंक	30
अमेरिकी डालरों में यात्री चैक	220

इसके अतिरिक्त भारतीय मुद्रा में पाये गये 25,000 रु० भी पकड़े गये क्योंकि इस रकम के स्रोत का कोई उचित स्पष्टीरकण नहीं दिया गया। इसके अलावा उनके पास से अमेरिका में 'चेज़ मानहटन बैंक' में उनके नाम में बैंक-खाते की एक चैक बुक और एक चाबी भी पकड़ी गयी जो संभवतः रोम में एक बैंक के लाकर की है। इसकी सूचना प्रवर्तन निदेशालय को दी गयी थी और जो आवश्यक छानबीन कर रहा है।

3/13, शांति निकेतन में : लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की पत्नी श्रीमती पद्मिनी देवी के पास से लगभग 9 लाख रु० मूल्य के गहने ज्वाहरात, लगभग 3 लाख रु० की सावधि जमा की रसीदें और 67,000 रु० मूल्य के चांदी के बर्तन पकड़े गये। (चांदी के बर्तन 302/9 हेली रोड से पकड़े गये)।

बैंक लाकर :—जयपुर में मोती डूंगरी महल में, श्रीमती गायत्री देवी के निवास स्थान की तलाशी लेते समय एक बैंक लाकर की चाबी मिली और इस सूचना के आधार पर उनके नाम में स्टेट बैंक आफ इंडिया कनाट प्लेस नई दिल्ली में स्थित एक बैंक लाकर सीलबन्द किया गया है। लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह के निवास स्थान 3/13 शांति निकेतन से तीन लाकरों की चाबियां मिली और यद्यपि यह बताया गया कि लाकरों की ये चाबियां अन्य व्यक्तियों की हैं उन्हें पकड़ लिया गया था और संबंधित लाकरों को सीलबन्द कर दिया गया है क्योंकि जब तक लाकरों में रखी वस्तुओं की जांच नहीं हो जाती उनका यह स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चाबियां अन्य व्यक्तियों की हैं। इन तीन लाकरों में से जो एक लाकर श्रीमती पद्मिनी देवी की माता स्वर्गीय श्रीमती इन्द्रा देवी के नाम में था उसे भी खोला गया परन्तु उसमें कुछ नहीं पाया गया। बाकी के दो लाकर किन्हीं प्रज्ञा कुमारी राजपूत के नाम में हैं। अतिरिक्त छानबीन से पता चला है कि श्रीमती प्रज्ञा देवी अन्य कोई नहीं लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह की पत्नी श्रीमती पद्मिनी देवी ही हैं।

श्री बी० के० वर्मा, चार्टेड लेखाकार को हाल में लै० कर्नल भवानी सिंह तथा अन्य व्यक्तियों ने कर-सलाहकार नियुक्त किया है। श्री वर्मा के निवास स्थान और कार्यालय की तलाशी भी ली गयी थी जिसमें जयपुर के भूतपूर्व शासक परिवार के सदस्यों से संबंधित कुछ फाइलें जांच के लिये पकड़ी गयीं। इस तलाशी में तलाशी-दल को बैंक लाकरों की दो चाबियां मिली। इन लाकरों

को खोला गया था और इनमें कोई 50,000 रु० के गहने तथा 15,000 रु० नकद रखे गये पाये थे। इनको फिर से लाकरों में रखकर और आगे जांच पड़ताल होने तक पुनः सीलबन्द कर दिया गया है ।

जयपुर में तलासियों के परिणाम :

सिटी पैलेस जयपुर :—सिटी पैलेस के अजायबघर के पीछे कुछ कमरे हैं जिन्हें 'कपट द्वार' कहा जाता है और जिन के बारे में यह जाहिर है कि उनमें जयपुर के भूतपूर्व शासक परिवार का खज़ाना है। 'कपट द्वार' की चाबियां के बारे में कहा गया था कि वे दिल्ली में लै० कर्नल भवानी सिंह के पास हैं, जिन्हें उनके भाई जय सिंह ने लाकर 13 फरवरी, 1975 को तलाशी लेने वाले दल को उपलब्ध किया । 'कपट द्वार' नामक स्थान में बहुत से कमरे हैं जिनमें चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, कुछ गहने, कटलरी, क्राकरी पहनने के वस्त्र जैसी विभिन्न बहुमूल्य वस्तुएं रखी हैं । तलाशी लेने वाले दल इन विभिन्न बहुमूल्य वस्तुओं की सूची बनाने के काम पर लगातार लगा रहा है, और यह काम अधिकांश में पूरा हो गया है, परन्तु इन वस्तुओं का मूल्यांकन होना है । अंदाजन एक क्विंटल वजन के सोने के बर्तन और कोई 50 क्विंटल वजन के चांदी के बर्तन, तथा फोटुओं की चांदी के फ्रेमों की सूचियां बनी हैं । सूची में दर्ज इन सभी वस्तुओं के मूल्यांकन का काम अभी हाथ में लिया जाना है । आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन नोटिस संबंधित पक्षों को तामील किये गये हैं ।

राजमहल पैलेस–ले० कर्नल भवानी सिंह का निवास स्थान :

हीरे जड़े गहने, पन्ने और माणिक से बने गहने काफी बड़ी तादाद में पाये गये हैं और वे बेश-कीमती लगते हैं । इनकी सूचियां बना ली गयी हैं और इन्हें एक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तौर से रखा गया है, इस कमरे की चाबियां विभाग के कब्जे में हैं। सुरक्षित कमरों (Strong Room) को सीलबन्द कर दिया गया है । गहने-जवाहरात का मूल्यांकन अभी होना है । सुरक्षित कमरों में से एक में जयपुर परिवार के 'माहीमरातिब' आदि राजचिह्न का साज-सामान रखा हुआ है । जाहिर है कि माहीमरातिब आदि राजचिह्न का सारा साज-सामान किसी एक जगह पर रखा हुआ नहीं है और तलाशी लेने वाले दल ने लै० कर्नल भवानी सिंह और श्री जयसिंह से उसका विवरण मांगा है । आय-कर अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन संबंधित पक्षों को नोटिस तामील किये गये हैं ।

श्री जय सिंह का निवास स्थान : काफी मात्रा में गहने-जवाहरात और नकदी पाई गई और सीलबन्द किये गये । आय-कर अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन नोटिस संबंधित पक्षों को तामील किये गये हैं । गहने जवाहरात का मूल्यांकन किया जा रहा है ।

मोती डूंगरी पैलेस : श्रीमती गायत्री देवी का निवास स्थान : इस पैलेस में दो सुरक्षित कमरे हैं, एक तो महल में ही भूमितल पर सुरक्षित कमरा नं० 1 और दूसरा, एक आउट हाउस में सुरक्षित कमरा नं० 2 । सुरक्षित कमरा नं० 1 में बनी एक अलमारी में मोहर बन्द पुड़ियों में बहुत सी चाबियां पायी गयीं। इनमें से दो चाबियां रामबाग पैलेस होटल के तलघर में स्थित दो स्ट्रांग रूम की थीं । इन स्ट्रांग कमरों में से एक में से 550 तोला शुद्ध सोना, हीरे जड़ा एक 'तिहारा' और तीन लड़ी का एक हीरे का हार निकला । संबंधित सभी पक्षों को तथा होटल के मैनेजर को भी धारा 132(3) के अधीन नोटिस तामील किये गये हैं । गहनों की

ये मदें पुरानी फैशन के हीरों से बनी हैं । इनका मूल्य लगभग 2.9 लाख रु० आंका गया है । इसमें वहां पाये गये शुद्ध सोने की कीमत शामिल नहीं है ।

मोती डूंगरी पैलेस में तलाशी अभी जारी है । आसूचना विभाग के अधिकारियों ने 19 फरवरी, 1975 को सुरक्षित कमरा सं० 1 में फर्श के नीचे गुप्त कक्ष का पता लगाया । जब इसे खोला गया तो तलाशी लेने वाले दल को स्वर्ण मोहरें, सोने के सिक्के, विदेश में बनी सोने की ईंटें और सोने की सिल्लियां भारी मात्रा में मिलीं । स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों को इसकी सूचना दी गयी थी । उनके अधिकारी तलाशियों से संबंधित रहे । निम्नलिखित सोने और चांदी की मोहरें, साबरेन, शुद्ध तथा विदेशी मार्के का सोना पकड़ा गया :

	वजन	
सोने की मोहरें .	541.690	किलो ग्राम
साबरन	8.580	,,
शुद्ध सोना		
(i) यू०एम०ए० ऐसे और रेंड रिफायनरी जैसे विदेशी मार्का युक्त.	279.872	,,
(ii) अन्य सोना जिनमें 4 छड़ें ऐसी भी हैं जिन पर "सवाई माधो संवत् 1962" छाप पड़ी है । . .	17.943	,,
चांदी की मोहरें .	19.876	,,

उसी सुरक्षित कमरे में बनी एक अलमारी में से 24/25 फरवरी, 1975 को कुछ शुद्ध सोना, सोने के 5 पेपर वेट और अगरबत्ती स्टैंड, पाये गये जिनका कुल मिलाकर वजन 8.363 किलोग्राम है । इस प्रकार पाये गये कुल सोने का वजन 856.448 किलोग्राम है ।

चूंकि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत हुआ है कि उपर्युक्त सोने के संबंध में किसी ने कोई डिक्लेरेशन दाखिल नहीं किया है, इसलिये उपर्युक्त सोने तथा चांदी की मोहरों को, शुद्ध सोने को और सोने के पेपर वेटों को स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पकड़ लिया गया है ।

इन तीन मदों को छोड़कर सुरक्षित कमरा नं० I तथा II में पाये गये गहने जवाहरातों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है । यह कोई 39.27 लाख रु० बैठती है । इस मूल्यांकन में, पाये गये सोने के सिक्कों की कीमत शामिल नहीं है ।

मोती डूंगरी महल में तलाशी के दौरान अधिकारियों को कुछ सबूत मिले कि श्रीमती गायत्री देवी का स्विटजरलैंड में बैंक खाता है । इस खाते के संबंध में आवश्यक पूछताछ की जा रही है ।

जयगढ़ किला :--तलाशी लेने वाले दल ने जयगढ़ किले में एक सुरक्षित कमरे का पता लगाया था और उसे सीलबन्द कर दिया । वह दल वंशानुगत किलेदारों से गोदरेज द्वार की दो चाबियां प्राप्त करने में भी सफल हो गया और राजमहल पैलेस से मास्टर चाबी पकड़ी गयी थी । 17 फरवरी, 1975 को तलाशी लेने वाले दल ने गवाहों और दो किलेदारों के सामने जयगढ़ किले में स्थित सुरक्षित कक्ष को खोला । ऐतिहासिक रूप से जयगढ़ किला ही वह महल था जहां भूतपूर्व शासकों के समय में पारिवारिक कोष रखा जाता था । परन्तु जब सुरक्षित कमरे को खोला गया तो अधिकांश खज़ाना वहां से हटाया हुआ पाया गया । सिर्फ कोई दो क्विंटल वजन की चांदी की वस्तुएं,

मूंगे और हाथी दांत के टुकड़ों की कुछ तादाद भी पाई गई। शास्त्रागार जैसे लगने वाले एक कमरे में से लगभग 3000 शस्त्र पाये गये, जो मुख्यतः अग्नि शस्त्र हैं। सभी वस्तुएं सुरक्षित कमरे में छोड़ दी गई और मान्यता प्राप्त मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन होने तक कमरे को फिर से सीलबन्द कर दिया गया।

दस्तावेज :––सोने के अतिरिक्त, जवाहरात और अन्य मूल्यवान वस्तुएं, अपराध आरोपणीय दस्तावेज़ विभिन्न स्थानों से पकड़े गये हैं। इनकी जांच की जा रही है।

विभाग के सामने दाखिल की गई विभिन्न सांविधिक विवरणियों में जो परिसम्पत्तियां घोषित नहीं की गई हैं, उनके संबंध में कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। तलाशी में पाई गई सामग्रियों के प्राथमिक कर-निर्धारण से इस परिणाम पर पहुंचा गया है कि जयपुर परिवार के सदस्यों ने बहुत अधिक मात्रा में आय/सम्पत्ति को गुप्त रखा है। स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के भी प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट प्रमाण मिले हैं,। उक्त परिवार के सदस्यों और परिवार के मामलों से संबंधित अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह विवरण पांच पृष्ठ का है जिसे मैंने पढ़ लिया है। मैं समझता हूं कि मुझे प्रश्न तैयार करने के लिये कुछ समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पांच पृष्ठ का नहीं होना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं आयकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता पर उन्हें बधाई देता हूं कि उन्होंने भूतपूर्व जयपुर नरेश के दिल्ली एवं जयपुर के निवासों पर छापे मारे। विवरण में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थानों पर छापे मारे गये :

1. 33, औरंगज़ेब रोड, नई दिल्ली––श्रीमती गायत्री देवी का निवास जोकि सदन की सदस्या हैं।

2. 2/13 शान्ति निकेतन, नई दिल्ली––लै० कर्नल भवानी सिंह का निवास स्थान।

3. लै० कर्नल भवानी सिंह की पत्नी श्रीमती पद्मिनी देवी के 2/13 शान्ति निकेतन और 30/29 हेली रोड, नई दिल्ली के निवास स्थान।

4. सर्वश्री एस० एम० एस० प्राइवेट लि०––एफ०-2, हौज़ खास, नई दिल्ली।

5. श्री वी० के० वर्मा, चार्टर्ड एकांउन्टेंट दिल्ली का कार्यालय एवं निवास स्थान।

विवरण में यह भी कहा गया है कि जयपुर में निम्न स्थानों पर छापे मारे गये :––

1. सिटी पैलेस।

2. राजमहल पैलेस––लै० कर्नल भवानी सिंह का निवास स्थान।

3. मोती डुंगरी पैलेस ––श्रीमती गायत्री देवी का निवास स्थान।

4. सवाई प्रताप सिंह रोड पर श्री जय सिंह का निवास स्थान।

5. जयगढ़ किले के सुरक्षित कमरे।

विवरण से पता चलता है कि पकड़े गये माल में सोने के आभूषणों की मात्रा बहुत कम थी। 856 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है। यह भी कहा गया है :

"मोती डुंगरी पैलेस की तलाशी के दौरान अधिकारियों को इस बात के प्रमाण मिले कि श्रीमती गायत्री देवी"—इस सभा की माननीय सदस्या — "स्विटजरलैंड में एक बैंक खाता है। इस बारे में आवश्यक जांच की जा रही है।"

यह विचित्र बात है कि जब इतना धन पाया गया है और यह सिद्ध हो गया है कि उनका एक खाता स्विटजरलैंड में है, भले ही वह लै० कर्नल भवानी सिंह हो अथवा कोई और सिंह हो। इतनी तलाशियों के बाद भी परिवार के एक भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जब तक ऐसा नहीं होता, अधिकारियों के लिये कार्य करना असम्भव है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उनका चालान क्यों नहीं किया गया है। उन पर स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, आय-कर अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम तथा अन्य इसी प्रकार के इस सदन द्वारा पारित किये गये अधिनियमों का उल्लंघन करने के लिये मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया है और उनके परिवार के किसी ऐसे सदस्य को जो इससे सीधे सम्बन्ध हो गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है और ऐसा न करने के क्या कारण हैं?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : सभापटल पर जो विवरण रखा गया है, मैंने इन सभी बातों के बारे में बता दिया है और उसमें मैंने यह उल्लेख भी किया है कि जब तक तलाशी शनाख्त तथा सूचियां आदि बनाने का कार्य पूर्ण नहीं हो जायेगा, जब तक सम्पूर्ण कार्य सम्बन्धी पूर्ण तथ्य सरकार को प्राप्त नहीं हो जायेंगे और जब तक यह सभी तथ्य सरकार के कब्जे में नहीं आ जायेंगे तब तक जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, उसके अनुरूप या अन्य कार्यवाही करना सम्भव नहीं होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन पुरुषों और महिलाओं को, जो कि बहुत अमीर है और जिन्होंने अपनी आय तथा सोना आदि को छिपाया है, उन महलों से हटाया क्यों नहीं गया है, जहां कि छापे मारे गये हैं। क्या यह सच है कि जब आय-कर विभाग के कर्मचारी वहां तलाशी के लिये गये तो पहले उन्हें प्रलोभन दिया गया और बाद में उन्हें यह धमकी दी गई कि उन्हें खत्म कर दिया जायेगा? यदि, हां, तो इन अधिकारियों को क्या संरक्षण दिया गया है ताकि उनका जीवन जोखिम में न पड़े? क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि यदि प्रथमदृष्टया एक बार उनके विरुद्ध आय छिपाने या इन अधिनियमों का उल्लंघन करने का मामला बन जाता है तो इस मामले में बिना एक क्षण के लिये भी यह विचार किये कि कोई राजमाता है या कोई अन्य व्यक्ति, तुरन्त ही उपयुक्त मुकदमें सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी? श्रीमती गायत्री देवी के विरुद्ध मुझे कोई द्वेष नहीं है; और वह केवल मेरे स्नेह की पात्र हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। परन्तु प्रश्न बहुत साधारण है। तुलमोहन राम का मामला मशहूर मामला हमारे सामने है, केवल संसद सदस्य होते हुए उन्होंने कुछ रिश्वत या धनराशि लो। इस दृष्टि से तो यह तुलमोहन राम को भी दाढ़ी लग रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार की बातें मत कहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी : कृपया विवरण को पढ़िये। हमारे देश में क्या हो रहा है? अभी तो केवल जयपुर के महल पर ही छापा मारा गया है। इस प्रकार के अन्य भी अनेक स्थान हैं उनके बारे में क्या किया जा रहा है। बकाया धनराशि की वसूली के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही

है ताकि कराधान के बारे में गरीब आदमी के खून का आखरी कतरा तक न निचोड़ा जाये ? इसी लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही पूरी हो जाने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी और उनके पासपोर्ट तुरन्त हो जब्त कर लिये जायेंगे क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि विदेशों में उनके बैंक खाते हैं और वह तुरन्त ही विदेश चले जायेंगे। वह 6 महीने भारत रहती हैं और 6 महीने विदेश में । क्या पारपत्रों को जब्त करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, कि क्या उन सम्बद्ध अधिकारियों की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, जो इस कार्य में लगे हुये हैं, तो उसके बारे में मुझे यही कहना है कि हां, उनकी सुरक्षा की उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई है । यह ठीक है कि जब तलाशी के आरम्भिक चरण में राज-घराने के सदस्यों ने तलाशी दल के साथ सहयोग नहीं किया था परन्तु द्वितीय चरण में उन्होंने उन्हें अपना सहयोग दिया।

जहां तक पारपत्रों का संबंध है, राज-घराने के सदस्यों ने स्वयं ही वह पारपत्र अधिकारियों को सौंप दिये थे।

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know if after the search some such documents have been seized which make it clear that the Members of ruling family are maintaining their accounts in Foreign Banks ? May I also know whether any such affidavit has been given by them saying that they have no knowledge about the accummulated money ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक विदेशों के बैंकों में खाते रखने का प्रश्न है, उसके बारे में मैंने विवरण में बता दिया है कि कुछ दस्तावेज़ प्राप्त हुये हैं । तलाशी के दौरान स्विस बैंक का एक टोकन भी पाया गया है । मुझे किसी शपथपत्र की जानकारी तो नहीं है परन्तु हां लैफ्टिनेंट कर्नल भवानी सिंह ने यह कहा है कि उन्हें छिपे धन की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : विवरण को पढ़ कर आश्चर्य होता है कि कई क्विंटल सोना चांदी आदि प्राप्त हुआ है और उसे पढ़ने पर यह पता चलता है कि न केवल जयपुर में अपितु देश के अन्य स्थानों में भी ऐसी वस्तुएं छिपी हुई हैं ...

अन्य महलों के संबंध में जो शंका के बारण लोगों के मन में उभर आये हैं उन्हें तथा सरकार को उसके उचित कानूनी अधिकारों से वंचित न रखने की दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अन्य महलों जैसे कि ग्वालियर या अन्य ऐसे भूतपूर्व महाराजाओं तथा महारानियों के यहां आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छापे मारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है, या उनके विरुद्ध क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ? अन्यथा मैं यह समझता हूं कि अब तक इस मामले में जो कुछ हुआ है, उसके भेद का पता लगा कर वह अपनी सम्पत्ति अन्य स्थानों पर ले जायेंगे।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : प्रायः जानकारी प्राप्त होने पर ही इस प्रकार के मामलों में कार्यवाही की जाती है । यदि माननीय सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई जानकारी है तो वह हमें दें और हम उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण के अन्तिम भाग में उल्लेख किया गया है कि खोज के दौरान उपलब्ध होने वाली सम्पत्ति के बारे में जो आरम्भिक अनुमान लगाये गये हैं, उनसे यह निष्कर्ष निकलता है, कि राज घराने के सदस्यों ने अपनी आय को काफी अधिक छिपाया है और उनके विरुद्ध सोना नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है । यदि

किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टयः मामला बन जाता है तो उसे उसी क्षण किसी भी उपलब्ध धारा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है । परन्तु इस मामले में यद्यपि इनके अपने कहने के अनुसार उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टयः मामला बनता है, तो भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है । इतना ही नहीं उनमें से कुछ तो भारत ही छोड़ गये हैं । उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दी गई है ?

श्री प्रणब कुमार मखर्जी : क्या कोई व्यक्ति भारत छोड़ गया है, इसकी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है । इससे पूर्व पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था कि परिवार के सदस्यों ने अपने पारपत्र वापिस लौटा दिये हैं । मुझे मालूम नहीं कि वह किस प्रकार चोरी छिपे विदेशों में चले गये हैं। उनके प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मैं पहले ही यह बता चुका हूं कि सारी कार्यवाही अभी चल रही है और इसीलिये इस समय कोई ऐसी कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकती जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है ।

Shri R.S. Pandey : It has been stated that silver, gold and jewellery etc. have been seized from ruling family. It has also been said that King and Queen were had no knowledge about it as it was a very old treasure. We have got all the sympathy with the kings and Queens. For the information of Shri Vajpayee, I may mention that a similar royal family is at Gwalior also. Can that family too, be unawar e of any such treasure ? I do not think that they will be unaware. But the people who are ruling there for the last generations, whether they will not be aware how much silver, gold or jewellery has been buried in the earth. We are not concerned with their informations, what ever information would have been available with them, they must have provided the same. But there must be atleast 300, 400 Ruling Families who will not be aware of the hidden treasures of silver, gold, diamonds and jewellery under their palaces. The treasures will be so huge that Fifth Five Year plan could be completed with their money.

I want to know if Government will make an attempt to find out the hidden treasures under the royal palaces for her own interest, for the interest of general public as a whole and for Shri Vajpayee too.

Shri Phool Chand Verma : Maharaja Karan Singh is a Congress Minister, whether his palace has been raided ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सदस्य महोदय का सुझाव है ।

श्री रामसहाय पांडे : मेरा मूल प्रश्न तो भिन्न था, राजा तथा रानियों से जानकारी कौन लेगा । उन्हें स्वयं मालूम नहीं है कि उनके पास क्या कुछ है। उदाहरणार्थ ग्वालियर या जयपुर को ही लीजिये, उन्हें स्वयं यह मालूम नहीं है कि उनके पूर्वज कितनी धनदौलत छोड़ गये हैं वह राज्य में गत आठ सौ वर्षों या हजार वर्षों से शासन कर रहे हैं । यह पता लगाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं—यद्यपि वह मेरे साथ सहमत नहीं होंगे—कि यदि एक महल में कोई छिपा खजाना मिला है तो उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लना कि सभी महलों में से खजाने मिलेंगे, बुद्धिपूर्ण निष्कर्ष नहीं लगता । हम कुछ जानकारी के आधार पर ही कार्यवाही करते हैं । जो कुछ भी किया जाना हुआ, सरकार उसके लिए सतर्क रहेगी ।

Shri R.R. Sharma : Mr. Speaker, sir, if somebody's premises are raided by Income Tax Officers, it is not bad. But now there is a apprehension throughout the country that the Central Ministers, Chief Ministers of States and other Ministers who are making money by corrupt practices for the last 27 years, they are also in possession of hidden wealth which is being smuggled to foreign countries. May I know if hon. Minister will assure the House

that Income Tax Department or any other similar Department will raid their premises also and wealth accomulated through unfair means will be brought before the country ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां कहीं भी हमें कोई सूचना प्राप्त होती है, वहीं हमारे लोग जाते हैं, छापे मारते हैं और खोज करते हैं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : विवरण में छापों के दौरान पकड़े गये माल का ब्यौरा दिया गया है । यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि इस परिवार के सदस्य तथा विशेषकर महारानी गायत्री देवी के परिवार के सदस्य जब अमरीका में थे तो कुछ लोगों द्वारा कुछ सोने के जेवरात ले जाये गये थे और अन्ततः इसका खंडन कर दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है और क्या यह भी सच है कि खोज के दौरान यूनाइटिड स्टेट्स बैंक का एक विशिष्ट टोकन छापा अधिकारियों द्वारा पाया गया और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है । अन्ततः मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता के समक्ष संसद सदस्यों की मर्यादा बढ़ाने के लिए श्रीमती गायत्री देवी तथा श्री तुलमोहन राम के मामलों को दृष्टिगत रखते हुये, क्या यह अत्यधिक अनिवार्य नहीं हो गया है कि सभी संसद सदस्यों को अपने परिसम्पत्ति तथा सम्पत्ति की घोषणा करने की मांग की जाये और उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक इनके प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यदि उसका सम्बन्ध अमरीका में चुराये गये जेवरातों के बारे में है तो उसके बारे में मुझे स्मरण है कि किसी प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने सदन को यह बताया था कि अमरीका में मिलने वाले चुराये हुये जेवरातों के बारे में महारानी ने बताया था कि वह जेवरात उनके नहीं थे अपितु उनके किसी मित्र के थे । देश से जाते समय तथा भारत वापिस लौटते समय सीमाशुल्क अधिकारियों के समक्ष महारानी ने जो घोषणायें की थीं, उनके अनुसार न तो वह भारत से कोई जेवर विदेश ले गई और न ही विदेशों से भारत **कोई** जेवर लाई । जहां तक संसद सदस्यों की परिसम्पत्तियों का सम्बन्ध है, उसके बारे में माननीय सदस्यों को आयकर तथा धनकर के लिए अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करनी ही पड़ती है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उन्हें अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करनी चाहिये तथा सम्बद्ध जानकारी सभापटल पर रखी जानी चाहिये ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व राज घरानों के सदस्यों ने खोज निकाली गई सम्पत्ति के बारे में कोई और बात कही है या उन्होंने धन को छिपाने की बात स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कर्नल भवानी सिंह···

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं परिवार के सभी सदस्यों के बारे में पूछ रहा हूं ।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : पूरा मामला जांच आधीन है अतः मैं जांच हो जाने तक इस संबंध में कुछ नहीं कहूंगा । वे कभी कोई वक्तव्य दे देते हैं और कभी उससे इन्कार कर देते हैं अतः मैं चाहूंगा कि सदस्य महोदय जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करें । तब सभी तथ्य सामने आजाएंगे ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : परन्तु आपने कर्नल भवानी सिंह के बारे में तो कहा ही है । यही कार्यवाही उक्त परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध भी की जा सकती है ।

श्री सुब्रह्मण्यम : मुझे विश्वास है कि उन्हें अपने वकीलों से उचित सलाह मिल रही है और वे सभी प्रकार के बहाने ढूंढेंगे परन्तु हमें सभी तथ्यों की जांच करनी है और प्रत्येक व्यक्ति के आचरण के बारे में ठीक-ठीक पता लगाना है अतः मेरा सभा से अनुरोध है कि सदस्यगण जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। उनके बयान ही काफी नहीं हैं, कई संदिग्ध दस्तावेजों की भी जांच की जानी है इस पूरी सामग्री का उचित उपयोग करना होगा और जांच पूरी होते ही कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो इस बात का मैं आश्वासन देता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जयपुर परिवार के साथ यह विशेष व्यवहार क्यों जबकि दूसरों को तो बन्दी बना लिया जाता है ?

श्री के० गोपाल : श्री दीनेन भट्टाचार्य के एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि प्रथम दृष्टि से मामला बन जाने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई परन्तु विवरण के अनुसार एक कमरे में से, जो शस्त्रागार लगता था, लगभग तीन हजार शस्त्र मिले हैं जिनमें से अधिकांश अग्नेय-अस्त्र हैं। कम से कम इस कारण तो किसी न किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। यदि हमारे पास एक भी पिस्तौल बिना लाइसेंस के हो तो हम पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इतने शस्त्र मिलने पर भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं बता ही चुका हूं कि यह सच नहीं है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और स्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा। अनिश्चित सा मामला न्यायालयों में पेश करना और उनके द्वारा प्रतिकूल निर्णय प्राप्त करना ठीक नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : कलकत्ता में 10 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे जब ये छापा मारा जा रहा था जबकि महारानी गायत्री देवी को बचाया जा रहा है। क्या आप इसे सहन करेंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं सम्बद्ध व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में यह कहना चाहता हूं कि गिरफ्तारियां तभी की जाती हैं जब अभियुक्तों के भाग जाने की आशंका होती है या जांच कार्य के उनके मुक्त रहने से अवरुद्ध होता हो।

श्री नूरुल हुडा : आप सच्ची बात नहीं बता रहे हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस मामले में उनका मुक्त रहना आवश्यक है क्योंकि कई खजाने और कमरे गुप्त हैं। हमें चाबियां और इन गुप्त कमरों तक पहुंचने के लिए उनकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए यदि हम उन्हें बन्दी बना लेंगे तो जांच कार्य में व्यवधान आने की सम्भावना सब से अधिक होगी। इसलिए हम उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और सौभाग्यवश वे पूरा सहयोग दे रहे हैं यद्यपि पहले पहल उन्होंने कुछ आनाकानी की थी। अब हम वे स्थान ढूंढ रहे हैं जहां खजाने छुपे हैं। यदि माननीय सदस्य ऐसा नहीं चाहते और यही चाहते हैं कि गिरफ्तारियां तुरन्त की जायें तो यह नाटकीय कदम ही होगा और इससे कुछ लाभ नहीं होगा अतः मैं सादर निवेदन करना चाहता हूं कि हम कानून के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। सभी तथ्य मिल जाने पर जो भी कार्यवाही कानून में आवश्यक होगी अवश्य की जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, I want to know whether the search was ordered by the Income Tax Department *Suo-motu* or whether they acted on receiving information from some source ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इस पर प्रकाश नहीं डालना चाहता ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं सूचना देने वाले का नाम नहीं पूछ रहा हूं । मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या आयकर विभाग ने स्वतः यह कार्यवाही की या किसी व्यक्ति की सूचना के आधार पर ? ऐसे सीधे से प्रश्न का उत्तर क्या वह लोकहित में न होने के आधार पर नहीं देना चाहते ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मैं इस समय यह नहीं बताना चाहता ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : सभा तो यही चाहती है कि दोषियों को बन्दी बनाया जाये । प्रथम दृष्टि से लगता है कि इस मामले में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम और आयकर अधिनियम तथा धनकर अधिनियम का उल्लंघन हुआ है । धनकर अधिनियम के अनुसार तो यदि दो करोड़ की राशि छः से आठ वर्षों तक छिपाई जाये तो जुर्माना 12 से 15 करोड़ तक का हो सकता है । ऐसे सभी मामलों में गढ़े-गढ़ाए बहाने बनाए जाते हैं और ऐसी-ऐसी गवाहियां दी जाती हैं कि विभाग अकर्मण्य होकर रह गया । यद्यपि विभाग काफी सत्यनिष्ठ है, परन्तु इसकी जांच के तरीके सीमित और अविकसित हैं। क्योंकि इस मामले में काफी व्यापक जांच होनी है जो न केवल देश भर में अपितु विदेशों में भी होनी है । अतः क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि आयकर विभाग के साथ-साथ सरकार प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की भी सहायता ली जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त चारों अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही हो और उन्हें बचके न जाने दिया जाये ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : उनके पारपत्र जब्त कर लिए जाने चाहिएं ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : वे पहले ही अधिकार में ले लिए गये हैं । माननीय सदस्य ने बहुत संगत बात कही है. ये कोई साधारण जांच नहीं है । उन सभी बातों पर ध्यान रखा जायेगा और जांच के लिए सभी विभागों की सहायता ली जायेगी ।

श्री एस० ए० समीम : क्या यह सच है कि युवराज चार्ल्स के सम्मान में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर दिए गए रात्रि भोज में लेफ्टीनेन्ट करनल भवानी सिंह भी सम्मानित अथितियों में एक थे, और यह भोज उनके घर की तलाशी लिए जाने के दो दिन बाद हुआ था ?

श्री सी सुब्रह्मण्यन : मैंने तो उन्हें दिन के भोजन या रात्रि भोजन के समय उपस्थित अथितियों में नहीं देखा और मुझे वह विशेष जानकारी नहीं है जो माननीय सदस्य के पास है ।

श्री एस० ए० शमीम : उन्होंने कहा कि क्योंकि वे सम्पत्ति की खोज में उनकी सहायता कर रहे हैं इसलिए उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया ; परन्तु दूसरी ओर रात्रि भोज में उन्हें प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर आमंत्रित किया जा रहा है ।

श्रीमती रोजा देशपांडे : लेफ्टिनेन्ट करनल भवानी सिंह ने एक वक्तव्य में कहा है कि छिपे धन के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है जबकि मंत्री महोदय ने कहा है कि परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में वक्तव्य देना उनके लिए ठीक नहीं है । वास्तव में श्रीमती गायत्री देवी कई वर्षों से संसद सदस्य हैं और उन्हें इस सभा द्वारा पास किए गए कानूनों की जानकारी भी होगी जिनमें आयकर और स्वर्ण नियंत्रण सम्बन्धी कानून भी हैं । मैं जानना चाहती हूं कि उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है और छिपी सम्पत्ति के बारे में उन्होंने क्या कहा है जो उनके घर से बरामद हुई है ? क्या मंत्री महोदय उनका महिला होने और यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष होने के

नाते लिहाज़ कर रहे हैं ? क्या वह अन्य राजमाताओं के साथ भी यही रियायत करेंगे क्योंकि देश में उनकी संख्या काफी अधिक है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्या जानती हैं कि कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं है, अतः वह कानून जानती हैं या नहीं, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस जांच-पड़ताल के चलते क्या उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों व ब्यानों आदि का इस समय उल्लेख किया जाना चाहिये ? मेरा सादर यही निवेदन है कि सभा जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करे ।

श्री वसंत साठे : : क्या मंत्री महोदय इस परिवार और अन्य ऐसे परिवारों द्वारा संपत्ति और आय के दिए गए विवरणों का ब्यौरा देंगे ? यह जानकारी तो उनके पास होगी ही और यह सूचना दी भी जा सकती है, क्या वह ये तथ्य सभा में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : इस परिवार विशेष के बारे में यह सूचना तो इस समय नहीं दी जा सकती । अन्य परिवारों के बारे में यदि सदस्य महोदय चाहें तो पृथक सूचना दे सकते हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : इस परिवार ने न केवल आयकर, धनकर और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियमों का अपितु विदेशी मुद्रा अधिनियम का भी उल्लंघन किया है । विवरण के अनुसार छापे में निम्न प्रकार की विदेशी मुद्रा पकड़ी गई :

ब्रिटिश पौंड	76
इटली के लीरा	3,000
अमरीकी डालर	120
स्विस फ्रांक	30
अमरीकी डालर——ट्रेवलर्स चैकों में	220

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अपराध के लिए कोई मुकदमा चलाया गया है ?

श्री प्रणब कुमार मखर्जी : पूरे तथ्य अभी प्राप्त न होने के कारण कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मैसूर पेपर मिल्ज लिमिटेड, भद्रावती के शेयरधारियों में विवाद

*201. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर पेपर मिल्स, लिमिटेड, भद्रावती के शेयरधारियों के आपसी विवाद की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या जालान ग्रुप शेयर जमा करके प्रबन्ध व्यवस्था पर हावी हो रहा है ;

(ग) जालान बन्धुओं ने मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के विरुद्ध भारत के विभिन्न न्यायालयों में कितनी याचिकाएं दायर की हैं ; और

(घ) उक्त मिल के प्रबन्ध को कर्नाटक सरकार के हाथ में रखने हेतु केन्द्रीय सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) उपलब्ध सूचना के अनु- सार विवाद इन विषयों पर हैं :—

(1) कम्पनी को 24,000 टन से 70,000 टन प्रतिवर्ष के विस्तार, जिसके लिये अभिप्राय पत्र प्रेषित कर दिया गया है, की लागत ।

(2) दिनांक 30 सितम्बर, 1974 को हुई वार्षिक साधारण बैठक की कार्यवाहियों की वैधता, जिसके लिये कुछ हिस्सेधारियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में आपत्तियां उठाई गई हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जालान समूह का नवीन रूप से गठित निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है ।

(ग) कम्पनी से प्राप्त सूचना के आधार पर, जालान समूह द्वारा विभिन्न न्यायालयों में आठ याचिकायें दायर की गई हैं ।

(घ) कम्पनी के एक निदेशक द्वारा की गई, जालान समूह द्वारा हिस्सों की अवाप्ति की बाबत शिकायत के आधार पर, कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 409(2) के अन्तर्गत दिनांक 27-9-1974 को एक अन्तरिम आदेश यह निदेश देते हुये पारित किया था कि कम्पनी विधि बोर्ड की पुष्टि के बिना कोई पारित संकल्प अथवा कम्पनी के निदेशक मंडल में परिवर्तन करने के लिये की गई कार्यवाही, प्रभावी नहीं होगी । धारा 409(2) के अन्तर्गत पारित अन्तरिम आदेश पर अन्तिम रूप से सुनवाई करनी है । कम्पनी विधि बोर्ड ने 4 दिसम्बर, 1974 को कम्पनी अधिनियम की धारा 409 (1) के अन्तर्गत दिनांक 30 सितम्बर, 1974 को हुई वार्षिक साधारण बैठक में, निदेशक मंडल में किये गये परिवर्तनों की पुष्टि कर दी । कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा 4 दिसम्बर, 1974 को पारित किये गये आदेश का अभिखंडन करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका दायर कर दी गई है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस संसाधन

*202. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'बम्बई हाई स्ट्रकचर' में हाल में पाये गये अनुसूचित रक्षित भंडार सहित देश में तेल और प्राकृतिक गैस का कुल ज्ञात रक्षित भंडार कितना है ;

(ख) वर्तमान खपत-दर के हिसाब से देश में प्रति वर्ष तेल तथा प्राकृतिक गैस की कुल आवश्यकता कितनी है तथा वर्तमान ज्ञात रक्षित भंडार कब तक चलेगें, ; और

(ग) यदि ज्ञात रक्षित भंडार हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए वसूली कम है, तो कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों के विकास की उपेक्षा कर तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) देश में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के शेष वसूली योग्य भण्डार दिनांक 1-1-1974 को 124.502 मिलियन मी० टन और 67856 मिलियन क्यूसिक क्रमशः थी । बम्बई हाई संरचना के तेल और गैस भन्डारों का अब भी अनुमान लगाया जा रहा है ।

(ख) देशीय तेल उत्पादन लगभग मांग का तीसरा भाग है। उत्पादन और खपत की वर्तमान दर शेष सुस्थापित भण्डार लगभग 15 साल तक चलेगी। अतिरिक्त वसूली योग्य भण्डारों को सुस्थापित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) वृहदाकार कोल आधारित तीन उर्वरक संयंत्रों का तलचर रामागुण्डम और कोखा में निर्माण किया जा रहा है।

हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण

*207. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली ट्रंक मार्ग के विद्युतीकरण का कार्य संभवतः आगामी वर्ष तक पूरा हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां

(ख) हावड़ा-टूण्डला खण्ड (1233 मार्ग कि० मी०) का विद्युतीकरण पहले ही पूरा हो चुका है। टूण्डला और दिल्ली (204 मार्ग कि० मी०) के बीच के शेष भाग में विद्युतीकरण का काम हो रहा है और आशा है, यह दिसम्बर, 1976 तक पूरा हो जायेगा।

उलटाडांगा स्टेशन पर हुई दुर्घटना में हताहतों की सूची

*208. **श्री समर गुह** :

श्री आर० एन० बर्मन :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) पश्चिम बंगाल में उलटाडांगा रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की सूची तैयार कर ली गयी है और (दो) दुर्घटना के कारणों के बारे में सभी तथ्यों की जांच कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ;

(ग) क्या हताहत लोगों की पहचान के बारे में कलकत्ते के समाचारपत्रों में आलोचना की गई है और यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ; और

(घ) जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां

(ख) और (घ) पूर्वी क्षेत्र, कलकत्ता के रेल संरक्षा के अपर आयुक्त द्वारा इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की गयी है। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ग) सम्भवतः सदस्य महोदय का आशय दो व्यक्तियों के शव के विरोधी दावेदारों द्वारा उत्पन्न भ्रम के बारे में 2 फरवरी, 1975 को स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार से है। पत्र के अनुसार विवाद उसी दिन निपटा दिया गया था। शवों की पहचान राज्य पुलिस द्वारा की जाती है।

तेल शोधनशालाओं की क्षमताओं को बढ़ाने का प्रस्ताव

*210. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री डी० बी चन्द्र गोडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान शोधनशालाओं की तेल शोधन क्षमताओं को पांचवीं पंच-वर्षीय योजना अवधि में बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) कोयाली शोधनशाला की वर्तमान 3 मिलियन मीटरी टन क्षमता के विस्तार हेतु, एक प्रायोजना हाथ में ली गई है । विस्तार प्रायोजना की स्वीकृत अनुमानित लागत 28.08 करोड़ रुपये है । कच्चे माल उपकरण के मूल्यों के तीव्रता से वृद्धि हो जाने के कारण, इस लागत अनुमान में भी वृद्धि होने की आशा है । इस प्रायोजना का कार्य प्रगति पर है तथा इस प्रायोजना के वर्ष 1977 के आरंभ में पूरा हो जाने की आशा है । मद्रास शोधनशाला का लगभग 0.8 मिलियन मीटरी टन से विस्तार करने का प्रश्न, विचाराधीन है । इस संबंध में अध्ययन प्रगति पर है ।

तेल के मामलें में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की योजना

.211. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कोई व्यापक योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और योजना तथा खाके के अनुसार तटदूर क्षेत्रों सहित उन नये क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां पर तेल की खोज की जायेगी और निकाला जायगा और इसको कितनी अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री क० डी० मालवीय) : (क) और (ख) सरकार का यह प्रयत्न है कि तेल के मामले जितना शीघ्र संभव ही आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाये । अन्वेषण के तीव्रीकरण तथा कच्चे तेल की स्वदेशी उत्पादन को अधिकतम करने के लिये ओ एन जी सी द्वारा उठायें गये तथा प्रस्तावित कदम पांचवीं पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये गये हैं जिनकी लागत 1264 करोड़ रुपये है । पांचवीं योजना में उलेखित उद्देश्यों में यह सम्मिलित है :—

(i) अनुवेशण कार्य का भारत में भूमि पट सभी तलछटी थालाओं और सीमित हद तक अपतटीय क्षेत्र में जहां भूवैज्ञानिक आधार पर हाईडरो कार्बन मिलने की संभावना है, में विस्तार करना ;

(ii) अन्वेषित तेल क्षेत्रों का शीघ्रता से विकास करना ;

(iii) विद्यमान उत्पादन कुआं का अधिकतम उपयोग करना

(iv) द्वितीय स्तर के प्रति प्राप्ति का व्यापक उपयोग

गुजरात और असम में अनुवेशण एवं विकास प्रक्रियाओं को जारी रखने के अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड व तमिल नाडू में अनुवेशण के तीव्र करने की योजना है। अपतटीय अनुवेशण को भी तीव्र किया जा रहा है। बाम्बे हाई क्षेत्र में व्यधन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिये ओ एन जी सी दो और चलित रिगें प्राप्त कर रहा है। ओ एन जी सी द्वारा एक भूकम्पी सर्वेक्षण जहाज भी प्राप्त किया जा रहा है और आशा है कि यह इस वर्ष के मध्य तक भारती जल में परिचालन स्थिति में होगा। इस जहाज की सहायता से अपतटीय क्षेत्र का भूकम्पी सर्वेक्षण त्वरित होगा। बाम्बे हाई क्षेत्र में ओ एन जी सी की अपनी प्रक्रियाओं के अतिरिक्त दो अपतटीय क्षेत्र अनुवेशण के लिये विदेशी तेल कम्पनियों को ठेके पर दिये गये हैं।

आयल इण्डिया लि० में नहर कटीयए और मोरान (असम) में अपने दो प्रमुख तेल क्षेत्रों के विकसित करने के अतिरिक्त टेंगाखाट नागा जान, जो राजान और ताराजान (सभी असम में) तथा खार संघ अरुणाचल प्रदेश में तीव्र अनुवेशण कर रहा है। विद्यमान अनुमान के अनुसार 1978-79 में तेल उत्पादन 12 मिलियन टन होगा।

नई दिल्ली और जबलपुर के बीच तीव्र गति से चलने वाली एक सीधी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

*212. **श्री शरद यादव** : : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक बड़ा शहर है तथा वहां राज्य का उच्च न्यायालय तथा एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय स्थित है और वहां प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान है और वह साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि का केन्द्र है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि जबलपुर और नई दिल्ली के बीच कोई सीधी गाड़ी नहीं चलती है; और

(ग) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली और जबलपुर के बीच बहुत तीव्र गति से चलने वाली एक सीधी गाड़ी चलाने का है जो आरम्भ में सप्ताह में दो बार चलेगी और बाद में धीरे धीरे दैनिक सेवा बनायी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री महम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) मार्गवर्ती खंडों पर लाइन क्षमता के अभाव और नयी दिल्ली/दिल्ली में टर्मिनल सम्बन्धी सुविधाओं की कमी के कारण जबलपुर और नयी दिल्ली के बीच एक सीधी गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

मैसर्स शां वैस एंड कम्पनी के कार्यों की जांच

*213. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच मैसर्स शां वैलेस एण्ड कम्पनी के कार्यों की जांच कर ली है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है कि उक्त कम्पनी ने विभिन्न मामलों में कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन किया है ; और

(ग) इस मामले में जो जांच की गई उसका क्या परिणाम निकला तथा सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 293 (1) (क) के उल्लघंन के आरोपयुक्त एक शिकायत, तथा मैं० शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध में संभावी परिवर्तन की बाबत आशंकाये व्यक्त करते हुये, आल इन्डिया शा वैलेस एम्पलाईज फैडरेशन से एक अभ्यावेदन, प्राप्त हुये थे ।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत इस कम्पनी की लेखावहियों के निरीक्षण से निम्नांकित विशेष बातें प्रकाश में आई ;

1. मैं० शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटंड द्वारा, मैं० आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लिमिटेड लन्दन में धारित हिस्सों की बिक्री में, यद्यपि लाभ था, परन्तु कम्पनी ने पुनः लाभ कमाने का सुअवसर खो दिया।

2. मैं० शा लीनर लिमिटेड के हिस्सों में नियोजन तथा इसको दिया गया अग्रिम ऋण, एवं कम्पनी द्वारा म० शा लीनर लि० के पक्ष में दी गई गारन्टी, इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुये न्याय संगत नथी थे ।

3. कम्पनी की मैं० अमालगामेटेड कोल फील्ड्स लि० तथा में पेंन्च वैली कोल कम्पनी लि० में कम्पनी की हिस्सेधारिता की अपने एक निदेशक को बिक्री उनके वास्तविक मूल्य से न्यून कीमत पर था ।

4. ईस्टर्न बैंक लि० से श्री सहारया द्वारा लिये गये ऋणों के लिए कम्पनी की जमानती होने की कार्यवाही से कम्पनी को अधिक लाभ नहीं हुआ ।

5. कारें तथा एअर कन्डीशनरों को किराये पर लेते समय, एक निदेशक से सम्बन्धित पार्टियों का पक्षपात किया गया था ।

6. कम्पमी अधिनियम, 1956 की धारा 295, 297, 299, 301 एवं इसकी अनसूची-6 का उल्लंघन किया गया था ।

की गई कार्यवाहियां :

1. कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 256 (4) के अन्तर्गत दिनांक 18-12-1972 को यह निदेश देते हुये एक आदेश पारित किया कि मैं० आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लि०, मैं० शा डर्बी एण्ड कम्पनी लि०, मैं० शा स्काट एण्ड कम्पनी लि० एवं मैं० थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि० द्वारा इस कम्पनी में धारित साम्य हिस्सों का कोई हस्तांतरण 18-12-1972 से तीन वर्षों की अवधि के लिये लागू न होगा ।

2. कम्पत्ती विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408(1) के अन्तर्गत, कम्पनी के निदेशक मंडल में तीन वर्ष की अवधि के लिये, दो निदेशकों की नियुक्ति करते हुये एक आदेश पारित किया ।

3. आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निर्देशालय की सूचना भेज दी गई है ।

4. कम्पनी रजिस्ट्रार कलकत्ता को, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 295 के उल्लंघन के लिये कम्पनी के निदेशकों के विरूद्ध मुकदमा दायर करने तथा ऋण संव्यवहारों की बाबत, निदेशकों द्वारा ब्याज के अप्रकटीकरण के लिये कथित अधिनियम की धारा 299 के अन्तर्गत 'कारण बताओ' नोटिस प्रेषित करने के निदेश दे दिये गये है । कारों तथा एअर कन्डीशनरों के किराये पर लेने के बारे में कथित अधिनियम की धारा 297/299/309 की बाबत कम्पनी के स्पष्टीकरणों की परीक्षा करने के पश्चात् कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई थी ।

तेल के मूल्यों संबन्धी समिति की रिपोर्ट

***214 श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों संबंधी समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जायेगी ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डो० मालवीय) : (क) जी नहीं ।

(ख) रिपोर्ट सितम्बर, 1975 तक प्रस्तुत कर देने की आशा है ।

(ग) और (घ) समिति ने 3 फरवरी, 1975 को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अन्तरिम में दी गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

औषध विपणन एजेंसी का स्थापित किया जाना

***215. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 30 जनवरी, 1975 को नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस बैठक में एक औषध विपणन एजेंसी स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मिलावट के शुद्ध औषधियां उचित मूल्यों पर वितरित कराने पर जोर दिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) जी, नहीं । औषध उद्योग से संबंधित अनेक पहलुओं की जानकारी हेतु, अधिकारियों वैज्ञानिकों, चिकित्सा तथा अन्य व्यवसाय के व्यक्तियों, व्यवसायिक निकायों अर्थात् आई० एम० ए० आई डी एम ए आदि, के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किया जाता है । औषध उद्योग के आर्थिक स्वतंत्रता और संदर्श के बारे में नई

दिल्ली में 21-22 दिसम्बर 1974 को एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जिसमें औषध उद्योग के विभिन्न समस्याओं पर विशेष रूप से विचार किया या और इस सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ साथ यह भी सुझाव दिया कि आवश्यक औषधों तथा किसी भी क्षेत्र द्वारा उनके निर्मित सूत्रयोगों के थोक वितरण कार्य का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय और उसे किसी केन्द्रीयकृत सहकारी एजेंन्सी को सौंप दिया जाय।

सरकार ने भी औषध और भेषज उद्योग के बारे में श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में एक समिति नियक्ति की है जिसके कार्यकलापों में, एक निम्न लिखित कार्य भी है :—

"औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण तथा लघु-क्षेत्रीय एककों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रभावी उपायों की सिफारिश करना"

"सामान्य जनता, विशेष रूप से ग्रामीण जनता, के लिए आवश्यक औषधों तथा आम घरेलू औषधें सुलभ कराने के उपायों के बारे में सिफारिश करना"

"मूल औषधों और कच्चे माल की विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को सामान्य वितरण सुनिश्चित कराने हेतु सांस्थानिक तथा अन्य व्यवस्थाओं के बारे में सिफारिश करना" गुणवत्ता नियंत्रण और संबंधित मामलों तथा सामान्य जनता, विशेष रूप से ग्रामीण जनता, के लिए आवश्यक औषधें तथा आम घरेलू औषधें उपलब्ध कराने के बारे में इस समिति की रिपोर्ट, प्राप्त हो गई है और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

अप्रैल 1975 तक इस समिति की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की आशा है और उसके बाद ही सरकार औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

बर्मा शैल को अतिरिक्त अशोधित तेल का दिया जाना

*216. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने छह से अधिक महीने पश्चात् पुनः बर्मा शैल को अतिरिक्त अशोधित तेल देना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) मैसर्स बर्मा शैल अपने स्त्रोतों से आयातित अशोधित कच्चे तेल का स्वयं परिष्करण करते हैं तथा इसके अतिरिक्त आई० ओ० सी० के अशोधित कच्चे तेल का परिष्करण प्रक्रिया फीस के भुगतान के आधार पर करते हैं।

उनके द्वारा अपने स्त्रोतों से प्राप्त प्रक्रियान्वित की गई अशोधित कच्चे तेल की मात्रा, सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर लेने के बाद उनको समय पर दी गई विदेशी मुद्रा की धन राशि पर निर्भर करती है।

वाणिज्यिक निर्णय और देश के विभिन्न भागों का उत्पाद आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही आई ओ ओ सी का अशोधित कच्चा तेल बर्मा शैल को प्रक्रिया फीस के भुगतान के आधार पर परिष्करण हेतु किया जाता है।

सिन्दरी उर्वरक कारखाने का विस्तार करके अमोनिया और यूरिया संयंत्रों की स्थापना करना

*217. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी उर्वरक संयंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करके वहां अमोनिया संयंत्र और यूरिया संयंत्र के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितना उत्पादन अधिक होने की संभावना है और कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सिन्द्री आधुनिकीकरण कार्य क्रम जो विस्तार की स्थिति में है, उनमें प्रतिवर्ष नाइट्रोजन के 1,28,500 मी० टन का अतिरिक्त उत्पादन निहित है। प्रायोजना का 1978 के आरंभ में पूरे होने की संभावना है। इन्धन तेल तथा यूरिया के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर नाइट्रोजन के 1,28,500 मी० टन के अतिरिक्त उत्पादन से वार्षिक लगभग 50-55 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल के खोज कार्य में किया गया व्यय

*218. **श्री पी० गंगा देव** :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विचार तेल के खोज कार्य में 255 करोड़ रुपये व्यय करने का है ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष में किए गए व्यय की तुलना में इस व्यय में यह वृद्धि कितने प्रतिशत होगी ; और

(ग) प्रस्तावित व्यय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (ग) 1974-75 के लिए 184.89 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च की तुलना में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1975-76 में 255.36 करोड़ रुपये खर्च करने का विचार रखती है जो कि अशोधित तेल एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण/उत्पादन के लिए लगभग 38% की वृद्धि है। अपने समुद्रपार संक्रियाओं सहित आयोग के तटीय/अपतटीय संक्रियाओं को ध्यान में रखती है। इसमें अनुसंधान कार्य के लिए 2.90 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परिव्यय भी सम्मिलित है।

केरल में रेलों के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा तैयार की गई योजनाएं

*219. **श्री सी के चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान योजना अवधि में केरल में रेलों के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस में से प्रत्येक योजना पर क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) केरल राज्य में अंशतः अथवा पूर्णतः पड़ने वाली रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य सरकार से समय-समय पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । प्रस्ताव और उनसे सम्बन्धित वर्तमान स्थिति नीचे बतायी गयी हैं :—

(i) एर्णाकुलम से तिरुवनन्तपुरम-मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (221 किलोमीटर)—लागत 13.60 करोड़ रुपये इस परियोजना पर काम हो रहा है। 62% काम हो चुका है ।

(ii) तिरुवनन्तपुरम-कन्या कुमारी (बड़ी लाइन)—लागत 14.53 करोड़ रुपये । नागर कोयल के रास्ते तिरुवनन्तपुरम से तिरुनेलवेलि तक 164.92 किलोमीटर लम्बी एक बड़ी लाइन, जिसमें कन्याकुमारी तक की शाखा लाइन भी शामिल है, की मंजूरी दी गयी है और काम हो रहा है । इस लाइन का एक भाग केरल राज्य में पड़ता है । 27% काम हो चुका है ।

(iii) अलेपी के रास्ते कायमकुलम से एर्णाकुलम तक (बड़ी लाइन-97 किलोमीटर)—लागत लगभग 10 करोड़ रुपये । हाल में बड़ी लाइन के लिए जो यातायात सर्वेक्षण किया गया, उससे पता चला कि यह लाइन अत्यन्त अलाभप्रद होगी ।

(iv) गुरुवय्यूर के रास्ते कुट्टिपुरम निरिच्चुर तक लागत लगभग 5.6 करोड़ रुपये गुरुवय्यूर के रास्ते कुट्टिपुरम से तिरिच्चूर तक रेलवे लाइन के लिए हाल में एक प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण की मंजूरी दी गयी है ।

(v) पीरामड और कुमिलि के रास्ते को टायम से बोदिनायकनूर तक मीटर लाइन 180 किलोंमीटर—लामत लगभग 22 करोड़ रुपये । इस लाइन को शुरु में ही काफी दूर तक पश्चिमी घाटों से होकर जाना होगा और यह क्षेत्र ऐसा है कि इसका निर्माण निषेधात्मक रूप से मंहगा पड़ेगा । गहरी ढलानों और तेज मोड़ों के कारण इस लाइन की क्षमता भी सीमित रहेगी । हो सकता है, इस पर पर्याप्त यातायात भी न आये और इसके अर्थक्षम होने की भी सम्भावना नहीं है । इसलिए अभी इस लाइन का निर्माण करना कठिन है ।

(vi) तेलिच्चेरी-मसूर (मीटर लाइन)—237 किलीमीटर—(लागत लगभग 12.44 करोड़ रुपये)—1957-58 में जो इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किया गया था उससे पता चला कि इस लाइन पर बहुत कम यातायात आयेगा और दूरी बढ़ाकर किराया लेने के बाद भी यह परियोजना अलाभप्रद रहेगी। इसलिए इस परियोजना को शुरु न करने का विनिश्चय किया गया है ।

(vii) गुरुवय्यूर और क्रांगनूर के रास्ते कुटिटपुरम से एर्णाकुलम तक (मीटर लाइन—128 किलीमीटर—लागत लगभग 16 करोड़ रुपये)—इस लाइन के लिए यातायात का पर्याप्त औचित्य नहीं है और इसके वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद रहने की सम्भावना है । साधन सीमित होने के कारण अभी इसके निर्माण पर विचार नहीं किया जा सकता ।

Diesel and Steam Engines

*220. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of diesel and steam engines at present for handling the passenger and goods trains; and

(b) the type of the engine on which expenditure is comparatively less and whether Government propose to encourage the use of such engines in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) 5552 steam and 1385 diesel locomotives are at present hauling passenger and goods trains.

(b) Steam Locomotives are cheaper to acquire but involve higher operating expenses than diesel locomotives. The comparative costs (including depreciation and interest) of steam and diesel haulage are influenced by the relative prices of coal and diesel oil; they also vary from section to section depending on traffic density, and the distance from coal fields. The oil crisis, resulting in a steep rise in crude prices, has made it economical to rehabilitate overaged steam locos, though not the resumption of steam loco manufacture. However, Steam locos cannot meet with the traffic requirements of heavier loads and higher speeds.

उर्वरक निर्माताओं द्वारा 'राक फासफेट' का प्रयोग

1991. **श्री लालजी भाई** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश उर्वरक निर्माता आधातित राक फ़ासफ़ेट का प्रयोग करतै हैं जबकि राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड काफ़ी बड़ी माला में यह बनाता है ;

(ख) क्या इस कारण उसकी बिक्री कम हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) इस समय, राक फास्फेट का देशीय उत्पादन देश की कुल आवश्यकता से कम है और मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सम्भव माला तक आयात की व्यवस्था की जाती है । बहुत से फोस्फेटिक उर्वरक उत्पादकों को दोनों आयातित और देशीय राक फास्फेट मिलती है । हाल ही में राजस्थान से झमारकोटरा क्षेत्र में देशीय राक के संचय की रिपोर्ट मिली है और जिस उत्पादन की पहले प्रत्याशा की गई थी उससे अधिक उत्पादन होने के कारण मुख्यतः ऐसा हुआ और देशीय राक की प्रयोग करने में उर्वरक निर्माताओं ने तकनीकी कठिनाइयों का सामना किया । देशीय उपलब्ध राक का अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कोशिश की जा रही है ।

उत्तर बंगाल में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने संबन्धी योजना

1992. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये योजना बनाई गई है :

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) जी नहीं । तथापि पश्चिमी बंगाल सरकार ने सरकारी क्षेत्र में रानीगंज क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए प्रार्थना की है । राज्य सरकार को सूचना दी गई है कि वर्तमान संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं योजना की अवधि में सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के लिए अनुमति देना संभव नहीं होगा ।

उर्वरक कारखानों का निर्माण

1993. **श्री सी० जनार्दनन : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी उर्वरक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं ;

(ख) उन्हें कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या इन परियोजनाओं की लागत इनका निर्माण आरम्भ करते समय लगाये गये अनुमान से अत्याधिक बढ़ गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) :—

निर्माणाधीन परियोजना का नाम	चालू होने की सम्भावित तारीख	प्रारम्भिक लागत (करोड़ रुपयों में)	संशोधित लागत (करोड़ रुपयों में)
सरकारी क्षेत्र			
1. बरौनी	अप्रैल, 1975	35.14	68.84
2. नामरूप विस्तार	अप्रैल, 1975	29.46	58.62
3. सिन्दरी सुव्यवस्थिकरण	अक्टूबर, 1975	22.96	39.75
4. रामा गुण्डम	जनवरी, 1977	71.18	137.30
5. ताल्चर	जनवरी, 1977	70.49	142.69.
6. हल्दिया	अक्टूबर, 1977	88.03	187.23
7. गोखपुर विस्तार	अक्टूबर, 1975	11.83	18.05
8. नागल विस्तार	अक्टूबर, 1976	75.60	103.77
9. कोरबा	बदला हुआ	118.25	150.00
10. कोचीन-2	1975 का अन्त	35.72	45.00
11. भटिंडा	जनवरी, 1978	138.40	--
12. ट्राम्बे-4	जून, 1977	44.02	44.02
13. सिन्दरी आधुनीकरण	फरवरी, 1978	89.92	119.35
सरकारी क्षेत्र :			
14. मंगलोर	जून/जूलाई, 1975	57.50	67.62
15. तूतीकोवीन	मार्च/अप्रैल, 1975	71.00	89.68

(घ) समय पर तैयार करने में हुए विलम्ब और अर्थव्यवस्था और व्याज खर्च में हुई वृद्धि उपकरण और निर्माण आदि की लागत में हुई वृद्धि के कारण मुख्यतः लागत अनुमानों में वृद्धि हुई है।

विदेशी कम्पनियों को सी०ओ०बी० लाइसेंस देना

1994. **श्री के० एस० चांवड़ा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियों ने अभी सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करने हैं;

(ख) उन फ़र्मों के नाम क्या हैं, गत तीन वर्षों में उन्होंने कौन कौन सी वस्तुएं बनाई हैं, उनमें विदेशी इक्विटी पूंजी कितनी है, तथा आयातित और किसी सरकारी एजेंसी के माध्यम से मंगवाये गयें कितने कच्चे माल का उपयोग किया गया; और

(ग) सरकार ने औद्योगिक विकास एवं विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण इन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : : (क) और (ख) जिन विदेशी कम्पनियों ने औद्योगिक लाइसेंस सी० ओ० वी० लाइसेंस अभी प्राप्त करने हैं उनके नाम और कम्पनियों में विदेशी इक्विटी की मात्रा वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। गत तीन वर्षों में निर्माण की गई मदों की आयातिति तथा सरणीगर्द्ध किए गए कच्चे मालों का उपयोग करने के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

(ग) इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि इन कंपनियों को कारोबार चालू रखने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। इन कम्पनियों में से एक कम्पनी ने सी० ओ० वी० लाइसेंस के लिये एक आवेदन पत्र दिया है। अन्य कम्पनियों से राज्य सरकारों को अपने आवेदन पत्र न देने का कारण पूछा गया है।

विवरण

क्रम सं०	विदेशी कम्पनी का नाम	विदेशी साम्य पूंजी की मात्रा
1.	मैसर्स सी० ई० फुल फोर्ड (इण्डिया) प्राइवेट लि०	100%
2.	मैसर्स चेसवोण पाण्डस आई० एन० सी०	शाखा
3.	मैसर्स सी० डब्लू कानिक कम्पनी (एशियन)	शाखा
4.	मैसर्स जान व्येथ ब्रदर्स	शाखा
5.	मैसर्स इथनोर लिमिटेड	75%
6.	मैसर्स डेंटल प्रोडक्ट आफ इण्डिया लि०	55%
7.	मैसर्स निकालस आफ इण्डिया लि०	शाखा
8.	मैसर्स एंग्लो थाई कारपोरेशन	शाखा
9.	मैसर्स रसल फार्मास्यूटिकल्स लि०	66.6%
10.	मैसर्स इण्डियन शेयरिंग लि०	88.7%

मूल रसायन बनाने वाली फर्में

1995. **श्री टूना उरांव :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा, त्रिपुरा और मेघालय में मूल रसायन बनाने वाली फ़र्मों/यंत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) उन फ़र्मों के राज्यवार नाम क्या हैं और उनके द्वारा कौन-कौन से रसायन बनाये जाते हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

Various Railway Schemes in Madhya Pradesh

1996. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state the salient features of each of the schemes regarding extension of the existing railway lines, conversion of railway lines and construction of new railway lines in Madhya Pradesh in the Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) The proposals for the extension, conversion and construction of new lines during 5th Five Year Plan have not yet been finalised. However, the following proposals for construction of new railway lines and gauge conversion projects are under progress/consideration, falling partly or wholly in the State of Madhya Pradesh :

New Lines :

(1) Construction of a B.G. line from Guna to Maksi—length 193 Kms. cost Rs. 10.51 crores.	Line is under construction.
(2) Dhally-Rajhara/Jagdalpur Length 251 Kms. cost Rs. 27.60 crores.	Final Location Survey has been complete and the reports are under examination.
(3) Hirdagarh-Damua—14.3 Kms. Cost Rs. 2.25 crores.	Work has been included in the Budget for 1975-76.
(4) Satna-Rewa Beohari—127 Kms.	Survey Reports under examination.
(5) Mahoba-Khajuraho—75 Kms.	Survey in progress.
(6) Ranchi-Korba—100 Kms.	Survey has been sanctioned recently.
(7) Ratlam-Banswada—90 Kms.	Survey in progress.

Conversions :

(1) Raipura-Dhamtari N.G. Section into BG Length—89 Kms.	Survey in progress
(2) Conversion of the Northern section of the Satpura NG Railway System into BG length—665 Kms. Approx. cost Rs. 6634 crores.	Report under Examination

श्रेणी I और II के रिक्त पदों का भरा जाना और श्रेणी III और IV के कर्मचारियों की छंटनी किया जाना

1998. **श्री जी० वाई कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में श्रेणी I और II के कितने पद बनाये गये और भरे गये; और

(ख) मितव्ययता के उपायों के कारण श्रेणी III और IV के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई और मितव्ययता के कारण कितने रिक्त पद नहीं भरे गये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973-74 के दौरान विभिन्न अवधियों में श्रेणी I और श्रेणी II के जिन पदों का सृजन किया गया उनकी संख्या 784 है ।

(ख) श्रेणी III अथवा IV के किसी नियमित कर्मचारी की छंटनी नहीं की गयी। सरकार की नीति नियमित कर्मचारियों की छंटनी करने की नहीं बल्कि जो फालतू हो गये हों, उन्हें वैकल्पिक पदों पर समाहित करने की है। किन्तु नैमित्तिक और एवज़ी कर्मचारियों को, उन कामों के बन्द हो जाने पर निकालना ही होगा जिनके लिए उन्हें लगाया गया हो।

जहां तक बिना भरे गये पदों का सम्बन्ध है, सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा गुजरात उद्योग समह में स्थापित की जा रही परियोजनाएं

1999. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा गुजरात पेट्रोरसायन उद्योग-समूह में कौनसी परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कब तक चालू किये जाने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) भारतीय पेट्रोरसायन निगम लि० द्वारा कार्यान्वियन की जाने वाली प्रायोजनाएं उनकी मुख्य बातें और यांत्रिक रूप से पूरे होने की निश्चित तिथियां निम्नलिखित हैं :—

प्रायोजना	क्षमता मी० टन/प्रतिवर्ष		विदेशी तकनीकी सहयोगी	यांत्रिक रूप में पूरे होने की निश्चित तिथि
1	2		3	4
1. एरोमेटिक प्रायोजना	डिमेथाइल टेरेफथेलेट (डी एम टी)	24,000	मैसर्स फ़ाइड क्रूप केमीन्लाजेनबऊ पश्चिम जर्मनी	1973-74 में आरंभ की गई तथा पूरी की गई
	पेराजाइलीन (कैप्टिव का डी एम टी में परिवर्तन के लिये—	17,000		
	आर्थोजाइलीन	21,000		
	मिश्रित जाइलीन	2,500		
	डिमेथाइल आइसो फ्थैलेट	80 से 160		
	मेथाइल बेन्जोएट	200 से 240		

1	2		3	4
2. ओल्फिन प्रायोजना	एथिलीन	130,000	नैफ्था क्रैकर मैसर्स ल्यूमर्स लि०क०नि० (यू० के०)	मई, 1976
	प्रोपीलीन (पोलीमर ग्रेड)	38,000		
	प्रोपीलीन (कैमीकल ग्रेड)	33,240	बैंजीन और बुटाडीन एक्स-ट्रेक्सन यूनिट मैसर्स यूनिवर्सल	अगस्त, 1976
	बूटाडीन	18,100	आयल प्रोडक्टस (यू० एस०	
	बैंजीन	24,000	ए०) और मैसर्स प्रोकोफ़ांस (फ़ांस)	
	लाइट पाइरोलासिस गैसोलीन	29,300	पाइरोलासिस गैसोलीन हाइड्रोजनेशन यूनिट	अगस्त, 1976
	हैवी पाइरोलाइसिस गैसोलीन	34,600	इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम (देहरादून) के	
	रैफिनेट	8,200	सहयोग के साथ, इन्स्टीट्यूट	
	कार्बन ब्लैक फील्ड स्टाक	17,900	फ़ेकेस डयु पैट्रोला (फ़ांस)	
3. कम घनत्व की पोलीथिलीन प्रायोजना		80,000	मैसर्स एक्विटेन टोटल आर्गे-निकों (ए० टी० ओ०) और मैसर्स कम्पेग्नीं फ़ेंकेस डी एट्डस एट डी कनस्ट्रक्शन टैक्निप (टेक्निप) (फ़ांस)	मई, 1976
4. पोलीप्रोपीलीन प्रायोजना		30,000	मैसर्स मोन्टेडीसन (टेक्नीमोट) (इटली)	जून, 1976
5. एथिलीन ग्लाइकोल प्रायोजना	एथिलीन ग्लाइकोल	20,000	मैसर्स हैल्कन इन्टरनैशनल इंक, यू० एस० ए०	अगस्त, 1976
	पोलीथिलीन	2,400		
	ग्लाइकोल प्योरीफाइड एथिलीन ओक्साइड	5,000		
6. पोलीबुटाडीन रबर प्रायोजना		20,000	मैसर्स पालीसर इन्टरनैशनल स्वीटजरलैंड तथा मैसर्स पालीमर कारपोरेशन (निगम) कनाडा	सितम्बर, 1976
7. एक्रीलोनाइट्राइल प्रायोजना		24,000	मैसर्स प्रास्पैक्ट इन्टरनैशनल सी० ए० वेनेज़ूला तथा मैसर्स बदगर वी० वी० नेदरलैंडस	जुलाई, 1977

8. एक्रीलिक फाइबर प्रायोजना	12,000	मैसर्स ग्रसाही रसायन उद्योग को लि० मैसर्स कोवे स्टील लि० तथा मैसर्स सी० इटोह् (समस्त जापान के)	फरवरी, 1977
9. डिटरजेंट	30,000	मैसर्स यूनीवरसल ग्रायल प्रोडक्टस कम्पनी, यू० एस० ए०	सितम्बर, 1976

ग्रदरा (दक्षिण पूर्व रेलवे) के रेल कर्मचारियों का गिरफ्तार किया जाना

2000. **श्री ग्रजीत कुमार साहा : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 दिसम्बर, 1974 को रेलवे पुलिस के प्राधिकारियों ने ब्लाक सिगनल इंस्पेक्टर (2) दक्षिण पूर्व रेलवे, ग्रदरा के ग्रधीन श्री दुलाल चटर्जी बी एम (2) ग्रदरा को रेलवे की कुछ वस्तुग्रों के सात साथ ग्रन्य रेल कर्मचारियों सहित गिरफ्तार किया था ग्रौर उनको जेल ग्रभिरक्षा में भेज दिया था;

(ख) क्या वे इन वस्तुग्रों को दक्षिण पूर्व रेलवे ग्रदरा के डी० एस० टी० ई० के बंगले में ले जा रहे थे;

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये ग्राठों कर्मचारियों ने पुलिस को लिखित ब्यान दिया है कि वे वस्तुएं श्री ग्रार० एल० एन० राव के बंगले में निजी काम के लिये बी I (2) ग्रदरा कार्यालय से सप्लाई की गई थीं; ग्रौर

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित ग्रधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, 8-12-1974 को श्री दुलाल चक्रवर्ती (न कि दुलाल चटर्जी) सहित 8 रेल कर्मचारी रेलवे का कुछ सामान ले जाते हुए रेलवे सुरक्षा दल द्वारा पकड़े गये। चूंकि वे सामान ले जाने का कोई प्राधिकार प्रस्तुत नहीं कर पाये इसलिए सामान जब्त कर लिया गया ग्रौर उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन बाद में उन्हें व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ दिया गया।

(ख) जी नहीं। जांच के दौरान यह प्रमाणित किया गया कि गिरफ्तार रेल कर्मचारी वह सामान सरकारी इस्तेमाल के लिए ले जा रहे थे।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत सऊदी अरब आयोग की स्थापन

2001. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त भारत सऊदी अरब आयोग की स्थापना की गई है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सऊदी अरब द्वारा भारत को अशोधित तेल सप्लाई करने के बारे में एक नियमित द्विपक्षीय व्यवस्था तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया तेल शोधक कारखाने के लिये अशोधित तेल की आवश्यकता

2002. **श्री रोबिन ककोटी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तेलशोधक कारखाने को चलाने के लिये प्रति वर्ष कितने अशोधित तेल की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या सरकार की मूल योजना इस तेल शोधक कारखाने में आयातित अशोधित तेल साफ करने की थी;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तेल-शोधक कारखाने में आसाम से भी अशोधित तेल सप्लाई करने का है और यदि हां, तो क्या इस निर्णय के बारे में आसाम सरकार से परामर्श किया गया था; और

(घ) क्या आसाम सरकार ने केन्द्रीय सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध जबरदस्त रोष व्यक्त किया है, जिसका उद्देश्य उनके साथ परामर्श किये बिना बरोनी और हल्दिया के लिये और अधिक अशोधित तेल सप्लाई करना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मी० टन।

(ख) जी हां। हल्दिया शोधनशाला की परिकल्पना आयातित कच्च तेल को साफ करने हेतु की गई है।

(घ) और (ङ) हल्दिया शोधनशाला में असम अशोधित तेल को साफ करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

रेलवे उपकरण की सप्लाई के बारे में भारत और ब्राजील के बीच वार्ता

2003. **श्री वीरभद्र सिंह:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपकरणों की सप्लाई के बारे में फरवरी 1975 से नई दिल्ली में भारत और ब्राजील के बीच वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर **वार्ता** हुई तथा इस वार्ता की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेल उपस्कर, रेल इंजन, सवारी डिब्बे, माल डिब्बे, पटरियां, स्लीपर और रेल-पथ के अन्य सामान आदि की सप्लाई और रेल प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषरूप से रेल बिजलीकरण के काम में परामर्श सेवा की व्यवस्था करने के लिए ब्राजील के प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत हुई थी।

(ग) अपने देश लौटकर प्रतिनिधि-मंडल अपनी सरकार को अपने विचारों और इन बातों के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भारत और ब्राजील रेल प्रोद्योगिकी के किन-किन क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं और भारत से कौन-कौन से उपस्कर, चल-स्टाक और रेल-पथ के सामान मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट पर आधारित उनकी सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करनी होगी।

अंदमान और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल निक्षेप

2004. **श्री सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और गुजरात के उत्तरी तट पर तेल निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां तो उसकी अनुमानित मात्रा कितनी है और क्या सरकार अन्दमान गुजरात और उड़ीसा राज्यों में तेल शोधक कारखाने स्थापित करेगी यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) अण्डमान और उड़ीसा के किसी भाग में तेल के कोई भण्डार नहीं पाए गए हैं, इन दोनों में से, किसी भी क्षेत्र में शोधनशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। गुजरात तेल क्षेत्र से प्रति वर्ष 4 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल का उत्पादन किया जा रहा है। इस कच्चे तेल के परिष्करण हेतु, कोयली में पहले से ही एक शोधनशाला है।

नायलन कताई उद्योग में गतिरोध

2006. **श्री सी० एम० सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलन कताई उद्योग में गतिरोध अभी भी चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो नायलन कताई उद्योग की कठिनाइयां किस प्रकार की हैं; और

(ग) उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) मुख्य कच्चे माल--कैप्रोलैक्टम की सीमित उपलब्धता के कारण नायलौन वस्त्र कताई एकक, वर्ष 1973 में 78 प्रतिशत और 1974 में 64 प्रतिशत क्षमता उपयोग स्तर पर कार्य करने में समर्थ हुए थे। कैप्रोलैक्टम का देशीय उत्पादन केवल अगस्त 1974 में आरम्भ किया जा सका था लेकिन प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण 1974 के अंत तक केवल 2,800 मीटरी टन उत्पादन किया जा सका। तथापि इस वर्ष कैप्रोलैक्टम की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार होने की आशा है तथा इस दिशा में उद्योग की कठिनाइयों का निवारण भी कर दिया जाएगा।

सिंचाई के प्रयोजन के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

2007. **श्री एम० एस० पुरती:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सिंचाई प्रयोजन के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की राज्यवार कितनी खपत होती है;

(ख) क्या सरकार ने इस वर्ष अधिकतम रबी उत्पादन हेतु सिंचाई प्रयोजन के लिये डीजल की अतिरिक्त सप्लाई के बारे में रबी फसल वाले राज्यों को कोई आश्वासन दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सिंचाई के लिए, राज्य-वार देश में, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के बारे में, कोई अलग आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों को आश्वासन दिया गया है कि कृषि क्षेत्र के लिए डीजल तेल की उनकी पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सप्लाई की जाएगी।

उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि अपनी डीजल तेल की मांग का विशेषकर रबी मौसम, में, कृषि कार्यक्रमों के लिए वास्तविकता के आधार पर पुनः मूल्यांकन करें और सिंचाई पम्प सेटों और अन्य कृषि मशीनरी के लिए उचित खपत मापदण्ड निर्धारित करें। यदि कोई कमी हो तो राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि, यदि आवश्यकता हो तो, कोटा कार्डों के जरिए प्राथमिकता के आधार पर किसानों को डीजल तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें और जमा खोरी तथा काले बाजारी आदि जैसे कदाचार को रोक लें। अभी तक सभी राज्यों में डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रही है और तेल कम्पनियों के फुटकर पम्पों से बिक्री सहज रही है। कृषि क्षेत्र की मांगें भी प्राथमिकता के आधार पर, कोटा कार्डों के माध्यम से सप्लाई की पद्धति जारी करने के बिना सहज रूप में पूरी की जाती है।

मंगलोर उर्वरक संयंत्र द्वारा जल तथा वायु दूषण

2008. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए मंगलौर में उर्वरक का उत्पादन करने के लिए मंगलौर उर्वरक तथा रसायन संयंत्र को जारी किए गए लाइसेंस में जल तथा वायु दूषण के बारे में कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) चूंकि कोई विशेष शर्तें सम्बन्धित लाइसेंस में निर्धारित नहीं की गई हैं। संयंत्र के अधिकारी प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही कर रहे हैं।

अधिक संख्या में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करना

2009. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्षों के दौरान उर्वरकों की कितनी मांग होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या देश में अधिक संख्या में उर्वरक उत्पादक कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आगामी चार वर्षों के दौरान उर्वरक की आवश्यकता का अनुमान निम्न प्रकार है :—

(लाख मी०टनों में)
(एन पी एवं के पोषकों के रूप में)

वर्ष	एन	पी	के
1975-76	34.00	10.35	6.50
1976-77	39.10	12.40	7.50
1977-78	45.00	14.95	8.60
1978-79	52.00	18.00	10.00

(ख) उर्वरक कार्यक्रम में 5 नये वृहद उर्वरक प्रायोजनाओं, सरकारी क्षेत्र में भटिंडा, पानीपत, मथुरा, पारादीप, एवं ट्राम्बे को स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में फूलपुर पर एक उर्वरक प्रायोजना की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है। कोटा (द्वितीय विस्तार) काकीनाडा तथा बड़ोदा (विस्तार) पर उर्वरक प्रायोजनाओं की स्थापना के लिए भी आशयपत्र जारी किए गए हैं। पहले से ही कार्यान्वियानाधीन प्रायोजनाओं के पूर्ण होने तथा कार्यान्वियन के लिए स्वीकृत प्रायोजनाओं के साथ उर्वरक के उत्पादन की देशीय क्षमता में एन के लगभग 65 लाख मी० टन तथा पी 2 ओ 5 के 17 लाख मी० टन वृद्धि होगी जबकि इस समय क्षमता 19.39 लाख मी० टन एवं 56 लाख मी० टन पी 2 ओ 5 है।

Reservation of Special Train from Allahabad to Lucknow

2010. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Hamendra Singh Banera :
Shri Ishwar Chaudhary :
Shri Phool Chand Verma :
Shri R. R. Sharma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a special train was booked by the Congress party from Allahabad to Lucknow and back for Rs. 40,000 for taking part in a congress rally held in Lucknow on the 15th December, 1974 but the train was actually run after accepting Rs. 17,000 only a advance money;

(b) if so, full facts in this regard and the general rules for the public in this respect;

(c) the names of political parties which were hitherto provided with this facility by acceptance of less than 50 per cent of the total amount during the last three years; indicating the dates when such facilities were given; and

(d) what facilities in the matter of reservation of special trains and bogies will be extended to political parties in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri, Buta Singh):(a) and (b) : Yes, on an application from the City Congress Committee, Allahabad, a special train was arranged from Allahabad to Lucknow and back. Prior to the departure of the train from Allahabad on 14th December, 1974, the Committee paid, in addition to a deposit of Rs.3,000 another sum of Rs.17,003.80 as against the total chargeable dues of Rs. 40,603.80 for the up and down trips. This situation of making only the part payment arose with regard to the interpretation of the rule as to wether the minimum distance of 500Kms. Prescribed for the running of such specials for the public is to be taken for outward and return journeys together o this condition of minimum distance of 500Kms. should apply separately for outward an return journeys. The time being short, the City Congress Committee duly gave an undertaking for making the balance payment also after the position with regard to the interpretation of the rules was made clear to them. On it being clarified to the Committee that the minimum distance of 500Kms. is to apply sepratly in respect of outward and return journeys, the balance amount of Rs.20,600 has already been realised from the party.

The main rules prescribed for running of special trains for the public are as under :

(i) The special train will be run subject to a minimum of ten bogies and a minimum of 500 Kms.

(ii) The fares to be charged would be for the actual number of persons travelling subject to the minimum fares for the full carrying capacity of the number of bogies on the train whichever is more, mail fares being charged for second class ;

(iii) The fares for the special train should be paid before the dearture of the train.

(iv) An advance deposit of Rs. 3,000 should be paid at the station from which the special train is to be run; of this Rs. 1,000 will be adjusted against the fares dues and out of balance of Rs. 2,000 remaining with the Railway, the amounts, if any, becoming due to the Railways will be adjusted on completion of the tour and the balance refunded to the party. This deposit is collected towards other charges that might accrue such as detentions to trains at the party's request at starting, inter-mediate or destination stations, etc.

(c) No such arrangement has been made with respect to any special train organised for any political party or any one else during the last three years.

(d) No special facilities are proposed to be extended to political parties in the matter of reservation of special trains and bogies. Normal rules as applicable to public for running of such special trains will uniformally apply to special trains being organised by political parties.

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्धारित लक्ष्य से कम निर्माण किया जाना

2011. श्री कुमार मांझी :

श्री राम सहाय पांडे

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

डा स्वर्णसिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में निर्धारित लक्ष्य से कम क्षमता पर उत्पादन हो रही है और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) चित्तरंजन इंजन कारखाने में डीजल शंटिंग इंजनों के संबंध में चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गया है। किन्तु बिजली इंजनों के उत्पादन में कुछ कमी हुई है जिसका मुख्य कारण यह रहा है कि विभिन्न प्रकार के इंजनों का उत्पादन किया गया और कर्षण मोटरों के अभिकल्पों में आशोधन किया गया। इसके अलावा, आयातित और देशी उपस्कर की देर से और अपर्याप्त मात्रा में सप्लाई देशी उद्योगों का धीमा विकास, बिजली की निरन्तर कमी और पूर्वी क्षेत्र में अशान्त स्थिति और आनुषंगिक कारखानों से फालतू पुर्जे और कच्चे माल की सप्लाई में कमी के कारण चित्तरंजन इंजन कारखाने में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। हाल में हुई कठिनाइयों को दूर करने और धन की उपलब्धता के अनुसार उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिसके कारण इस समय रुकावट हो रही है और डीजल तथा बिजली इंजनों के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आवश्यक उपाय पहले से ही शुरू कर दिये गये हैं।

गुजरात में कुकिंग गैस की एजेंसियां

2012. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री डी० पी० अदेजा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में, स्टेशनवार, इंडियन आयल, एस्सो तथा बर्मा शैल की कितनी कुकिंग गैस एजेंसियां कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार निकट भविष्य में गुजरात राज्य में और अधिक एजेंसियां खोलने के बारे में विचार कर रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन शर्तों पर तथा उसके लिए कौन से स्टेशन चुने गये हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री श्री सी० पी० माझी (क) गुजरात राज्य में खाना पकाने की गैस की संख्या स्टेशन-वार तथा कम्पनी वार नीचे दी गई है।

इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०:—

स्टेशन	वितरकों की संख्या
बरोदा	2
जामनगर	1
सूरत	2
अहमदाबाद	10
गांधीनगर	1
नदियाद	1
बरोच	1
आनन्द	1

स्टेशन	वितरकों की संख्या
गोधरा .	3
राजकोट	2
भावनगर	2
जवाहर नगर	1
जूनागढ़ .	1
पोरबन्दर	1
सुरेन्द्र नगर	1
भुज .	1
मोरवी .	1
डोह्द	1
	33
हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लि०	
(उनके मुख्य वितरक मैसर्स कोसनगैस कम्पनी के माध्यम से)	
सूरत .	4
आनन्द	1
नदियाद	1
पेटलाद .	1
बड़ौदा .	2
वापी	1
बुलसर	1
	11

मैसर्स बर्मा शैल:—

1. अहमदाबाद
2. वल्लभविद्यानगर की शाखा, बोरशड, पेटलाद तथा काम्बे की उप एजेंसियों के साथ आनन्द
3. बड़ौदा
4. नवसारी पर शाखा के साथ विलीमोरा
5. अकलेश्वर पर शाखा तथा राजपिपला के साथ ब्रांच
6. अतुलनगर एवं पारदी शाखाओं के साथ बुलसर
7. विरुनगर, सिधपुर, कलोल पत्तन तथा पालनपुर शाखाओं के साथ मेहसाने

8. दकोर कैरा, कपदवंज कथलाल मेहमदाबाद, सेवलिया सीटिथरा, अनरेथ एवं वासो शाखाओं के साथ नदयाद ।

9. बारदोली, मधी, कडोड तथा वयार उप एजेंसियों के साथ सूरत

10. वापी

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों द्वारा क्षेत्र की सभाव्यताओं उत्पाद की उपलब्धता, क्षेत्र से बाजार की समीपता इत्यादि के आधार पर नई एजेंसियां खोली जाती हैं । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एच० पी० सी० एल० तथा वर्मा शैल का निकट भविष्य में कोई नई एजेंसियों खोलने की योजना नहीं हैं । आई० ओ० सी० ने निम्नलिखित शहरों के लिए अपनी सामान्य नीति के अन्तर्गत पहले ही वितरकों का चयन कर लिया है तथा आवश्यक सुविधाओं के उपलब्ध होते ही इन डिस्ट्रिब्यूटरशियों को चालू किया जायेगा ।

1. दोरजी/अपलेता

2. गांधी धाम/काडला और

3. अन्जार

रेल मार्ग के साथ हजारीबाग नगर को जोड़ने के लिये सर्वेक्षण

2013. **श्री दामोदर पांडे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या रेल मार्ग के साथ हजारीबाग नगर को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है, यदि नहीं तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वास्तविक निर्गाण कार्य कब शुरु होगा ।

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हजारीबाग टाऊन को रेलवे लाइन से मिलाने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट से सम्बन्धित क्षेत्र-कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ख) सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने और उसकी जांच हो जाने के बाद धन की उपलब्धता को देखते हुए निर्माण-कार्य शुरु करने के सम्बन्ध में निश्चय किया जायेगा ।

'बोम्बे हाई' से निकलने वाले अशोधित तेल के उत्पादन की लागत

2014. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'बोम्बे हाई' से प्राप्त खनिज तेल की उत्पादन लागत के बारे में अनुमान लगाया गया है और उसकी तुलना आयातित खनिज तेल के मूल्य से की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० सी० माझी) : जी नहीं । पूर्ण उत्पादन सम्भावनाओं के मूल्यांकन अथवा बोम्बे हाई के नियमित वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित होने के पश्चात् कच्चे तेल के उत्पादन की लागत का अनुमान लगाया जाएगा ।

पेट्रोल की खपत में बचत करने वाले यंत्र का विकास

2015. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा, जो आविष्कार संवर्धन बोर्ड का पुरस्कार विजेता भी है, आविष्कृत उस यंत्र की ओर दिलाया गया है, जिससे पट्रोल की खपत में बचत होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में उस यंत्र का उपयोग करने पर विचार कर रही है ;

(ग) इस यंत्र की मुख्य बातें क्या हैं और पैट्रोल की खपत में बचत करने में यह यंत्र कहां तक सहायक होगा;

(घ) क्या सरकारी प्रयोगशालाओं में इस यंत्र का परीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो पेट्रोल की खपत मैं बचत करने में इस यंत्र का उपयोग करने के लिए क्या अग्रतर कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

तल्चर स्थित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन

2016. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तल्चर स्थित उर्वरक संयंत्र में 1975 के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो ईसमें उत्पादन कब तक आरम्भ होगा;

(ग) इस उर्वरक परियोजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) इस परियोजना के पूरे होने तक कुल कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) जी, नहीं ।

(ख) 1977 के प्रारम्भ में प्रायोजना उत्पादन कार्य आरम्भ कर देगी

(ग) दिसम्बर 1974 के अन्त तक 88 करोड़ रुपये के निकटतम ।

(घ) लगभग 143 करोड़ रुपये ।

Construction works sanctioned for Adivasi areas of Madhya Pradesh

2017. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of construction works sanctioned some years ago for Adivasi areas of Madhya Pradesh but not undertaken so far;

(b) the action proposed to be taken by Government for their completion; and

(c) the approximate expenditure envisaged for the construction works ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) There are no such works which have been sanctioned but not taken up.

(b) & (c) Do not arise.

दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों में एण्डेन गैस की कमी

2018. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री हरी सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर गाजियाबाद में इंडियन आयल की तरल पेट्रोलियम गैस की कथित कमी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा शीघ्र सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) गत कुछ महीनों में आई०ओ०सी० के लिए दिल्ली के आस पास के क्षेत्रों की भरे सिलेंडरों की मांग को, मुख्य रूप से इस वर्ष कुछ क्षेत्रों में बिजली की कमी हो जाने से भरे सिलेंडरों की मांग में वृद्धि हो जाने, कोयाली में गैस की कुल उपलब्धता के कारण भरे सिलेंडरों की सीमित संख्या के उपलब्धता होने तथा कोयाली से शकूरबस्ती एल०पी०जी० बोटलिंग प्लान्ट तक अपुंज मात्रा में माल ले जाने के लिए एल० पी० जी० टेंक वेंगन उपलब्ध न होने के कारण पूरा करना संभव नहीं हो सका।

वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान रेल भाड़ा-शुल्क से प्राप्त आय

2019 **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के दौरान रेल भाड़ा-शुल्क के रूप में सरकार को कुल कितनी आय हुई ;

(ख) क्या बिड़ला बन्धुओं को भाड़ा शुल्क में रियायत प्राप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1973-74 में सरकार को 680.41 करोड़ रुपये की और दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले प्रथम 9 महीनों में, जब तक के लेखे बन्द कर दिये गये हैं, 651.10 करोड़ रुपये की आमदनी हुई ।

(ख) और (ग) मीसर्स हैदराबाद एस्बेस्टस सीमेंट प्राडक्ट्स लि० के लिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट रेलवे और वाडीबन्दर से सनतनगर, हैदराबाद स्थित उनकी साइडिंग तक पूरे माल डिब्बे में परिष्कृत एस्बेस्टस के परिवहन के लिए स्टेशन से स्टेशन तक की दर नियत की गयी है । स्टेशन से स्टेशन तक की यह दर जो सामान्य शुल्क दर से लगभग 15 प्रतिशत कम है, इस उद्देश्य से नियत की गयी है ताकि यातायात की सड़क से रेल की ओर आकृष्ट किया जा सके ।

पश्चिम एशियाई तेल के वैकल्पिक साधनों का विकास

2020. **श्री वरके जार्ज:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में ऊर्जा संकट का एक मात्र समाधान पश्चिम एशियाई तेल के वैकल्पिक साधनों का विकास करना था ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमारे वैज्ञानिकों ने भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसी वैकल्पिक साधन का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी माझी) : (क) ऊर्जा संकट का हल कच्चे तेल के देशीय उत्पादन में वृद्धि करने से होता है और ऊर्जा और फील्ड स्टाक के अन्य स्रोतों पर अधिक भरोसा करने से होगा।

(ख) और (ग) यह स्वीकार किया जाता है कि तेल आयातो पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए कोयला विकल्प ईंधन के रूप में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसका ध्यान रखते हुए अभी इसके साथ बहुत से अनुसंधान और अन्य परियोजनाएं विचाराधीन कार्यान्वियनाधीन हैं जैसे:—

(i) सरकार ने हाल ही में कोयले से तेल में बदलने की प्रौद्योगिकी का विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल की स्थापना की है ; और

(ii) बहुत से कम तापमान वाले कार्बोनीकरण कोयले गैस संयंत्र विचाराधीन हैं।

त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस पर आधारित उद्योग आरम्भ करना

2021. **श्री दशरथ देव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में, जहां प्राकृतिक गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सरकार का प्राकृतिक पर आधारित कुछ उद्योग आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या त्रिपुरा सरकार ने इस संबन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) त्रिपुरा के बारामुरा संरचना पर प्रथम कुएं की खुदाई में कुछ गैस युक्त संस्तर मिले हैं: इसकी खोज के वाणिज्यिक स्तर पर प्रमाणित होने के बाद ही इसके उपयोग के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(ग) त्रिपुरा सरकार से पैट्रोलियम एवं रसायन मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

कुछ विदेशी औषध फर्मों द्वारा कुछ फार्म्युलेशनों की बिना लाइसेंस की बिक्री

2022 **श्री बी० आर० परमार:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि मैसर्स एस० के० एफ० और मैसर्स होचेस्ट ने कुछ फार्म्युलेशनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बिना औद्योगिक लाइसेंसों के बेचा है और इस प्रकार औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा उससे सम्बद्ध नियमों का उल्लंघन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय कानूनों के उल्लंघन के लिए सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सरकार को यह जानकारी दे दी गई है कि मैसर्स एम० के० एफ० अनधिकृत उत्पादन और एमकाइलिन कैप्सूल्स एम्पिसिलिन पर आधारित सूत्रयोग हैं उनकी बिक्री में व्यस्त थे। राज्य सरकार से इस मामले की जांच करने के लिए कहा गया है।

सरकार की जानकारी में यह बात भी आई है कि मैसर्स होचेस्ट एक लघु कम्पनी द्वारा निर्मित एम्पिसिलिन का वितरण कर रही है। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कहा है कि होचेस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० और मैसर्स इण्डोजर्मन अलकलायड्स बम्बई (जो कि एक लघु उद्योग निर्माण यूनिट है) के बीच दिनांक 24 अगस्त 1972 को हुए करार के अधीन पूर्ववर्ती ने कतिपय उत्पादों (औषधों का ब्यौरा देना ठीक नहीं है) का निर्माण करने के लिए परवर्ती को तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई है कि उसके बदले में उनके द्वारा निर्मित उत्पादों का क्रय करने का अधिकार उनके पास रहे। यह ज्ञात है कि मैसर्स इण्डो जर्मन अलकलायड्स द्वारा निर्मित (एम्पिसिलीन) व्यापारिक नाम के अन्तर्गत मैसर्स होचेस्ट एम्पिसिलिन का विपणन कर रही है। उपरिलिखित करार की विवक्षा निरीक्षणाधीन है।

असम की राज्य सरकार द्वारा अशोधित तेल पर रायल्टी में वृद्धि करने का अनुरोध

2023. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली** :

श्री रोबिन ककोटी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में निकाले जाने वाले अशोधित तेल पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए असम की राज्य सरकार ने अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) असम सरकार ने 1-4-1974 से 31-3-1979 तक कच्चे तेल की रायल्टी दर 75 रुपये प्रति मीटरी टन पर निश्चित करने की प्रार्थना की है। अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

भारतीय नौसेना जहाजों को अधिक श्यानता (विस्कोसिटी) ईंधन भट्टी तेल की सप्लाई

2024. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश युद्ध के कुछ समय पूर्व, नौसेना मुख्यालय ने पैट्रोलियम मंत्रालय, को अधिक श्यानता वाले ईंधन भट्टी तेल की सप्लाई करने के बारे में विरोध किया था ;

(ख) इस पत्र की प्राप्ति के पूर्व और बाद के कितने महीनों तक अधिक श्यानता वाले ईंधन तेल की सप्लाई तेल कम्पनियों द्वारा जारी रखी गई ;

(ग) हमारे नौसेना जहाजों को 80 सी० एम० की सप्लाई पुनः कब शुरू की गई थी ;

(घ) क्या आई० एस० आई० की स्वीकृति के बिना नौसेना को अधिक श्यानता वाले तेल सप्लाई प्रारम्भ करने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई थी ; **और**

(ङ) यदि नहीं, तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के इस नाजुक क्षेत्र में इस गलती के लिये दोषी अधिकारियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट

2025. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला मजिस्ट्रेट ही जिला निर्वाचन अधिकारियों का काम करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे यह आशा की जाती है कि वे निर्वाचन कार्य निष्पक्षता से करेंगे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) सभी मामलों में ऐसा नहीं होता है । जिला प्रशासन के प्रधान को, चाहे उसे जिला कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपायुक्त कहा जाता हो, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में अभिहित या नाम-निर्दिष्ट किया जाता है । किन्तु कुछ महानगरों में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां नगर निगमों के आयुक्तों को इस रूप में अभिहित किया गया है ।

(ख) जी हां।

पोलिस्टर चिपों का गैर-कानूनी व्यापार

2026. **श्री मधु लिमये** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियों के आई० सी० आई० ग्रुप कैकी और आई० ओ० सी० द्वारा पोलिस्टर चिपों के अवैध व्यापार के बारे में एक सोशलिस्ट संसद सदस्य से 15 नवम्बर, 1974 का एक पत्र मंत्री महोदय को प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उन अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है, जिन पर मंत्रालय ने जांच पड़ताल **का** आदेश दिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, हां।

(ख) जहां तक इंडियन आर्गेनिक कैमिकल्स द्वारा चिप्स बेचने का प्रश्न है, इस मामले पर उद्योग (विकास विनियम) अधिनियम के संदर्भ में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है । मैसर्स कैमिकल्स एंड फाइबर्स (इंडिया) लिमिटेड ने चिप्स की बिक्री नहीं की है । उन्होंने मैसर्स श्री सिन्थटिक्स को केवल 2 मीटरी टन चिप्स, उधार के रूप में दिये हैं।

मद्रास तेलशोधक कारखाने में अशोधित तेल की कमी

2027. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास तेलशोधक कारखाने में अशोधित तेल की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण और उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अशोधित तेल सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान मद्रास तेलशोधक कारखाने में कितना उत्पादन हुआ है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अन्तिम तीन वर्षो के मद्रास रिफाईनरिज के उत्पादन नीचे दिये जाते हैं :—

(मिलियन मीटरी टन)

1972	2.36
1973 .	2.23
1974	2.08

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे परियोजना

2028. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक विदेशी मुद्रा के अभाव में कलकत्ता में भूमिगत रेलवे परियोजना के कार्य में विलम्ब हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कार्य में तेजी लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अगले वर्ष के लिए जो धन आवंटित किया गया है, उससे कलकत्ता भूगत निर्माण-कार्य में कोई बहुत तेजी नहीं आ सकेगी। इसका कारण यह है कि इस समय रुपये और विदेशी मुद्रा दोनों साधनों की कमी है ।

अधिक मात्रा में साधन उपलब्ध होने पर और आगे की स्थिति अधिक स्पष्ट होते ही निर्माण-कार्य तेज कर दिया जायेगा।

Exploration of Oil and Gas in Jaisalmer

2029. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the time since when the exploration of oil and gas has been going on in Jaisalmer District of Rajasthan and the expenditure incurred thereon so far;

(b) the category-wise number of employees working there and the annual administrative expenditure incurred on them; and

(c) whether Government hope to achieve success in their effort ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) It has been going on since 1956 and the expenditure incurred upto 31-1-1975 is about Rs. 673.27 lakhs (exclusive of expenditure on geological and geophysical surveys for which separate Statewise statistics are not maintained).

(b) As on 1-1-1975, 32 Class I, 20 Class II, 303 Class III and 93 Class IV employees were working at the Jaisalmer Project. The expenditure on pay and allowances during 1973-74 was Rs. 24.88 lakhs and it is estimated at Rs. 32.45 lakhs during 1974-75.

(c) Exploratory work in the area is continuing and it is not possible to make any prediction at this stage.

भारतीय विधिवेंत्ताओं का पाकिस्तान का दौरा

2030. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विधिवेत्ताओं के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्होंने वहां अनेक सम्मेलनों और बैठकों में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन विधिवेत्ताओं के नाम क्या हैं और उनके द्वारा पाकिस्तान में विभिन्न उच्च पदधारियों के साथ हुई वार्ता का सार क्या है और उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय विधिवेत्ताओं के किसी प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान का दौरान करने और वहां सम्मेलनों और बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्ति नहीं किया था। तथापि, पाकिस्तान के निमंत्रण पर, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री एस०एम० सीकरी और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायधीश श्री आर० सच्चर ने जनवरी, 1975 में पाकिस्तान का दौरा किया था। सरकार को उनकी पाकिस्तान में विभिन्न उच्च पदधारियों के साथ हुई वार्ता, यदि कोई हो या, उसके परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसर्स इंडिया शरिंग्स लिमिटेड में लगी पूंजी और उसका उत्पादन

2031. **श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इण्डिया शेरिंग्स लिमिटेड के संयंत्र और मशीनरी में कितनी पूंजी लगी है ;

(ख) इस कम्पनी के उत्पाद क्या हैं, और गत तीन वर्षों में उनका उत्पादवार कितना उत्पादन हुआ था, उसमें कितने मूल्य का आयातित और कैनेलाइज्ड (सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयातित) कच्चा माल प्रयोग में लाया गया था ; और

(ग) क्या यह फर्म उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर रही है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या इस कम्पनी के लिए व्यापार चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता है या नहीं। इस कम्पनी से सी०ओ०बी० लाइसेंस के लिए प्रार्थना न कर सकने के कारणों के बारे में पूछा जा रहा है।

आंध्र प्रदेश कम्पनी लिमिटेड और इंडियन ऐक्सप्रैस लिमिटेड के विरूद्ध शिकायतें

2032. **श्री पी० आर० दास मुंशी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामनाथ गोयनका के प्रबन्धाधीन चल रही आन्ध्र प्रभा कम्पनी लिमिटेड और इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड के अनुचित और कदाचारपूर्ण कार्यकरण के बारे में उनके मंत्रालय को गत तीन वर्षों में शिकायतें मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं और उन पर उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) मै० आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड, मै० इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड तथा मै० इंडियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋणों के अदा न किये जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ये मामले कम्पनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से उठाये गये हैं वे इन पर कार्यवाही की जा रही है।

कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत, मै० इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड में दिनांक 4-12-1972 को दो वर्ष की अवधि के लिये एवं मै० आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड में 19-11-1973 को, निदेशकों की नियुक्ति करते समय, इन अनियमितताओं को ध्यान में रखा गया था।

मै० इंडियन एक्सप्रेस (मदुराई) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में भी, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति के लिये कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया गया था परन्तु कम्पनी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक लिखित याचिका प्रस्तुत कर दी एवं न्यायालय ने इस याचिका पर पुनः आदेश अनिर्णीत रहने तक, इस मामले में आगे कार्यवाही रोक दी है।

इंटरनेशनल ला एसोसियशन का सम्मेलन

2033. **श्री हरी सिंह** :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में इंटरनेशनल ला एसोसिएशन का 56वां सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिश की गई तथा क्या निष्कर्ष निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन के आयोजकों का कहना है कि सम्मेलन में पारित किए गए संकल्पों की प्रतियां उनके पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विभिन्न समितियों के अध्यक्षों द्वारा वे संकल्प अंतिम पूर्ण अधिवेशन के समय प्रारूप के रूप में रखे गए थे और इसके संबन्ध में सभी कागज-पत्र एसोसिएशन के मुख्यालय के अधिकारी उन पर आगे कार्यवाही करने के लिए, अपने साथ ले गए हैं और मुख्यालय द्वारा उनको तभी जारी किया जाएगा जब एसोसिएशन की कार्यकारी परिषद् की अगली बैठक में, जो मई, 1975 में, लन्दन में होने जा रही है, इन्हें अनुमोदित कर दिया जाएगा।

Shareholding of Birlas in Maruti Limited

2034. **Dr, Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Birlas have large number of shares in Maruti Limited;

(b) whether their share holdings are to the tune of Rs. 40 lakhs; and

(c) if so, the full facts in this regards ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) to (c) As per the latest list of shareholders of M/s. Maruti Limited as on 28-9-74, no Birla House company registered under Section 26 of the M.R.T.P. Act held shares in Maruti Limited. No individual with the word 'Birla' in his/her name or in his/her father's name holds shares in this company. However, four companies which were shown in the report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee as belonging to Birla House held shares in Maruti Limited as on 28-9-74 as detailed below :—

Name of company	No. of equity shares of Rs. 10 each held	Value of shares held (Rs.)	Percentage of shares held in total paid up capital of Maruti Ltd.
1. M/s. Uttar Pradesh Trading Co. Ltd. . .	40,000	4,00,000	2.2
2. M/s. Darbhanga Marketing Co. Ltd. . .	30,000	3,00,000	1.6
3. M/s. Saran Trading Co. Ltd. . . .	20,000	2,00,000	1.1
4. M/s. Champaran Marketing Co. Ltd. . .	10,000	1,00,000	0.5
TOTAL . . .			5.4 per cent

These companies have contested that they belong to the Birla House and the matter is under consideration.

विदेशी औषध कम्पनियों की अतिरिक्त क्षमता का नियमित किया जाना

2035. **श्री धामनकर :**

श्री बसन्त साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी औषध कम्पनियों ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि अनधिकृत रूप से लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक बढ़ाई गई उनकी क्षमताओं को नियमित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन विस्तार प्रस्तावों के प्रति सामान्य तौर पर और मैसर्स में एंड बेकर कम्पनी के प्रस्ताव पर विशेष रूप से, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अधिक उत्पादन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रही है तथा अप्रैल, 1975 में इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की आशा है । इसके पश्चात् मैसर्स में एंड बेकर के विस्तार प्रस्ताव सहित अधिक उत्पादन करने के प्रशन पर निर्णय लिया जायेगा ।

Survey for Railway line between Hazaribagh and Rampur Haat

2036. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the survey for a railway line between Hazaribagh and Rampur Haat has since been completed; and

(b) if so, the salient features there of and by what time the work on this project is likely to start ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) The proposal will be considered further for taking up the construction after the surveys which are in progress are completed and the results known.

वर्ष 1974-75 के दौरान यात्री किराये का पुनरीक्षण करने के कारण राजस्व में हुई वृद्धि

2037. **श्री एम० कतामुतु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान यात्री किराए में कितनी बार वृद्धि की गई थी तथा राजस्व में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था ; और

(ख) क्या राजस्व का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1974-75 में कुछ अपवादों सहित दो बार यात्री किरायों में संशोधन किया गया था। पहला संशोधन 1-4-1974 से लागू हुआ था। इस संशोधन के परिणामस्वरूप 41.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने का अनुमान लगाया गया था।

आमदनी में प्रत्याशित कमी को पूरा करने के लिए किरायों में 15-9-1974 से फिर संशोधन किया गया। 15-9-1974 से 31-3-1975 तक की अवधि में 40.33 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी की प्रत्याशा थी।

(ख) जी नहीं। यात्री यातायात से होने वाली आमदनी बजट अनुमान की तुलना में 15 करोड़ रुपये कम होने की संभावना है ।

कोयले की कमी तथा अन्य कारणों से बन्द की गई रेल गाड़ियों को पुनः चलाना

2038. **श्री गजाधर मांझी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की कमी तथा अन्य कारणों से मेन अथवा ब्रांच लाइनों पर बन्द की गई रेल सेवाएं इस बीच पुनः चलानी आरम्भ कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) रेलों पर इंजन कोयले की स्थिति में सुधार के साथ ही उन गाड़ियों को उत्तरोत्तर फिर से चलाया जा रहा है जिनका चलना बन्द कर दिया गया था। फरवरी, 1975 में लगभग 22 जोड़ी गाड़ियां फिर से चलायी गयी हैं।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले

2039. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1974 को भारत के उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले किस-किस वर्ष के हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : 31 दिसम्बर, 1974 को वर्षवार लम्बित मामले निम्नानुसार हैं :—

3,596	1974
2,523	1973
2 333	1972
1,679	1971
1,242	1970
899	1969
499	1968
16	1967
12,787	

आसाम आयल कम्पनी द्वारा दूसरे ग्रेड के तेल की बिक्री

2040. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम आयल कम्पनी दूसरे ग्रेड के स्नेहक तेल की बिक्री जूट बीटिंग आयल के रूप में कर रही है और इस प्रकार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को उत्पादन शुल्क, आयकर और बिक्री कर की बड़ी राशि से वंचित रख रही है ;

(ख) क्या उक्त पद्धति का भारतीय तेल निगम और इण्डो-बर्मा आयल कम्पनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) की गई जांच पड़ताल में ऐसी कोई घटना का पता नहीं लगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि

2041. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री तेल के मूल्यों में वृद्धि के लिये विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में 10 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3815 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा बताये गये अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण की इस बीच जांच करली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कि तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) तेल उत्पादक देशों द्वारा रायल्टी, कर और साझेदारी दर में निरन्तर वृद्धि किए जाने से, तेल कम्पनियों द्वारा मूल्यों में वृद्धि की मांग की गई। विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मांगे गए मूल्य उस समय बाजार में विद्यमान उन मूल्यों से कम थे जिन पर सरकार कच्चे तेल का आयात कर सकने का प्रबन्ध कर सकती थी। सरकार द्वारा विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मांगी गई इन मूल्य वृद्धियों को तेल उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों द्वारा लिए गए अनेक निर्णयों को ध्यान में लेकर देखा गया है। तेल उत्पादों का निर्यात करने वाले देशों द्वारा 12 दिसम्बर, 1974 को विपाना में लिए गए निर्णय के बाद, अब विदेशी तेल कम्पनियां विभिन्न कच्चे तेलों के तुलनात्मक बाजार मूल्य ले रहे हैं। विदेशी तेल कम्पनियों को कच्चे तेल के आयात की अनुमति उनकी अनुमोदित विदेशी मुद्रा सीमा के अन्तर्गत दी जा रही है। लेकिन तेल कम्पनियों द्वारा मांगे गए मूल्यों को उत्पाद मूल्य निर्धारण प्रणाली के माध्यम से प्रतिप्राप्ति हेतु मान्यता नहीं दी गई थी।

गुजरात में छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

2042. **श्री बेकारिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के संबन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : गुजरात राज्य में आमान परिवर्तन के निम्नलिखित निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। प्रत्येक निर्माण कार्य के सामने उसकी वर्तमान स्थिति बतायी गयी है—

(i) वीरमगाम-ओखा/पोरबन्दर—काम चल रहा है ; अद्यतन प्रगति 34 प्रतिशत है।

(ii) गांधीधाम-भुज—सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(iii) दिल्ली-अहमदाबाद—सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

बेनगाढ़ा में चौकीदार वाले फाटक के रखरखाव पर आवर्ती खर्चों की छूट की मांग

2043. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मडाई पंचायत, मंडाई केरल के कन्नानोर जिले के प्रधान से बेनगाढ़ा में चौकीदार वाले फाटक के रखरखाव पर सब प्रकार के आवर्ती खर्चों की छूट देने की मांग करते हुए दिनांक 8 दिसम्बर, 1974 का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण रेलवे के कन्नूर-मंगलूर खंड पर पायंगाडि और एलिमला स्टेशनों के बीच कि०मी० 779/9-10 पर 'ग' श्रेणी के चौकीदार वाले समपार की व्यवस्था 'निक्षेप' की शर्तों पर अतिरिक्त सुविधा के रूप में मडाई पंचायत के अनुरोध और खर्च पर की गयी थी। वर्तमान नियमों के अनुसार ऐसे सम-पार, जिसकी व्यवस्था 'निक्षेप' की शर्तों के अन्तर्गत की गयी हो, का प्रारम्भिक और वार्षिक आवर्ती अनुरक्षण खर्च उस पार्टी को वहन करना पड़ता है जिसके लिए इसकी व्यवस्था की जाती है। तदनुसार दक्षिण रेल प्रशासन द्वारा मडाई पंचायत के सभापति को सूचित किया जा रहा है।

तेल और गैस के लिये पूर्वी भारत में सर्वेक्षण

2044. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पूर्वी भारत में तेल और गैस के निक्षेपों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले ही असम के मुद्रसागर, लकवा और गेलेकी में तेल खोज निकाला है।

पश्चिम बंगाल में भुगोलिकीय का कार्य किया जा रहा है और बकुलतला के निकट खुदाई का कार्य निकटतम भविष्य में आरम्भ होने की सम्भावना है। त्रिपुरा में भूगर्भीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं और बारामूरा में एक कुंआ खोदा गया है जिसमें कुछ गैस स्तर पाए गए हैं। कुऐं की विस्तृत जांच की जा रही है।

असम में निर्माणाधीन रेल लाइनों का पूरा किया जाना

2045. **श्री विजयपाल सिंह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम राज्य में इस समय कौन-कौन सी रेल लाइनें निर्माणाधीन हैं और उनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने बड़ी लाइन को बंगेगाव से बढ़ाकर गोहाटी तक कर देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय असम राज्य में कोई रेलवे लाइन निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) न्यूबोंगाईगांव से गोहाटी तक के खण्ड में मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का अनु-मोदन कर दिया गया है उसे 1974-75 के बजट में शामिल कर लिया गया है। आमान परिवर्तन के अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण की मंजूरी हाल ही में दी गई है। सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाने पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

पैट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी

2046. **श्री एम० आर० दमाणी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू वर्ष के दौरान अनुमानत: कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के पैट्रोलियम उत्पादों की खपत हुई और वर्ष 1973-74 की तुलना में यह खपत कितनी न्यूनाधिक रही ;

(ख) क्या उक्त खपत में कमी हुई है : और

(ग) यदि हां, तो कितनी तथा कौन-कौन से मुख्य क्षेत्रों में यह खपत कम हुई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) अप्रैल से दिसम्बर 1974 से खपत के अस्थायी आंकड़ों के सामने 1973-74 के पैट्रोलियम उत्पादों की वास्तविक खपत के आंकड़े निम्न प्रकार, दिए हैं :—

(आंकड़े मिलियन मी० टनों में)

	1973-74 (वर्ष भर)	1973 (अप्रैल-दिसम्बर)	1974 (अप्रैल-दिसम्बर)
पी० ओ० एल० उत्पादन की कुल बिक्री/खपत (रिफाइनरी बायलर ईंधन को छोड़ कर)	22.1	16.7	16.2

अप्रैल-दिसम्बर 1973 की तुलना में, अप्रैल-दिसम्बर 1974 के दौरान पी० ओ० एल० उत्पादों की बिक्री (रिफाइनरी बायलर ईंधन को छोड़ कर) लगभग 2.8% तक कम हो चुकी है।

बेचे और खपत किए गए पी० ओ० एल० उत्पादों के मूल्य से सम्बन्धित आंकड़ों का हिसाब नहीं रखा गया है, मोटर स्पिरिट, मिट्टी के तेल, हलके डीजल आयल, भट्टी के तेल, स्नेहक तेलों और बिटूमन के सम्बन्ध में पी० ओ० एल० उत्पादों के खपत में मुख्यत: गिरावट आई है। अनावश्यक खपत पर रोक लगाने की देश की शेष अदायगी स्थिति पर तेल मूल्य वृद्धि के असर को कम करने के लिये सरकार द्वारा अपनाए गये विविध नियामन और राजस्व उपायों से इस लक्ष्य की प्राप्ति हो चुकी है।

उच्चतम न्यायालय में मुकदमों की पैरवी के लिये गरीबों को कानूनी सहायता

2047. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वकील न कर सकने वाले नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या सरकार का विचार संविधान में संशोधन करने का है जिससे ऐसे व्यक्ति को अपने मुकदमे की किसी भी भारतीय भाषा में पैरवी करने का अधिकार प्राप्त हो सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) कानूनी सहायता विषयक समिति की रिपोर्ट का, जो सरकार को प्रस्तुत की गई है, नवां अध्याय "उच्चतम न्यायालय

में कानूनी सहायता" के नाम से है और इस सम्पूर्ण रिपोर्ट को, जिसमें यह अध्याय भी सम्मिलित है, सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्राकृतिक गैस की सप्लाई

2048. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने पश्चिमी तेल और गैस क्षेत्रों से विभिन्न परियोजनाओं के लिये शीघ्र प्रतिदिन लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर गैस सप्लाई करने की व्यवस्था की है ;

(ख). क्या उक्त सप्लाई अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, बड़ौदा के निकट भारी जल परियोजना और महसाना जिले में दूध सागर डेरी को प्राकृतिक गैस सप्लाई करेगा;

(ग) क्या कुछ फालतू गैस जलाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसका प्रयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिये न किये जाने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अपने पश्चिमी क्षेत्र स्थित तेल और/अथवा गैस क्षेत्रों से पहले ही विभिन्न उपभोक्ताओं को लगभग 18-19 लाख घन मीटर प्रतिदिन प्राकृतिक गैस की सप्लाई कर रहा है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) सदैव गैस के उपयोग का प्रयास किया जाता है। परन्तु निम्नलिखित मामलों में गैस को जला दिया जाता है :—

(1) विभिन्न संस्थापनों में थोड़ी बहुत मात्रा में ऐसी कम दाब वाली गैस जिसका कम खर्च पर परिवहन नहीं किया जा सकता।

(2) विकास/परीक्षण उत्पादन के आधार तल क्षेत्रों से उत्पादित गैस।

(3) जब कुओं में निरन्तर उत्पादन परीक्षण किए जाते हैं।

(4) जब उपभोक्ताओं द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को बताई गई मात्रा से गैस की कुल खरीद कम की जाती है।

लोको संगचल कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही

2049. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको संगचल कर्मचारियों की तमाम मांगें पूरी कर दी गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त मांगों तथा उनके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सम्भवत: आशय भूतपूर्व रेल मंत्री द्वारा 13-8-73 को संसद् में दिये गये उस वक्तव्य से है जिसमें लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों

के सम्बन्ध में आश्वासन दिये गये थे । विभिन्न आश्वासनों के बारे में की गयी कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) अगस्त, 1973 में हड़ताल के कारण हुए सेवा भंग को रेलवे द्वारा माफ कर दिया गया और इस आन्दोलन के दौरान अनुपस्थिति की अवधि को अर्जित अथवा अर्जित होने वाली छुट्टी में समायोजित कर दिया गया।

(ii) (क) मई-अगस्त, 1973 के आन्दोलनों के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को, सिवाय उनके जिनके विरुद्ध तोड़-फोड़, रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने और अहिंसा के आरोप थे, रिहा कर दिया गया ।

(ख) सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि तोड़-फोड़, हिंसा अथवा रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने से भिन्न अपराधों के सम्बन्ध में भारत सुरक्षा नियम के अधीन जारी किये गये आरोप-पत्र वापस ले लिये जायें। रिहा किये गये कर्मचारियों को काम पर वापस ले लिया गया है।

(iii) मई-अगस्त, 73 की हड़ताल के कारण परावर्तन, निलम्बन और नौकरी से हटाये जाने की कार्रवाई नवम्बर, 1973 के अन्त तक रद्द कर दी गयी और विवादास्पद मामले इस प्रयोजन के लिये नियुक्त लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को भेज दिये गये।

(iv) मई-अगस्त, 1973 के आन्दोलनों से सम्बन्धित प्रशासनिक किस्म के आरोप-पत्र वापस ले लिये गये; विवादास्पद मामले लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की उप-समिति को भेज दिये गये।

नोट.—जहां तक उपर्युक्त (iii) और (iv) के अधीन विवादास्पद मामलों के बारे में उप-समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध है, रेलवे राज्य मंत्री ने जो कि लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति के अध्यक्ष हैं, इन पर विचार किया है और अब तक जिन मामलों की पुनरीक्षा करके जो निर्णय किये गये गये हैं, उन पर अमल करने के लिए रेलों को कहा जा चुका है।

(v) करार के अनुसार लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति ने कर्मचारियों से सम्बन्धित 3 अन्य शिकायतों की भी जांच की और इनमें से दो शिकायतों अर्थात् (i) 'समान काम के लिए समान वेतन'—फायरमैन और शंटरों के संदर्भ में—और (ii) डाक्टरी दृष्टि से अशक्त कर्मचारियों को वेतन का संरक्षण, को 16/17 सितम्बर, 1974 को हुई लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत उप-समिति की बैठक में अन्तिम रूप दिया गया । तीसरी शिकायत मील भत्ते के भुगतान के आधार को तर्कसंगत बनाने से सम्बन्धित है और इस बारे में यह विनिश्चय किया गया था कि इस पर लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति की अगली बैठक में आगे विचार किया जायेगा।

बिहार में रेलों का विद्युतीकरण

2050. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार ने बिहार में रेलों का विद्युतीकरण करने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में छिद्रण-कार्य

2051. **श्री नुरुल हुडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तथा विशेषकर असम के जिलों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जा रहे छिद्रण-कार्य संबंधी समय सारिणी क्या है;

(ख) इस क्षेत्र में तेल के पाये जाने की क्या सम्भावनायें हैं; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अतिरिक्त अन्य कौन सी एजेन्सियां इस कार्य में लगी हैं तथा क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) 1975-76 से 1978-79 के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का 161 कुएं एवं उत्तरपूर्वी क्षेत्र में विभिन्न संरचनाओं पर 5 लाख 53 हजार मीटर खुदाई करने का विचार है । इनमें से 146 कुंए तथा 4 लाख 87 हजार 8 सौ मीटर की खुदाई असम के जिलों में करने की योजना है ।

(ख) रुद्र सागर, लकवा तथा गेलेकी पर वाणिज्यिक तेल पहले ही प्राप्त हो गया है । लखमनी, असगुरी, बोरहोल्ला तथा चराली में तेल की संभावनाएं प्राप्त हुयी हैं । तथापि कार्य चल रहा है ।

(ग) भारत में तेल अन्वेषण कार्य में लगी हुई दूसरी मुख्य कंपनी आयल इंडिया लि० है । असम में नाहरकटिया तथा मोरन नाम के अपने दो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्रों के संसाधनों का विकास करने तथा उनकी सीमा को प्रमाणित करने के अतिरिक्त इसने विगत तीन वर्षों के दौरान तेनगासाट, नगाजन, जोराजन तथा ताराजन क्षेत्रों (सभी असम में) एवं अरुणाचल प्रदेश खरसंग पर तेल के लिए गहन अन्वेषण कार्य हाथ में लिया है ।

क्षेत्र में तेल के लिए कोई विदेशी एजेंसी कार्य नहीं कर रही है ।

चक्रधरपुर-चांडिल सेक्शन में दुर्घटनायें

2052. श्री **सरोज मुखर्जी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर चांडिल सेक्शन में ब्लाक सिगनल प्रणाली में परिवर्तन किये जाने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में दक्षिण-पूर्व रेलवे के संयुक्त महा सचिव से कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मानिकुई से चांडिल तक का खंड जिस पर गाड़ी-संचलन स्वचल ब्लाक सिगनल-व्यवस्था के अन्तर्गत होता है, एक वक्र पर पड़ता है । यह अभ्यावेदन किया गया था कि स्वचल ब्लाक सिगनल-व्यवस्था वक्र वाले रेल पथ के लिए उपयुक्त नहीं ह, और इसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं । यद्यपि गार्डों और लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन के कारण, इस उप खंड पर स्वचल ब्लाक प्रणाली के बदले पूर्णतः ब्लाक प्रणाली अपनाली गयी थी, तो भी पिछली हड़ताल के बाद वह प्रणाली फिर अपनाली

गयी और उसके बाद 2 और दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अतः उनका विचार था कि आगे और दुर्घटनाएं न होने देने के लिए ऐसे वक्र वाले खंडों पर से स्वचल ब्लाक सिगनल व्यवस्था हटा लेनी चाहिए।

(ग) स्वचल ब्लाक सिगनल व्यवस्था अपने में, गाड़ी संचलन की एक अत्यन्त सुरक्षित व्यवस्था है और इसे अत्यन्त व्यस्त दोहरी लाइन वाले खंड पर अपनाया जाता है रेल पथ में वक्रता होने से गाड़ी-संचालन की इस प्रणाली से संरक्षा-तत्व में कोई कमी नहीं आ जाती है। इस खंड पर जो दुर्घटनाएं हुई हैं, वे ड्राइवरों द्वारा सामान्य एवं सहायक नियमों को अपेक्षाओं का पूर्णतः अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप हुई हैं। सिगनलों का स्थान-परिवर्तन, अतिरिक्त टेलीफोन संचार की व्यवस्था और जिन स्थानों पर वक्रों तथा कटानों के कारण गार्ड और ड्राइवर के बीच सिगनल-विनिमय में कठिनाई होती है, वहां उनके बीच सिगनल विनिमय से सम्बन्धित नियम को हटा देने जैसे कुछ सुधारों की व्यवस्था की जा चुकी है। साथ ही, चेतावनी के बतौर, ड्राइवरों को स्वचल ब्लाक सिगनल व्यवस्था वाले खंडों पर गाड़ी संचालन में नियमित रूप से गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

वर्ष 1974 के दौरान बिना टिकट यात्रा

2053. श्री **सुखदेव प्रसाद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर, 1974 तक रेलों में कुल कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुये पकड़े गये; और

(ख) उनसे जुर्माने के रूप में कुल कितनी धन राशि वसूल की गई तथा बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध अपने अभियान को अधिक तेज करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारतीय रेलों पर बिना टिकट या गलत टिकटों से यात्रा करते हुए 16,11,947 व्यक्ति पकड़े गये।

(ख) रेलवे की जुर्माने की 136.90 लाख रुपये की रकम के अलावा उनसे अदालती जुर्माने की 12.43 लाख रुपये की रकम वसूल की गयी।

बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए जो उपाय किये जा रहे हैं या जिन्हें और तेज करने का विचार है, वे इस प्रकार हैं:—

(1) बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर विशेष व्यापक जांच की जाती है जिसमें टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को भारी संख्या में लगाया जाता है और बिना टिकट यात्रा करने वाले पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग चलाये जाते हैं।

(2) राज्य सरकारों से सहयोग करके बिना टिकट यात्रा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया जाता है।

(3) बिना टिकट यात्रा करने के विरुद्ध जनता में खासकर विद्यार्थी समुदाय में शैक्षणिक प्रचार किया जाता है।

(4) बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध चलाये जाने वाले अभियानों के साथ रेल मंत्रालय में कार्यरत गैर सरकारी स्थायी स्वैच्छिक सहायता समिति का सहयोग दिया जाता है ।

भारत द्वारा तेल उत्पादक देशों में तेल की खोज

2054. डा० **कर्णी सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) किन-किन तेल उत्पादक देशों में भारत को तेल की खोज की सुविधा प्रदान की गई है ;

(ख) प्रत्येक देश ने यह सुविधा किन-किन शर्तों पर प्रदान की है; और

(ग) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ईरान (अपतटवर्ती) और इराक (तटवर्ती) में तेल के लिए अन्वेषण कर रहा है।

(ख) ईरान में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी (एन० आई० ओ० सी०) यू० एस० ए० के फिल्पस तथा इटली के ए० जी० आई० पी० के साथ संयुक्त उद्यम में साम्य का 1/6 रखती है । आयोग को, अन्वेषण/ईराक में विशिष्ट क्षेत्र में पेट्रोलियम के उपयोग और उस में से उत्पादित पेट्रोलियम के विपणन आदि के लिए, ईराक नेशनल आयल कम्पनी (आई० एन० ओ० सी०) को विशिष्ट तकनीकी, वित्तीय तथा वाणिज्यिक सेवाएं देनी है । वाणिज्यिक खोज तथा उत्पादन के परिणामस्वरूप सारी लागत आई० एन० ओ० सी० से वसूल की जाएगी और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को, रियायती "गारंटी युक्त विक्री मूल्य" पर क्षेत्र से उत्पाद किए हुए अशोधित तेल की कुछ विशिष्ट मात्राओं को खरीदने के अपने अधिकार के जरिए अपनी सेवाओं के लिए, भुगतान किया जाएगा।

(ग) ईरान में दो तेल क्षेत्र "रोस्तम" और "राकश" खोजे गए हैं । रोस्तम क्षेत्र से वाणिज्यिक तेल उत्पादन सितम्बर, 1969 में और राकश से मई, 1971 में आरंभ हो चुका है । ईरान में सर्वेक्षण चल रहा है और आयोग द्वारा शीघ्र प्रथम कुएं की खुदाई करने की संभावना है ।

Companies registered and liquidated in Madhya Pradesh during 1974

2055. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of companies with a capital of more than Rs. 10 lakhs registered in Madhya Pradesh during the year 1974; and

(b) the number of companies with a capital of more than Rs. 10 lakhs liquidated in the State during the year, 1974?

The Deputy Minister in the Ministry of Law. Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) Twenty one companies limited by shares having an authorised capital of more than Rs. 10 lakhs each were registered under the Companies Act, 1956, in the State of Madhya Pradesh during the year 1974 (January to December, 1974).

(b) No company having paid-up capital of more than Rs. 10 lakhs went into liquidation or was struck off under Section 560(5) of the Companies Act, 1956, dnring the year 1974 (January to December 1974).

रेलवे को वर्ष 1975 में कोयले की सप्लाई की स्थिति में सुधार

2056. **श्री आर० के० स्वामीनाथन :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या रेलवे को वर्ष 1975 में कोयले की सप्लाई की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी और फरवरी, 1975 में रेलवे का कुल कितने कोयले का नियतन किया गया ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी और फरवरी, 1975 में इंजनों के कोयले का दैनिक औसत लदान इस प्रकार रहा :—

महीना	बड़ी लाइन के चौपहिये माल डिब्बों में इंजन के कोयले का दैनिक औसत लदान
1	2
जनवरी, 1975	1887
फरवरी, 1975 (18-2-75 तक)	1867 (अनन्तिक)

Dischgrge of Casual Labourers of Bihpure and Mansi section of Samastipur Division (North Eastern Railway)

2057. **Shri G.P. Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the casual labourers who were working for a long time on Bihpur and Mansi Sections of Samastipur Division in North Eastern Railway were discharged and instead of reappointing them new persons have been appointed;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to check the arbitrary actions and bungling of the concerned officer and conduct an enquiry in the matter?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) & (c) Do not arise.

विशाखापत्तनम किराण्डुल रेल लाईन की क्षमता

2058. श्री **नीतिराज सिंह चौधरी:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) विशाखापत्तनम किरान्डुल रेल लाईन की क्षमता कितनी है और उसके कितने प्रतिशत का उपयोग हो रहा है;

(ख) इस लाईन को सार्वजनिक माल की ढुलाई और यात्रियों के आवागमन के लिये क्यों नहीं खोला गया है; और

(ग) इस लाईन को हानि हो रही है अथवा लाभ; यदि हां, तो क्या ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय जिन ब्लाकों पर बिजलीकरण का काम हो रहा है, उसे देखते हुए इस खण्ड पर प्रति दिन औसतन 10 गाड़ी चलाने की प्रभावी क्षमता है और उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है।

(ख) इस खण्ड पर अतिरिक्त लाइन क्षमता के अभाव, में हिन्दुस्तान एरनाटिक्स लिमिटेड फेक्टरी, सुनबेदा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और रेलों के भण्डार को छोड़कर यात्री और अन्य माल यातायात के लिए इस खण्ड को इस समय खोलना सम्भव नहीं है ।

(ग) यह लाइन लाभप्रद है और इससे लगभग 13% का प्रतिफल मिल रहा है।

अगरतल्ला में उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश

2059. श्री **बीरेन दत्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी उच्च न्यायालय की अगरतल्ला बैंच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थायी तौर पर नियुक्ति के लिए त्रिपुरा से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) त्रिपुरा बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने इस आशय का एक संकल्प पारित किया है और उसकी प्रति हाल ही में प्राप्त हुई है।

(ख) वर्तमान व्यवस्था, जिसके अनुसार गोहाटी उच्च न्यायालय की सर्किट बैंच अगरतल्ला में कार्य करती है, संतोषप्रद समझी गयी है।

Proposal to convert Kharkhari Halt into Full fledged Station

2060. **Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convert the Kharkhari (U.P.) halt into a full-fledged railway station;

(b) the average number of passengers who board trains from Kharkhari and of those who alight there;

(c) the revenue receipts of the Railways during 1973-74 from Kharkhari Station; and

(d) whether Government have received any representation from the public in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) There is no station by the name of Kharkhari halt in U.P. Presumably, the reference is to Sunehti Kharkhari halt on Northern Railway. It is not proposed to convert it into a flag station at present.

(b) The number of passengers booked during the year from Sunehti Kharkhari halt is 99936. The number of passengers alighting at the halt during the year was near about the same.

(c) The earnings during the year 1973-74 from Sunehti Kharkhari halt are Rs. 50,814/-.

(d) Yes.

Supply of Oil by Arab Countries

2061. **Shri Janeshwar Misra :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state whether Arab Countries have adopted different criteria for the supply of oil to developed and developing countries and if so the facts thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi): No, Sir.

रेलवे द्वारा माल डिब्बों की आवश्यकता के बारे में निर्णय

2062. श्री **भागीरथ भंवर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे द्वारा माल डिब्बों की दीर्घावधि आवश्यकताओं के बारे में कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा की गई कार्यवाही की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यातायात की मांग पूरी करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 1,00,000 माल डिब्बों (चौपहिय के हिसाब से) प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही 50,925 माल डिब्बों (चौपहिये के हिसाब से) के लिए आर्डर दे दिये गये थे । और आर्डर आवश्यकतानुसार यातयात के वास्तविक रूप से मिलने और धन के उपलब्ध होने के आधार पर दिये जायेंगे । इन आर्डरों से सम्बन्धित माल डिब्बों की खरीद की उपयुक्त व्यवस्था धन की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है / अथवा की जाएगी ।

अगले पांच वर्षों के दौरान माल डिब्बों की मांग

2063. श्री **निम्बालकर**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले पांच वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा वैगनों की मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांग को रेलवे का किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) यातयात की मांग पूरी करने के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 1,00,000 माल डिब्बों (चौपहिये के हिसाब से) प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू में ही 50,925 माल डिब्बों (चौपहिये के हिसाब से) के लिए आर्डर दे दिये गये थे । और आर्डर आवश्यकतानुसार यातयात के वास्तविक रूप

से मिलने और धन के उपलब्ध होने के आधार पर दिये जायेंगे । इन आर्डरों से सम्बन्धित माल डिब्बों की खरीद की उपयुक्त व्यवस्था धन की उपलब्धता के अनुसार की जा रही है अथवा की जायेगी।

अनिवार्य (एसोशियल) औषधियों के ब्राण्ड नामों का समाप्त किया जाना

2064. श्री के० मालन्ना :

श्री सतपाल कपूर :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाथी समिति की सिफारिशों के अनुसार सरकार अनिवार्य औषधियों के ब्राण्ड नामों को क्रमिक रूप से समाप्त करना चाहती है;

(ख) क्या सरकार ने देश के औषधि उद्योग के सम्पूर्ण ढांचे में भारी परिवर्तनों की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ सरकार ने श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भैसज उद्योग पर एक समिति की नियुक्ति की है :—

(1) इस उद्योग द्वारा की गई प्रगति तथा उसके द्वारा उपलब्ध स्तर की जांच करना।

(2) सरकारी क्षेत्र मूल औषधों और सूत्रयोगों के निर्माण में और अनुसंधान तथा विकास कार्य में अग्रणी हों, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

(3) औषध उद्योग की तीव्र गति से विकास करने की सिफारिश करना और विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्र की सिफारिश करना । समिति अपनी सिफारिश करते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि उद्योग का क्षेत्रीय फैलाव संतुलित हो।

(4) इस उद्योग में नवीन औद्योगिकी का प्रवाहित करने के लिए वर्तमान प्रबन्ध की जांच करना, और उस के लिए सिफारिशें करना।

(5) औषध के प्रभावी गण नियंत्रण के लिए तथा इस संबध में लघु उद्योग के एककों की सहायता लेने के लिए उपाय की सिफारिश करना।

(6) उपभोक्ताओं के लिए औषध मूल्यों को कम करने के लिए अब तय किये गये उपायों का निरीक्षण करना, और मूल औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को युक्ति संगत बनाने के लिए जो उपाय आवश्यक हों उन उपायों की सिफारिश करना ।

(7) आम जनता के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आप घरेलू उपचारों और आवश्यक औषधों की व्यवस्था करने के लिए उपायों की सिफारिश करना ।

(8) विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र के लिए मूल औषधों और कच्चे माल का उचित विवरण सुनिश्चित करने के लिए सांस्थानिक और अन्य प्रबन्धों की सिफारिश करना ।

समिति द्वारा अपनी पूर्ण रिपोर्ट अप्रैल, 1975 तक प्रस्तुत कर देने की आशा है ।

समिति की गुण नियंत्रण पर रिपोर्ट की स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

ग्राम जनता विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधों तथा ग्राम घरेलू दवाइयों की व्यवस्था के लिए उपाय जिनमें औषधों के ब्राण्ड नामों का प्रतिस्थापन औषधों में किया जाएगा, के बारे में हाल ही में समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा सरकार के विचाराधीन है।

नकली औषधियों के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें

2065. **श्रीमति पार्वती कृष्णन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नकली औषधियों के बारे में हाथी समिति ने अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) हाथी कमेटी ने मई, 1974 में औषधों के गुण नियंत्रण एवं सम्बद्ध विषयों पर अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(ख) औषधों के गुण नियंत्रण एवं सम्बन्धित विषयों पर औषध एवं भेषज उद्योग पर समिति की सिफारिशों का सारांश 25 फरवरी, 1975 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर में दिया गया है।

(ग) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय के परामर्श से रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

सुपर फास्फेट तथा फासफेटी एसिड के निर्माताओं के पास आयातित रोक फास्फेट

2066. श्री **लालजी भाई:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर फास्फेट के अधिकांश प्रयोक्ता और फास्फेटी अम्ल के निर्माता राक फास्फेट का आयातित स्टाक अपने पास रखे हुए हैं जिस के परिणामस्वरूप देश में निर्मित रांक फास्फेट की बिक्री कम हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो देश में ही निर्मित राक फास्फेट की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : इस समय देश की कुल आवश्यकता से राक फास्फेट का देशी उत्पादन कम हो जाता है और मांग तथा सप्लाई के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सम्भव मात्रा तक उसका आयात करने की व्यवस्था की जाती है। बहुत से फास्फैटिक फर्टिलाइजर उत्पादक को दोनों आयातित और देशज राकफास्फेट मिलते हैं। हाल ही में, राजस्थान के झमारकोटरा क्षेत्र में देशीय राक के कुछ संचय हो जाने की रिपोर्ट की गई है और जिस उत्पादन की पहले प्रत्याशा की गई थी उससे अधिक उत्पादन होने के कारण मुख्यतः ऐसा हुआ और अब देशीय राक का इस्तेमाल करने में उर्वरक निर्माताओं ने तकनीकी कठिनाई का सामना किया। देशीय उपलब्ध राक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कोशिश की जा रही है।

बारामूरा में अग्रेतर खुदाई का बन्द किया जाना

2067. श्री **शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के बारामूरा क्षेत्र में अग्रेतर खुदाई बंद कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या करण हैं;

(ग) क्या त्रिपुरा में उस क्षेत्र में पाई गई प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) त्रिपुरा में बारामुरा संरचना पर प्रथम कूप के व्यधन करते समय, गैस के कुछ संस्तर पाए गए। कूप का परम्परागत परीक्षण किया जा रहा है। इस कूप तथा खोदे जाने वाले अन्य कूपों से उत्पादन आंकड़े प्राप्त हो जाने पर, इस संरचना के गैस के भंडारों के बारे में अनुमान लगाना संभव हो सकेगा और जिस पर गैस का वाणिज्यिक उपयोग निर्भर करेगा।

रेल विभाग द्वारा केरल सरकार को देय राशि

2068. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग द्वारा केरल सरकार को 120 लाख रुपये की राशि देय है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने राशि का शीघ्र भुगतान करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नयाटिंकारा से रेलवे प्रतिष्ठानों का स्थानान्तरण

2069. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे अधिकारियों द्वारा नयाटिंकारा से कुछ रेलवे प्रतिष्ठानों के स्थानांतरण करने के विरुद्ध केरल में नयाटिंकारा नगर पालिका में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में उस क्षेत्र के लोगों की आशंकाओं के बारे में वास्तविक तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, नेय्याटिंकारा से कार्यकारी इंजीनियर के कार्यालय को अन्यत्र ले जाने बन्द करने के विरुद्ध नेय्याटिंकारा नगर परिषद् से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। लेकिन, फिलहाल, ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज लिमिटेड द्वारा हल्दिया में रासायनिक संयंत्र की स्थापना

2070. **श्री टुना उराव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड को हल्दिया में रासायनिक संयंत्र स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और परियोजना की रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को दो आशय पत्र जारी किए जा चुके हैं और प्रत्येक निम्नलिखित मद के समक्ष दो क्षमताओं के लिए उनका निर्माण करने के लिए हल्दिया में नए यूनिटों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

क्रम सं०	निर्माण की मद		क्षमता
1.	कास्टिक सोडा	33,000 मीटरी टन	वर्ष
2.	सोडियम ट्रिपोलि फोसफेट	30,000 मीटरी टन	वर्ष
	सलफ्यूरिक एसिड	54,000 मीटरी टन	एस०टी०पी०पी के निर्माण करने में कैप्टिव प्रयोग के लिए।
	फासफेरिक एसिड	19,500 मीटरी टन	

कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर ने इन परियोजनाओं के लिए हल्दिया में 200 एकड़ भूमि का अस्थायी आवंटन किया है। पार्टी से पूंजीगत माल का आयात करने और विदेशी सहयोग यदि कोई हो, के प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जाती है।

पश्चिम बंगाल की औषध तथा फार्मास्यूटिकल्स फर्मों में संकट

2071. **श्री टुना उराव :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में स्थित औषध तथा फार्मास्यूटिकल्स फर्में संकट का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फर्मों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किन किन फर्मों ने सरकार से अनुरोध किया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अखिल भारतीय उत्पादक संगठन ने भेषज तथा औषध निर्माण उद्योग समिति को एक ज्ञापन दिया है जिसमें पूर्वी क्षेत्र के भेषज एककों को कच्चे माल की सप्लाई, विद्युत-शक्ति एवं गैस की कमी, वित्तीय दबावों आधारभूत रसायनों की आवश्यकता, आधारभूत साधनों आदि की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। आशा है कि यह समिति अप्रैल, 1975 तक अपनी रिपोर्ट दे देगी। इसके अतिरिक्त कई एककों से कच्चे

माल की कमी, वित्तीय कठिनाइयों तथा अलाभकर उत्पादन, बिजली की कमी आदि के मामले में शिकायतें/सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

Scheme to construct sheds on small stations

2072. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme for construction of sheds on small railway stations in the near future;

(b) whether Government have also any scheme for planting maximum number of shady trees on small railway stations between Bhusawal and Itarsi on the Central Railway; and

(c) if so, the time by which these schemes are proposed to be implemented and the expenditure likely to be incurred thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Provision of waiting halls/waiting sheds is a basic amenity which has been provided at all the stations of Indian Railways for use of waiting passengers.

Provision of cover over the platform is an additional amenity for the use of waiting passengers and such works are provided after taking into consideration the number of passengers offering at a particular station and climatic conditions. These works are included in the annual Works Programmes in consultation with the Zonal Railway Users' Amenities Committee, with which public opinion is associated and according to availability of funds.

(b) Planting of shady trees at stations is one of the basic amenities which has been provided at all the stations of Indian Railways. This applies to the small stations between Bhusawal and Itarsi on the Central Railway as well.

(c) The works selected as per policy outlined in reply to part (a) of the question are included in Railway's annual works programmes and the same are carried out on a programmed basis, within the funds available. A sum of Rs. 3 crores has been allocated for all passenger amenities works on all Indian Railways for 1975-76. As for plantiag of shady trees no separate expenditure is incurred and this is done with the available resources.

Private and Public Limited Companies in Madhya Pradesh

2073. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Law. Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number and names of private and public limited companies operating in Madhya Pradesh and the amount invested in each of them during the last three years, year-wise ; and

(b) the names of companies which have been closed down during this period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : (a) The names of public and private limited companies numbering 528 at work in the State of Madhya Pradesh as on 31-3-1974 together with the investment (paid-up capital) in each of the companies as on 31-3-1973 are given in Statement I. [Placed in the Library. See No. L.T—9076/75] For companies numbering 92 which were registered during 1973-74, the authorised capital have been shown.

(b) 24 companies, 8 each during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 were reported to have ceased functioning by either going into liquidation or being struck off under Section 560(5) of the Companies Act, 1956, in the State of Madhya Pradesh. The

names of these companies are given in Statement II annexed. [Placed in the Library. See No. L.T.—9076/75).

Setting up of petrol and diesel pumps in rural areas of Madhya Pradesh

2074. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether no petrol and diesel oil pumps have been set up in the rural areas of East Nimar District in Madhya Pradesh where petrol and diesel can be sold in large quantity; and

(b) if so, why the rural areas are being discriminated against in this matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) : (a) IOC has seven retail outlets, IBP two and Burmah Shell eight in the East Nimar District of Madhya Pradesh. Most of these retail outlets cater to the needs of the surrounding rural areas.

(b) There is no discrimination against rural areas in the setting up of retail outlets. New retail outlets are set up based on commercial consideration of the oil companies like the sales pontential and the Oil Companies' representation in the area, availability of suitable sites and product, financial justification etc.

Inadequate Wagon Allotment to Madhya Pradesh

2075. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of railway wagons allotted to Madhya Pradesh Government was much less in comparison to the number of wagons demanded ;

(b) if so, the reasons for allotting inadequate number of wagons to the State Government ;

(c) whether as a result of allotting inadequate number of wagons to the State during the months of September, October and November, 1974 sufficient quantity of foodgrains could not be supplied to the draught and famine affected areas of the State ; and

(d) if so, the total demand of wagons for the said months and the reasons for not meeting the demand of the State Government ?

The Deputy Minister in the Minister of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

Allotment of Cooking Gas Agencies to War Widows

2076. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government had decided that the agencies of cooking gas would be given only to the widows of the soldiers killed during the war ; and

(b) if so, the number of such widows, State-wise to whom the agencies of cooking gas have been given during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C.P. Majhi) :

(a) No Sir. From December, 1971 to 31st December, 1973, all agencies of the IOC were being awarded to the disabled defence personnel, widows/dependants of those killed or missing in action and ex-servicemen on the recommendations of the Director General of Resettlement, Ministry of Defence.

From 1-1-1974, 25% of the IOC's agencies are being reserved/awarded to the persons belonging to Scheduled Castes/ Tribe and the balance allotted under the Defence Scheme mentioned above.

(b) The total number of all widows who have been allotted cooking gas agencies during the last three years, Statewise, is as under :—

1. U.P.	30
2. Haryana	7
3. Punjab	2
4. Rajasthan	5
5. Delhi	21
6. Gujarat	8
7. Madhya Pradesh	8
8. Bihar	12
9. West Bengal	8
10. Assam.	4
11. Meghalaya	1
12. Tamil Nadu	9
13. Karnataka	6
14. Kerala	7
15. Andhra Pradesh	7
TOTAL :	135

Restrictions on Enrolment of new customers for Cooking Gas

2077. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether restrictions have been imposed on enrolling new customers of cooking gas in view of the shortage of petroleum in the country ; and

(b) if so, the policy being followed in regard to allotment of fresh agencies and the reasons why new agencies for Indane are being allotted even now ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemcials (Shri C.P. Majhi) : (a) The demand from the existing customers of Burmah Shell, Caltex and H.P.C., is already adequate considering their total product availability of LPG. As such and where there is a limitation of product availability, oil companies do not enrol new customers. These companies enrol new customers only when there is some rearrangement of markets and they can ensure supply of gas to the new customers on a sustained basis. IOC continues to enrol new customers in markets where additional gas can be made available and open new markets where it has plans to develop the facility.

(b) New agencies for Indane Gas are created only when additional product and when marketing facilities become available in line with IOC's prospective plan for development of LPG marketing in the country.

काश्मीर मेल और श्रीनगर एक्सप्रेस गाड़ी के साथ कन्दरोरी स्टेशन पर डिब्बे जोड़ने का प्रस्ताव

2078. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर मेल और श्रीनगर एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ उत्तर रेलवे के कन्दरोरी स्टेशन से कालका, दिल्ली और नई दिल्ली के लिये सीधे डिब्बे जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो डिब्बे संभवतः किस तिथि से जोड़े जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जोनल रेलवे में संचालन अनुपात (ऑपरेटिंग रेश्यो) में ह्रास

2079. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन सी जोनल रेलवे में संचालन अनुपात का ह्रास हुआ;

(ख) क्या रेलवे के कार्यकरण में इस गतिरोध के लिये उत्तरदायी मामलों की जांच करने हेतु कोई विश्लेषण किया गया है; यदि हां, तो विश्लेषण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) सम्बन्धित जोनल रेलवे के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि अब तक कोई विश्लेषण नहीं किया गया है तो क्या इसे शीघ्र ही किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें आवश्यक ब्यौरा दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों में निम्नलिखित रेलों के परिचालन अनुपात में जिन वर्षों में ह्रास हुआ है वे उन रेलों के सामने दिया गया है। (प्रत्येक मामले में पूर्ववर्ती वर्ष से तुलना की गयी है) :--

रेलवे	वर्ष
मध्य	1973-74
पूर्व	1971-72 और 1973-74
उत्तर	1972-73 और 1973-74
पूर्वोत्तर	1973-74
पूर्वोत्तर सीमा	1971-72 और 1973-74
दक्षिण	1972-73 और 1973-74
दक्षिण मध्य	1972-73
दक्षिण पूर्व	1972-73 और 1973-74
पश्चिम	1972-73 और 1973-74

(ख) सभी क्षेत्रीय रेलों के संचालन की समीक्षा, जो 1971-72 और 1972-73 में की गयी थी, उससे मालूम हुआ है कि विभिन्न रेलों के परिचालन अनुपात में ह्रास होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :--

1. **आय में कमी** : उद्योगों और रेलवे द्वारा सेवित क्षेत्रों में छुट-पुट 8 हड़तालें और बन्ध (पूर्व और दक्षिण), छुट-पुट कर्मचारी आंदोलन (पूर्व और दक्षिण पूर्व) तथा लोको कर्मचारियों का आंदोलन जिसमें सामूहिक अनुपस्थिति शामिल है (दक्षिण), मुल्की और मुल्की-विरोधी आंदोलन (दक्षिण मध्य,

दक्षिण और दक्षिण पूर्व), बाढ़ों और भारी वर्षा से यातायात का अस्त-व्यस्त हो जाना आदि (पूर्व, पूर्वोत्तर सीमा, दक्षिण और पश्चिम), सूखे की स्थितियां (दक्षिण मध्य और पश्चिम) और बिजली की कटौती (दक्षिण और दक्षिण पूर्व रेलें)।

II. उन कारणों से खर्च में वृद्धि जो रेलवे के नियंत्रण से बाहर है:--

(i) अन्तरिम सहायता का भुगतान।

(ii) रनिंग भत्तों की दरों में संशोधन।

(iii) कोयले, डीजल तेल, और बिजली तथा भण्डार की मुख्य मदों के मूल्य में वृद्धि।

(iv) बाढ़ों के कारण प्रोढ़भूत क्षतियों के कारण रेल पथ की मरम्मत तथा कुछ रेलों पर कानून और व्यवस्था की स्थितियों के कारण उन पर गश्त के कारण अधिक खर्च।

वर्ष 1973-74 के दौरान अलग-अलग रेलों के संचालन की समीक्षा अभी विस्तृत रूप से नहीं की गयी है। अतः उस वर्ष विभिन्न रेलों के परिचालन अनुपात में ह्रास के ठीक-ठीक क्या कारण हैं निश्चित नहीं किये जा सकते। फिर भी, मोटे तौर पर, तीन कारणों से, अर्थात् राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, कर्मचारियों के अनुशासन में गिरावट, वेतन आयोग की उन सिफारिशों का प्रभाव जिन्हें सरकार ने स्वीकार किया और उदार बनाया, 1973-74 में रेलों की वित्तीय स्थितियों में अत्यधिक अन्तर आया।

(ग) परिचालन अनुपात में ह्रास के लिए सर्वाधिक प्रभावी ऐसे कारण हैं जो रेलों के नियंत्रण से बाहर थे। फिर भी, उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित समीक्षा के सन्दर्भ में, ऐसे क्षेत्र जहां सुधार सम्बन्धी कामों, जैसे चल-स्टाक की मरम्मत, दावों की क्षतिपूर्ति और ईंधन की खपत की दर में सुधार की गुंजाइश है, सम्बन्धित रेलों का ध्यान दिलाया गया है ताकि उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा रेलों पर मितव्ययिता के विभिन्न उपाय किये गये हैं।

इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स द्वारा कुछ पार्टियों को डी० एम० टी० छिप्टियों की बिक्री

2080. **श्री मधु लिमये: क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इडियन आर्गेनिक केमिकल्स ने कुछ पार्टियों को आयात नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन करते हुए 14 मीटरी टन डी०एम०टी० छिप्टियां (चिप्स) बेची हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कम्पनी के विरुद्ध सरकार का क्या दन्डात्मक कार्यवाही करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० द्वारा आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1947 की धाराओं का उल्लंघन करने के प्रश्न पर मुख्य आयात निर्यात नियंत्रक द्वारा विचार किया जा रहा है।

हसनपुर सकरी मीटर गेज लाइन्न को बड़ी लाइन में बदलना

2081. **श्री भोगेन्द्र झा: क्या रेल मंत्री** बाराबंकी-समस्तीपुर और समस्तीपुर-दरभंगा लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में 3 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2900 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अधीन हसनपुर--सकरी मीटर गेज लाइन

को बड़ी लाइन में बदलने के लिये विस्तृत अनुमान इस बीच पूरा कर लिया गया है और उस पर मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण की समय-सूची सहित उस की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हसनपुर–सकरी नयी मीटर लाइन (न कि मीटर लाइन से बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन) का विस्तृत अनुमान तैयार कर लिया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस नयी लाइन की लम्बाई 74.90 किलोमीटर है और इस पर 5.96 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। अनुमान की मंजूरी मिलने के बाद लगभग तीन वर्ष में यह लाइन पूरी हो जायेगी।

(ग) नयी लाइन की इस योजना के लिए भूमि की लागत और परियोजना के मिट्टी सम्बन्धी काम की लागत वहन करने में बिहार राज्य सरकार के भागीदार बनने की आशा है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति दे लेकिन अभी उनका अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

खरोता स्टेशन पर भोजपुर शटल गाड़ी के यात्रियों पर हमला

2082. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री खरोता स्टेशन पर भोजपुर शटल गाड़ी के यात्रियों पर हमले के बारे में 10 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के एक हरिजन विधायक, श्री लोक नाथ आजाद, भी उन व्यक्तियों में थे जिन्हें खून बहने वाली चोटें लगी थीं;

(ख) क्या पहचान परेडें आयोजित करके इस बीच हमलावरों की पहचान कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो दोषी जांच अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे क्वार्टरों में सुविधायें

2083. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे क्वार्टरों में रेल कर्मचारी प्रकाश और सफाई के बगैर उसी पुरानी स्थिति में रह रहे हैं?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं। जिन स्थानों पर बिजली उपलब्ध है, वहां बनाये गये सभी नये रेलवे क्वार्टरों में निर्माण के समय ही बिजली लगा दी जाती है। जिन स्टेशनों पर बिजली उपलब्ध है, वहां बने हुए अनेक पुराने क्वार्टरों में बिजली लगायी जा चुकी है और उपलब्ध धन को देखते हुए बाकी के पुराने क्वार्टरों में बिजली लगाने के लिए निरन्तर व्यवस्था कर रही है।

जहां तक सफाई का सम्बन्ध है, विभिन्न टाइप के क्वार्टरों के लिए निर्धारित आवास-मान के अनुसार ही क्वार्टरों का निर्माण किया जाता है और उनमें अलग-अलग स्नानघर और शौचालय जैसी सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था रहती है। जिन कुछ पुराने क्वार्टरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनमें भी एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसकी व्यवस्था की जा रही है।

Theft of Bundles of Newspapers at Delhi Railway Station

2084. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have seen press reports that bundles of newspapers were stolen due to negligence of Railway Officials at Delhi Railway Station during the last week of January, 1975 ; and

(b) if so, Government's reaction thereto and the measures taken to prevent recurrence thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) : Yes, press report dated 29-1-75 in 'Jan Yug', Hindi Newspaper of New Delhi, has come to the notice of the Government. Enquiries have revealed that there was no theft of bundles of newspapers due to negligence of railway officials at Delhi/New Delhi Station during the month of January, 1975. However, in one case an ex-employee of the Current Weekly took delivery of a consignment containing copies of Current Weekly from the Parcel Office, New Delhi Railway Station and misappropriated the consignment. A case No. 28 dated 28-1-75 under Section 420 Indian Penal Code has been registered by New Delhi Railway Police and is under their investigation. Measures to prevent thefts of consignments from Parcel Offices already exist and will be strengthened, where necessary.

आसाम में कछार जिले में ड्रिलिंग की योजना

2085. **श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के कछार जिले में ड्रिलिंग करने की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) जी हां। भूभींय मानचित्रों के आधार पर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने असम के कछार जिले के चरगोला, मासिमपुर, कंचनपुर संरचनाओं पर व्यधन कार्य के लिए स्थान दिये हैं। चरगोला में व्यधन कार्य के लगभग एक वर्ष में आरम्भ होने की आशा है।

1 जनवरी, 1974 और 31 जनवरी, 1975 के बीच हुए लोक सभा के उप निर्वाचन

2086. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1974 और 31 जनवरी, 1975 के बीच लोक सभा के कितने उप-निर्वाचन किन-किन राज्यों में हुए तथा उनके परिणाम किन-किन तारीखों को घोषित किये गये थे और किन-किन दलों ने निर्वाचन जीते?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्वाचन क्षेत्र की सं० और नाम	मतदान की तारीख	परिणाम की घोषणा की तारीख	उस दल का नाम जिसने निर्वाचन जीता
1. आसाम	1—कछार	24-2-1974	26-2-1974	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
2. बिहार	51—खूंटी (अ०ज०जा०)	23-2-1974	26-2-1974	झारखंड पार्टी
3. कर्नाटक	2—गुलबर्गा	21-4-1974	24-4-1974	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4. मध्य प्रदेश	12—जांजगीर (अ०जा०)	24-2-1974	26-2-1974	इंडियन नेशनल कांग्रेस
	22—जबलपुर	19-1-1975	21-1-1975	निर्दलीय
5. महाराष्ट्र	6—मुम्बई सेण्ट्रल	13-1-1974	14-1-1974	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
	20—रामटेक	13-1-1974	15-1-1974	निर्दलीय
6. तमिलनाडु	18—कोयम्बटूर	24-2-1974	27-2-1974	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी
7. उत्तर प्रदेश	5—बिजनौर	निर्विरोध	10-5-1974	इंडियन नेशनल कांग्रेस
	56—इलाहाबाद	10-7-1974	11-7-1974	भारतीय क्रांति दल
8. पांडिचेरी	पांडिचेरी	24-2-1974	25-2-1974	अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

लेबल पर लगे मूल्यों से अधिक पर औषधियों का बेचा जाना

2087. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इस समय किसी न किसी बहाने उपभोक्ताओं को अधिकांश औषधियां लेबल पर निर्माताओं द्वारा लगाए गए मूल्यों से अधिक में बेची जा रही हैं;

(ख) क्या फुटकर विक्रेताओं का कहना है कि थोक विक्रेताओं और निर्माताओं ने मूल्यों में संशोधन किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी तथा उपभोक्ताओं को औषधियां आसानी से सुलभ करेगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उपबन्धों के अन्तर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत और औषध निर्माताओं या

औषध आयातकर्ताओं द्वारा उपलब्ध की गई मूल्य-सूची विक्रेता द्वारा उपभोक्ता से ठीक मूल्य प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र है। प्रत्येक फुटकर विक्रेता से अपेक्षा की जाती है कि वह मूल्य सूची को अपने व्यापार-स्थल पर प्रदर्शन करे ताकि यदि कोई ग्राहक चाहे तो इसको देख सके।

सूत्रयोगों की बिक्री पैकिटों पर छपे मूल्यों पर सुनिश्चित करने हेतु, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1170 का संशोवन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अब आदेश में संशोधन करने का निर्णय कर लिया गया है।

सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति गठित की है। इस समिति के विचाराधीन विषयों में अन्य विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित भी सम्मिलित है :—

"जन साधारण विशेषत: ग्रामीण क्षेत्र निवासियों के लिए अनिवार्य औषधियां एवं आम घरेलू औषधियां उपलब्ध करवाने के उपायों की सिफारिश करना।"

गरीबों को कानूनी सहायता देने सम्बन्धी व्यापक योजना

2088. **श्री के० लकप्पा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबों को कानूनी सहायता देने हेतु व्यापक योजना के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार द्वारा कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी नहीं

(ख) कानूनी सहायता विषयक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विचार। करने से यह प्रकट होता है कि यह सिफारिश की गई है कि एक अखिल भारतीय निकाय का गठन किया जाए जिसका नाम राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण होना चाहिए। इस विषय में अन्तिम निर्णय राज्य सरकारों से, जिनका प्रस्तावित स्कीम के कार्यान्वयन से बहुत अधिक संबंध है और जिनसे इस विषय में निवेदन किया जा चुका है, विचार प्राप्त होने और उनका विश्लेषण करने के पश्चात् ही लिया जा सकेगा। उसको ध्यान में रखते हुए, सरकार के लिए कोई ऐसी निश्चित तारीख बताना मुश्किल होगा जिस तक इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जाएगा।

उर्वरकों की कमी

2089. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की कमी है;

(ख) क्या उर्वरकों के उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि करने के लिये हाल में कोई विशेष उपाय किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका स्वरूप क्या है तथा उनका क्या परिणाम निकाला?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुसार, 1974-75 के दौरान उर्वरकों की उपलब्धता सस्य विज्ञान की आवश्यकताओं से कुछ कम थी।

(ख) और (ग) अनेक उपायों जैसे नवीकरण, कठिनाईयां दूर करने में उर्वरकों आदि को विद्यमान एककों में उर्वरकों का अधिकतम उत्पादन करने के लिए किया है। किया जा रहा है। इसके अलावा बड़े पैमाने के कार्यक्रमों को सरकारी, गैर सरकारी और सहकारिता क्षेत्र में रसायन उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए देशीय क्षमता बढ़ाने के वास्ते कार्यान्वित किया जा रहा है। पहिले से कार्यान्वयनाधीन परियोजना के पूर्ण होने और कार्यान्वियन के लिए स्वीकृत उसके पूरा होने पर उर्वरकों का निर्माण करने की क्षमता जोकि इस समय 19.39 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 5.6 लाख मी०टन पी$_2$ ओ$_5$ है, लगभग 65 लाख मी० टन नाइट्रोजन और 17 लाख मी०टन पी$_2$ ओ$_5$ तक वृद्धि होगी।

कच्चे तेल की आवश्यकतायें

2090. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान देश में कच्चे तेल की आवश्यताओं के बारे में कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) देश में इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, हां। तथापि मूल्यों में तीव्र वृद्धि और सीमित विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के कारण 1974-75 के दौरान अशोधित तेल के लगभग 21 मिलियन मीट्रिक टन की कुल उपलब्धता के लिए योजना संभव हो पाई है।

(ख) देश में 1974-75 के दौरान देशी अशोधित तेल के उत्पादन का लगभग 7.5 मिलियन मी० टन का अनुमान है।

कच्चे तेल का आयात करने के लिए तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा देना

2091. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कितनी मात्रा के लिए प्रत्येक तेल कम्पनी को विदेशी मुद्रा दी गयी;

(ख) प्रत्येक को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(ग) सरकार द्वारा आवंटित विदेशी मुद्रा से प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा वास्तव में कितना कच्चा तेल आयात किया गया; और

(घ) उनमें से कुछेक द्वारा कम कच्चा तेल आयात करने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) 1974-75 के लिये अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

कम्पनी का नाम	वह मात्रा जिसके लिए विदेशी मुद्रा दी गई थी (मी० टनों में)	दी गई विदेशी मुद्रा की रकम (रुपये लाखों में)	वास्तविक आयातित मात्रा (मी० टन में)
1. बर्माशेल	304,7246	18,084.88	2813,099
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	2904,786	16,570.96	2728,339
3. काल्टेक्स .	1225,964	6,942.23	1088,341
4. मद्रास रिफाइनरीज लि० .	2457,680	16,340.38	2329,306
5. इंडियन आयल कारपोरेशन लि० . .	4685,647	31,360.428	4678,778

नोट :—उपरिलिखित आंकड़ों में जनवरी—मार्च 1975 के अस्थायी आंकड़े शामिल हैं।

(घ) वास्तविक कच्चे तेल का आयात कुछ कंपनियों द्वारा मांगे गए एफ०ओ०बी० की दरों में हुई वृद्धि भाड़े की दरों में अन्तर आयातित वास्तविक कच्चे तेल गुरुत्वराअन्तर मुद्रा दरों में अन्तर आदि के सदृश विविध तथ्यों के कारण कम हुआ था।

विदेशी औषध फर्मों के लाइसेंस रोकना

2092. श्री बी० वी० नायक :
श्री शंकर राव सावन्त :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :
श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य कुछ विदेशी औषध फर्मों के ल इसेंस रोक लिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) मैसर्स वोरोग्स वैल्कम द्वारा सक्सीनाइल क्लोराइड की क्षमता का विस्तार करने और मैसर्स सी०ई० फुलफोर्ड द्वारा जेन्टामाइसीन का निर्माण करने के मामलों पर लाइसेंसिंग समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है क्योंकि समिति को पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के विचार उपलब्ध नहीं हुए थे।

वर्ष 1974-75 में मंजूर की गई नई रेल लाइनें

2093. **श्री वी०वी० नायक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974 75 में कौन-कौन सी नई रेल लाइनें मंजूर की गई;

(ख) उनमें से कितनी लाइनें राष्ट्रीय राजपथों के समानान्तर थीं और कितनी 'रेडियल' थीं और ऐसी लाइनों के नाम क्या हैं; और

(ग) मंजूरी के मामले में इनमें से किस प्रकार की लाइनों को प्राथमिकता दी जाती है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1974-75 के दौरान निम्नलिखित नयी रेलवे ला नों की मंजूरी/अनुमति दी गयी :—

	किलो मीटर
1. रोहतक--भिवानी (बड़ी लाइन)	49.30
2. झंझारपुर--लोकाहा बाज़ार (मीटर लाइन)	42.30
3. नडिकुडे—बीबीनगर (बड़ी लाइन)	153.00
4. मुरादाबाद और रामपुर से रामनगर और काठगोदाम तक बड़े आमान की रेल लाइनें (बड़ी लाइन)	168.66
5. वांसपानी--जखपुरा (बड़ी लाइन) . . .	150.00
6. हसनपुर--सकरी (मीटर लाइन)	74.90
7. धर्मनगर—कुमारघाट (मीटर लाइन) इसका निर्माण उत्तर पूर्वी परिषद् के खर्च पर किया जायेगा	34.00
8. जिस क्षेत्र में पहले शाहदरा--सहारनपुर लाइट रेलवे चला करती थी उसमें एक बड़ी लाइन	161.00

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित कोई भी रेलवे लाइन राष्ट्रीय राजमार्गों के समानांतर नहीं चलती सिवाय नडिकुडे—बीबीनगर और शाहदरा--सहारनपुर लाइनों के जो थोड़ी-थोड़ी दूरी तक राजमार्गों के समानांतर चलती हैं।

(ग) किसी परियोजना की मंजूरी के लिए अग्रता देने का मानदण्ड यह नहीं है कि कोई नयी रेलवे लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग के समानांतर चलती है या नहीं।

न्यायालयों में लम्बित मामलों का पुनर्विलोकन

2094. **श्री वी० वी० नायक** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में न्यायालयों में लंबित मामलों का पुनर्विलोकन करती है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा कौन करता है; और

(ग) क्या देश में न्याय प्रशासन के बारे में कोई वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और यदि हां, तो किसके द्वारा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) संविधान के अधीन "न्याय-प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सब न्यायलयों का गठन और संघटन" राज्य विषय है । यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में वार्षिक प्रशासन रिपोर्ट का प्रकाशन स्वयं करें या अपने उच्च न्यायालयों के जरिये करायें । जहां तक उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों का संबंध है, उनका पुर्नविलोकन संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों द्वारा किया जाता है और लम्बित मामलों की एक अर्द्ध-वार्षिक विवरणी न्याय विभाग को प्रस्तुत की जाती है ।

हाइड्रो कार्बन आफ इंडिया द्वारा ईराक में तेल अन्वेषण

2095. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगा देव :
श्री रघुनन्दन लाल भटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाइड्रो-कार्बन आफ इंडिया को ईराक में तेल के अन्वेषण के लिये कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तेल अथवा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल अन्वेषण के बारे में अब तक ईराक के साथ कोई बातचीत की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) ईराक के निश्चित क्षेत्र में तेल अन्वेषण के लिये तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ईराक नेशनल आयल कंपनी के साथ समझौता किया है । आयोग स्वयं ही भारत में भूमि तथा अपतट क्षेत्र पर तेल अन्वेषण कार्यों में तेजी से लगा हुआ है । अतः ईराक उद्यम के कार्यभार को हाईड्रोकार्बन इंडिया (प्राइवेट) लि० को जो कि इसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, सौंपने का आयोग ने प्रस्ताव रखा है । सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है ।

गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के पास उर्वरकों का इकट्ठा होना

2096. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री पी० गंगा देव :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी के पास 30,000 मीटरी टन उर्वरक जमा हो गये हैं;

(ख) क्या इतनी मात्रा में उर्वरक जमा होने का देश के किसी अन्य भाग में भी समाचार मिला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कम्पनी ने सूचित किया है कि उसके पास लगभग 1500 मीट्रिक टन माल या जिसे साल के इस भाग के लिये अधिक नहीं कहा जा सकता ।

(ख) और (ग) : अन्य प्रमुख उर्वरक एककों में से किसी ने अधिक संचल की रिपोर्ट नहीं की है यद्यपि विपणन में कठिनाइयों की कुछ रिपोर्ट सामने आई है ।

उड़ीसा के समुद्र तट पर तेल अन्वेषण

2097. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के समुद्र तट पर तेल अन्वेषण के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा कितनी अवधि के पश्चात् अन्वेषण कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० मांझी) : (क) और (ख) उड़ीसा के कुछ भागों और पश्चिम बंगाल के महाद्वीपीय शैल्फ तट में तेल अन्वेषण के लिये नटोमस-कार्ल्सवर्ग ग्रुप को एक ठेका दिया गया है । ठेकेदार द्वारा क्षेत्र का भूकम्पीय भूपरीक्षण पूरा किया गया है और विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण शीघ्र पूरे होने की संभावना है ।

मैसर्ज शेरिंग द्वारा फुलफोर्ड (इंडिया) को अपने नियंत्रण में लिया जाना

2098. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स शेरिंग, एक बड़ी अमरीकी फार्मास्युटिक्ल फर्म द्वारा फुलफोर्ड (इंडिया) को अपने नियंत्रण में लिये जाने के संबंध में पंजीकरण कर लिया गया है ;

(ख) क्या इस संबंध में नियमों का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) से (ग) कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली जो अभी तक भारत से बाहर विनिगमित की गई कम्पनियों और भारत में व्यापार का स्थान स्थापित कर रही है, से सम्बन्धित रजिस्ट्रार है, ने सूचित किया है कि शेरिंग एशिया जी० एम० बी० एम० पश्चिम बर्लिन की भारत के बम्बई में व्यापार का स्थापित स्थान रखने वाली एक कम्पनी है । इस कम्पनी ने 31-12-1973 तक अपने भारतीय व्यापार के विषय में अपना अन्तिम तुलनपत्र लाभ और हानि लेखा प्रस्तुत किया है और उससे यह प्रकट नहीं होता है कि इसका शेयरों में कोई निवेश है या अन्यथा 31-12-1974 तक कम्पनी के कथित व्यापार के तुलनपत्र या लाभ और हानि लेखे अभी तक कम्पनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

सी०ई० फुलफोर्ड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1913 के अन्तर्गत मार्च, 1948 में विनिगमित कम्पनी है । मैसर्स शेरिंग एशिया जी०एम०बी०एच० द्वारा फुलफोर्ड (इंडिया)

प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों के किसी अधिग्रहण हेतु एफ० ई०आर० के उपबन्धों का अनुपालन अपेक्षित है जिसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मैसर्स सी० एफ० फुलफोर्ड को जारी किये गये लाइसेंस का रद्द किया जाना

2099. **श्री मधु दंडवते :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सी०एफ० फुलफोर्ड को, जो कि एक विदेशी औषध कम्पनी है, जारी किया गया लाइसेंस रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस यूनिट को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है । कम्पनी का आवेदन विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं ।

निर्वाचन सुधारों के लिये समाजवादी दल की ओर से प्राप्त ज्ञापन

2100. **श्री मधु दंडवते :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाजवादी दल द्वारा निर्वाचन-सुधारों के संबंध में निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किये गये ज्ञापन की एक प्रति सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने उनको क्रियान्वित करने के बारे में कोई कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) समाजवादी दल के महामंत्री से प्राप्त एक टिप्पण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है । **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या** एल०टी०-9077/75]

(ग) सरकार इसके पूर्व भी कह चुकी है कि इस विषय में उसका कोई पूर्वाग्रह नहीं है और वह राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करेगी ।

तेल अन्वेषण के लिये विदेशी कम्पनियों का सहयोग

2102. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन सी विदेशी कम्पनियां तथा कौन से राष्ट्र तट पर तथा तट से दूर तेल के अन्वेषण के लिये भारत के साथ सहयोग दे रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक अपनी कितनी पूंजी तथा विशेषज्ञ लाने को सहमत हुए हैं;

(ग) क्या कार्य आरम्भ करने तथा उसे पूरा करने के बारे में उनके साथ कोई कार्यक्रम निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) तटवर्ती तेल अन्वेषण में कोई विदेशी सहयोग नहीं है । उपतटवर्ती अन्वेषण के लिये बंगाल थाल हेतु कार्ल्सबर्ग इंडिया ग्रुप और कच्छ थाल के लिये रीडिंग एंड बैटिस ग्रुप के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(ख) से (घ) उक्त दो ठेकों की मुख्य शर्तें तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर में 23 जुलाई, 1974 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं ।

डब्ल्यू० एच० ब्राडी एंड कम्पनी

2103. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री निदेशक मंडल द्वारा डब्ल्यू० एच० ब्राडी एण्ड कम्पनी की बिक्री के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4774 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाल्टारी प्रापर्टी एंड कम्पनी में डब्ल्यू० एच० ब्राडी एंड कम्पनी के शेयरों के संबंध में बिक्री हेतु नये सिरे से विज्ञापन दिया गया है तथा क्या उनकी इस बीच बिक्री कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा कितने मूल्य पर और क्या उस राशि को भारत में ब्राडी एंड कम्पनी के खाते में जमा कर दिया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी, मैसर्स डब्ल्यू०एच० ब्राडी एंड कम्पनी लिमिटेड द्वारा धारित डाल्टन प्रोपर्टीज कम्पनी लिमिटेड के 1788 शेयरों के बिक्री के लिये नये सिरे से विज्ञापन दिये गये थे और उसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव तीन कम्पनियों से 43 लाख रु० में सम्पूर्ण ढेर को खरीदने के लिये प्राप्त हुए, नामशः मैसर्स डालमियां सीमेंट (भारत) लिमिटेड, मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड और मैसर्स उत्कल इन्वैस्टमेंट्स लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372(4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का मैसर्स डालमियां सीमेंट (भारत) लिमिटेड और मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड द्वारा डालटन प्रोपर्टीज कम्पनी लिमिटेड के क्रमशः 894 और 700 शेयरों को क्रमशः 21.50 लाख रु० तथा 16,83,445 रु० में खरीदने का अनुमोदन प्राप्त किया गया था । आवश्यक अनुमोदन 11 फरवरी, 1975 को दिया गया था । शेष 194 शेयर मैसर्स उत्कल इन्वैस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा 4,66,555 रु० में खरीदे जाने थे । सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है कि क्या शेयरों को बेच दिया गया है और राशि को मैसर्स डब्ल्यु०एच० ब्राडी एंड कम्पनी लिमिटेड में जमा करा दिया गया है ।

कुछ निर्माताओं द्वारा जनता साबुन का उत्पादन

2104. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 100 ग्राम वाली 1.05 रु० प्रति टिक्की का जनता साबुन बनाने हेतु निर्माताओं के संगठित क्षेत्र की कुछ क्षमता का आरक्षण करना असफल सिद्ध हुआ है ;

(ख) क्या देश में मुख्य निर्माता हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा जनता साबुन के रूप में तैयार किये गये 'सरल' साबुन की किस्म ऐसी थी कि वह उत्पादन आरम्भ से ही असफल सिद्ध हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) नहाने के साबुन को कम मूल्य पर उपलब्ध करने के लक्ष्य के साथ साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्र को सुगंधमय पदार्थों के प्रयोग में तथा पैकिंग सामग्री में किफायत करने एवं कुल 65 प्रतिशत तक या उससे अधिक चर्बी युक्त सामग्री के साथ 100 ग्राम की टिकिया के लिये 1 रुपये से 1.05 रुपये तक पर बेचे जाने वाले जनता नामक साबुन का उत्पादन करना था। उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा न करने के बारे में हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के सरल सहित जनता नामक साबुन के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । संगठित क्षेत्र को जनता नामक नहाने के साबुन को 19 सितम्बर, से जबकि आजतक साबुन प्राप्त करने के लिये अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण को हटा लिया गया था, 3—6 महीने के अन्तर्गत बाजार में प्रस्तुत करना था। इसके अतिरिक्त उद्योग को नहाने के साबुन के कुल उत्पादन के 25 प्रतिशत के स्तर तक जनता नामक नहाने के साबुन को उत्पादित करना था तथा यह स्तर लगभग 11,000 मी० टन प्रतिवर्ष तक निर्धारित था। आज तक उद्योग के संगठित क्षेत्र द्वारा जनता नामक नहाने के साबुन का प्राप्त किया गया उत्पादन स्तर संतोषजनक है।

ट्रिशन शिपिंग कारपोरेशन के विरुद्ध कोचीन रिफाइनरीज द्वारा मुकदमा दायर किया जाना

2106. **श्री शशि भूषण : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने अमरीका की ट्रिशन शिपिंग कारपोरेशन के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड ने न्यूयार्क की जिला कोर्ट में न्यूयार्क न्यायालय के एक निगम मैसर्स ट्रिशन शिपिंग इन्क० और उनके आठ अन्य प्रमुख निगमों, जिनके लिये ट्रीशन एजेन्ट के रूप में काम कर रहे थे के विरुद्ध मालसंविदा कान्ट्रेक्टर के उल्लंघन से हुई कमियों के लिये दावा दायर किया है ।

पारादीप फर्टीलाइजर प्रोजेक्ट का चालू किया जाना

2107. **श्री अर्जुन सेठी : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पारादीप फर्टीलाइज़र प्रोजैक्ट को शीघ्र चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि देश में निरन्तर आर्थिक संकट और विदेशी मुद्रा की रिजर्व की स्थिति भी ठीक न होने के कारण संयंत्र के चालू करने में विलम्ब होने वाला है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पारादीप फर्टिलाइज़र प्रोजैक्ट उन प्रायोजनाओं में से है जिसका पांचवीं योजना की अवधि में सिद्धांत रूप में सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वयन किया जाना अनुमोदित कर दिया गया है। वित्तीय तथा अन्य व्यवस्थाओं के जुटाये जाने पर इस प्रायोजना को कार्यान्वित किया जायेगा।

जखपुरा बांसपानी लाइन के जबरी छुट्टी प्राप्त श्रमिकों की पुनः नियुक्ति

2108. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री कटक-परादीप रेल लिंक (दक्षिण पूर्व रेलवे) पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की छंटनी के बारे में 17 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4784 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबरी छुट्टी प्राप्त कितने श्रमिकों को इस बीच जखपुरा-बांसपानी लाइन पर पुनः नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि किसी श्रमिक को पुनः नियुक्त नहीं किया गया तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल गाड़ी सेवाओं को निलम्बित करने के कारण रेलवे को हो रही हानि

2109. **श्री अर्जुन सेठी** :

चौधरी राम प्रकाश :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक रेलगाड़ी सेवाओं को निलम्बित करने के परिणामस्वरूप हो रही हानि के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कितनी हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) अलग-अलग गाड़ियों से होने वाली यात्री आमदनी का लेखा अलग से नहीं रखा जाता। फिर भी, जिन गाड़ियों का चलना बन्द कर दिया गया है उनमें से अधिकांश गाड़ियां थोड़ी दूरी तक चलने वाली या शाखा लाइनों पर चलने वाली हैं इसलिये, इसके फलस्वरूप आमदनी में भारी कमी होने की संभावना नहीं है।

विदेशी तेल कम्पनियों को शोधक कारखानों द्वारा क्षमता से कम काम किया जाना

2110. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे तेल शोधक कारखाने क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं क्योंकि भारत में काम कर रही विदेशी तेल कम्पनियों को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में सरकार का इरादा स्पष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो गत 6 महीनों के दौरान बर्मा शैल तथा कालटैक्स तेल शोधक कारखाने किस सीमा तक क्षमता से कम काम करते रहे हैं; और

(ग) उन अवधि में इन तेल शोधक कारखानों में बेकार पड़े संयंत्रों तथा मशीनरी के कारण उत्पादन की कितनी हानि हुई तथा यदि कोई क्षति हुई हो तो वह कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) आयातित अशोधित तेल के मूल्यों में तीव्र तथा विदेशी मुद्रा की सीमित उपलब्धता के कारण कुछ तटीय शोधनशालाओं को कम स्तर पर कार्य करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप क्षमता का कम उपयोग हुआ।

(ख) और (ग) बर्मा शैल एवं कालटैक्स शोधनशालाओं का सामान्य परिचालन स्तर क्रमशः 3.75 मिलियन मी० टन एवं 1.25 मिलियन मी० टन है। उपरोक्त स्तरों की तुलना में जुलाई-दिसम्बर, 1974 के दौरान बर्मा शैल तथा कालटैक्स शोधनशालाओं ने क्रमशः 1.65 मिलियन मी० टन एवं 0.51 मिलियन मी० टन तेल साफ किया। अतः इस अवधि के दौरान संयंत्र एवं मशीनरी बिना कार्य के नहीं रही।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा 'बल्क' औषधियों की कीमतों में कटौती की मांग

2111. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित 'बल्क' औषधियों की कीमतों में कटौती की मांग करने वाली विदेशी औषध कम्पनियों ने राज्य व्यापार निगम से स्टाक उठाने से मना कर दिया है और उसके परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम के पास इन वस्तुओं का स्टाक जमा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1974 तथा जनवरी, 1975 के अन्त में राज्य व्यापार निगम के पास औषधियों का कितना जमाव हो गया है; और

(ग) विदेशी औषधि कम्पनियों की ऐसी पद्धतियों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम ने बताया है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा प्रमुख भेषजों तथा मध्यवर्ती भेषजों को धीरे-धीरे उठाया जाता है। 31-12-74 तथा 31-1-1975 को उनके पास जितना स्टाक जमा होने की सूचना मिली है उसका मूल्य क्रमशः 480 लाख रुपये तथा 441.36 लाख रुपये था। ऋण-नियंत्रण के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर बैठक में भेषज उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक विचार-विमर्श किया गया था जिसमें बैंकिंग विभाग, राजस्व तथा बीमा विभाग, व्यापार विकास महानिदेशालय, (भारतीय) भेषज नियंत्रक, राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय भेषज एवं औषध निर्माण लि० के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। उसमें यह स्पष्ट किया गया था कि यदि वर्तमान ऋण-उद्योग के संबंध में विस्तार से बताया जायेगा और उस ऋण के औचित्य को अच्छी प्रकार से सिद्ध किया जायेगा तो किसी भी कम्पनी को बैंकों द्वारा आवश्यक ऋण दिया जा सकता है।

पटना जंक्शन को नया रूप दिया जाना

2112. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना जंक्शन को नया रूप दिये जाने के बारे में सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पटना जंक्शन पर अतिरिक्त याता-यात सम्हालने के लिये अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इस काम पर अनुमानतः 55 लाख रुपये की लागत आयेगी । पूर्व रेलवे इस काम की योजनाओं और अनुमानों को अन्तिम रूप दे रही है ।

(ग) इस काम के लिये 1975-76 के बजट में 5 लाख रुपये की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

कम्पनी कानून बोर्ड

2113. **श्री हरि किशोर सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी कानून बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या कम्पनी कानून बोर्ड के कुछ सदस्यों का स्वतन्त्र तथा पृथक दर्जा नहीं है बल्कि वे कम्पनी कार्य विभाग के अभिन्न अंग हैं और उस के अनुसेवी हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार कम्पनी कानून बोर्ड में व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों के नाम हैं :—

श्री के० के० रे०, अध्यक्ष

श्री सी० बालासुब्रामणियम, सदस्य

श्री पी० बी० मैनन, सदस्य

श्री ए० चौधरी, सदस्य।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष कम्पनी कार्य विभाग के सचिव हैं और कम्पनी विधि बोर्ड के सब सदस्य, कम्पनी कार्य विभाग में संयुक्त सचिव हैं । लेकिन कम्पनी विधि बोर्ड के सदस्यों के रूप में, अपने कार्य-निर्वहन में अन्य के "अनुसेवा" नहीं हैं, तथापि कम्पनी विधि बोर्ड शक्तियों का प्रयोग करने और कार्य-निर्वहन में केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन हैं ।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड के अध्यक्ष और दो सदस्य कानून में व्यावसायिक योग्य है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तट से दूर गहरे समुद्र में खुदाई करने की योजना

2114. **श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री एस० ए० मुरगनन्तम :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बम्बई के गहरे समुद्र में तेल की खुदाई में सफलता को देखते हुए गहरे समुद्र में और अधिक खुदाई कार्य आरम्भ करने की योजना है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का तट से दूर गहरे समुद्र में खुदाई करने के लिये रिगों को खरीदने का विचार है अथवा किराये पर लेने का; और

(ग) यदि हां, तो यह रिग किस देश से लिये जायेंगे तथा इन के लिये कितना मूल्य देना होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां--वर्तमान में बम्बई हाई संरचना पर ही।

(ख) जी हां।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक अर्ध-अन्तःसमुद्री चलित व्यधन यूनिट को वर्तमान में किराये पर लेने तथा तत्पश्चात उसको खरीद सकने की छूट पर नार्वे की एक व्यधन कम्पनी को एक आशय-पत्र जारी किया है। वर्तमान में इसकी लागत तथा अन्य ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा। आयोग एक अन्य अपतटीय रिग भी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

लीबिया के शिष्टमंडल की भारत यात्रा

2115. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पुरुषोतम काकोडकर :
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 के प्रारम्भ में लीबिया के किसी शिष्टमंडल ने नई दिल्ली की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा गैस उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) क्या भारत लीबिया में तेल शोधक कारखानों तथा उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी हां।

(ख) लिबियन अरब गणराज्य में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल का अन्वेषण का कार्य अपनाने की संभावनाओं को देखा जा रहा है। लीबियन कच्चे तेल को उर्वरकों के बदले में लेने के प्रत्यन किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

विदेशी औषध उद्योग के विस्तार के विरुद्ध ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स कौंसिल का विरोध

2116. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कौंसिल आफ आल इंडिया मैन्युफैक्चरस आर्गेनाइज़ेशन ने

औषध उद्योग के विदेशी क्षेत्र को और अधिक विस्तार करने की अनुमति देने के बारे में सरकार के निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारतीय औषध निर्माता संगठन ने सरकार को कहा है कि विदेशी तेल कम्पनियों के अनाधिकृत विस्तारित क्षमता को जल्दी में विनियमित नहीं किया जाना चाहिये तथा एक बार हाथी समिति के जांच का पता लग जाने पर सरकार द्वारा इन मामलों तथा अन्य मामलों पर कार्यवाही करना अधिक उपयुक्त होगा। औषधों के अधिक उत्पादन पर सरकार द्वारा अभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा हाथी समिति की रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर निर्णय किया जायेगा ।

दिल्ली मेन और नई दिल्ली स्टेशन से एक ही सीरीज (श्रृंखला) वाली टिकटें जारी किया जाना

2117. **श्री के० मालन्ना :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली मेन और नई दिल्ली स्टेशन से एक ही सीरीज (श्रृंखला) की टिकटें जारी करने का निर्णय किया है ताकि टिकट-धारी इनमें से किसी भी स्टेशन से गाड़ी पकड़ सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, 15 जनवरी, 1975 से बम्बई सेन्ट्रल, हावड़ा और मद्रास सेंट्रल के लिये दिल्ली जंक्शन/नयी दिल्ली से, पहले दर्जे की एक मिली-जुली सीरीज चालू की गयी है । भविष्य में यात्री बिना अतिरिक्त प्रभार दिये इनमें से किसी स्टेशन पर गाड़ी पकड़ सकते हैं।

उर्वरक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उर्वरकों का उत्पादन

2118. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में उर्वरक उत्पादन की अधिष्ठापि क्षमता पृथक-पृथक कितनी है ;

(ख) दोनों प्रकार के क्षेत्रों में वस्तुतः कितनी मात्रा में उर्वरकों का उत्पादन होता है ;

(ग) विदेशों से प्रति वर्ष कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जाता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) उर्वरकों के उत्पादन में हमारे देश द्वारा कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेने की संभावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गनेश) :

(क) और (ख) : (न्युट्रिएन्ट एन एण्ड पी2ओ5 के रूप में '000 मी० टन)

	स्थापित क्षमता				उत्पादन			
	1973-74		1974-75		1973-74		1974-75 (जनवरी 75 तक)	
	एन०	पी०2ओ०5	एन०	पी०2ओ०5	एन०	पी०2ओ०5	एन०	पी०2ओ5
सरकारी क्षेत्र	1128	202	1128	202	534	114	422	91
गैर-सरकारी क्षेत्र .	811	358	853	358	526	209	527	167
कुल . .	1939	560	1981	560	1060	323	949	258

(ग) और (घ) :

	आयातित उर्वरक सामग्री की कुल माला (लाख मी० टनों में)	खर्च की गई राशि (रुपये करोड़ में)
1971-72	20.89	134.94
1972-73	24.99	223.08
1973-74	25.41	276.77

(ङ) बड़े पैमाने वाले उर्वरक कार्यक्रम कार्यान्वयन के अधीन है ताकि देश की उर्वरक आवश्यकताओं को अधिकतम माला तक पूरा करने के लिये उर्वरक उत्पादन के वास्ते देशीय क्षमता को बढ़ाया जा सके।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा मांगी गई अतिरिक्त धनराशि

2119. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष के लिये 255 करोड़ रुपये के अतिरिक्त धनराशि की मांग की है जो गत वर्ष के उस के खर्च से 300 प्रतिशत अधिक है।

(ख) आयोग ने किस प्रयोजन के लिये यह धनराशि मांगी है ;

(ग) क्या इस राशि की मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) क्या सरकार आयोग के खर्च पर निगरानी रखती है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) (क) से (ग) अन्वेषण/ अशोधित तेल के उत्पादन/प्राकृतिक गैस और अनुसंधान कार्यकलापों के लिए 1974-75 के दौरान 184.89 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च की तुलना में तेल तथा प्राकृतिक गस आयोग को 1975-76 के दौरान लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि पर 255.36 करोड़ रुपये के खर्च करने की योजना है । इसमें आयोग की समुद्रपार प्रक्रिया सहित तटवर्ती/उपतटवर्ती प्रक्रिया में वृद्धि का ध्यान रखा गया है।

अपने आन्तरिक संसाधनों से खर्चा पूरा करने के बाद तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का 75 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा आंशिक रूप में तेल उद्योग विकास निधि और आंशिक रूप में सरकार की बजट व्यवस्था से पूरा किया जाएगा ।

(घ) जी हां । केन्द्रीय सरकार आयोग की वित्तीय व्यवस्था पर निम्नलिखित रूप में नियन्त्रण करती है :—

(i) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम 1959 के खण्ड 21(1) (क) के अनुसार आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्ववर्ती स्वीकृति के लिए अपने. वार्षिक बजट प्रस्तुत करता है ।

(ii) उक्त अधिनियम के खण्ड 15 (ख) के अनुसार, आयोग किसी योजना के कार्यान्वयन या प्रस्ताव के लिए जिसमें 50 लाख रुपये से ऊपर खर्चा होता है, केन्द्रीय सरकार से पहले स्वीकृति लेता है।

(iii) उक्त अधिनियम के खण्ड 22(2) के अनुसार आयोग के वार्षिक लेखे, भारत के नियंन्त्रक महालेखापरीक्षक द्वारा परीक्षित है ।

(iv) उक्त अधिनियम के खण्ड 23(1) के अन्तर्गत की गई व्यवस्था और बनाए गए नियमों के अनुसरण में आयोग, केन्द्रीय सरकार को सामयिक खर्चे के विवरण भी प्रस्तुत करता है ।

कर्मचारी रहित रेलवे फाटक

2120. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, जोन वार, कितने रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं, और

(ख) क्या देश में रेलवे फाटकों पर कर्मचारी नियुक्त करने के बारे में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है जिससे रेल दुर्घटनाएं न हों ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय रेलों पर 31-3-1974 को बिना चौकीदार वाले 'सी' श्रेणी के 21,698 समपार थे जिनकी अलग-अलग संख्या नीचे बतायी गयी है :—

मध्य रेलवे	1,073
पूर्व रेलवे	796
उत्तर रेलवे	3,186
पूर्वोत्तर रेलवे	1,879

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1,370
दक्षिण रेलवे	3,128
दक्षिण मध्य रेलवे	2,058
दक्षिण पूर्व रेलवे	3,310
पश्चिम रेलवे	4,898

(ख) समपारों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के लिए बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदार नियुक्त करना ही एक मात्र उपाय नहीं है । फिर भी, समपार पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के उद्देश्य से उनकी रोकथाम के निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) सड़क उपयोगकर्ताओं को इस बात की चेतावनी देने के लिए कि वे रेल पथ को सावधानी पूर्वक पार करें, रेलवे सीमा के अन्तर्गत सभी समपारों के पहुंच मार्गों पर स्पष्ट दीख पड़ने वाले रुक जाने सम्बन्धी पट्ट लगाये गये हैं ;

(ii) आनेवाली गाड़ियों के ड्राइवरों को यह आदेश देने के लिए कि जब गाड़ी बिना चौकीदार वाले समपार की ओर आ रही हो, वे सीटी बजायें, सीटी बजाने सम्बन्धी पट्ट लगाये गये हैं ताकि सड़क उपयोग कर्ताओं को इस बात की चेतावनी हो जाये कि गाड़ी आ रही है ;

(iii) जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित कर ले कि बिना चौकीदार वाले समपारों के सभी पहुंचमार्गों पर सड़क संकेतों की व्यवस्था हो गयी है;

(iv) मोटरवाहन अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकारों ने भी नियम बनाये हैं कि सभी वाहनों के ड्राइवरों के लिए यह आवश्यक है कि वे समपार से कुछ पहले रुक जायें और रेलवे लाइन को इस बात का पता लगाने के बाद पार करें कि दोनों ओर के रेल पथ साफ हैं।

(v) सड़क उपयोग कर्ताओं के बीच संरक्षा की भावना को व्यापक बनाने के लिए शैक्षिक अभियान चलाये गये हैं जैसे आटोमोबाइल एसोसिएशनों से अपील करना, तेज रफ्तार वाले वाहनों के मालिकों/ड्राइवरों को पुलिस प्राधिकारियों के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में पर्चे बांटना, आकाशवाणी, सिनेमा-स्लाइडों द्वारा प्रचार आदि । इसके अलावा, उन समपारों को जहां सड़क और रेल दोनों यातायात भारी मात्रा में होता है । अथवा दृश्यता प्रतिबन्धित होती है, यातायात की अवधिक संगणना या राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारी से अनुरोध प्राप्त होने पर एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चौकीदार वाले समपारों में बदला जा रहा है ।

अतिरिक्त नेफ्था का भंडारण करने के लिये उर्वरक उद्योग को अनुमति देना

*2121. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक उद्योग को अतिरिक्त नेफ्था भंडार करने के लिए अनुमति दी है;

(ख) यह प्रस्ताव किन परिस्थितियों में किया गया;

(ग) क्या इस हेतु उद्योग को पर्याप्त ऋण दिया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो 1974-75 के दौरान इस हेतु कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) इस उद्देश्य के लिए सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

त्रिपुरा में गैस का मिलना

*2122. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में त्रिपुरा में पाया गया गैस-भण्डार भारत में सबसे बड़ा गैस-भण्डार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : त्रिपुरा में वारामूरा संरचना पर प्रथम कुएं की खुदाई में कुछ गैस युक्त संस्तर मिले । कुएं अभिसामयिक परीक्षणाधीन हैं। इस संरचना पर इस कुएं अथवा अन्य कुओं की खुदाई करने पर उत्पादन के आंकड़े प्राप्त होने के पश्चात गैस-भण्डारों की मात्राओं का मूल्यांकन किया जायेगा ।

मद्रास में रेलवे खान-पान सेवा

2123. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन के रेलवे खान-पान सेवा के कर्मचारी अभी भी कमीशन के आधार पर काम कर रहे हैं और उन्हें सेवा में स्थायी नहीं बनाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या मद्रास में यह रेलवे खान-पान सेक्शन लाभ पर चल रहा है; और

(घ) वर्ष 1972-73, 1973-74 और 1974-75 के दौरान इस सेवा द्वारा जी० टी०, हावड़ा मेल, लिंक एक्सप्रेस तथा वृन्दावन एक्सप्रेस में प्रति मास औसतन कितनी बिक्री की गयी तथा कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मद्रास सेंट्रल स्टेशन पर विभागीय खानपान यूनिट में कमीशन के आधार पर इस समय 90 बैरे/वेंडर काम कर रहे हैं । वे पूर्णतः कमीशन के आधार पर काम कर रहे हैं और वे रेल कर्मचारी नहीं हैं । अतः उनको रेलवे पर स्थायी बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) ग्राण्ड ट्रंक एक्सप्रेस और वृन्दावन एक्सप्रेस गाड़ियों में चलने वाले विभागीय भोजन यानों की प्रति मास औसत बिक्री तथा लाभ/हानि इस प्रकार रही :—

		प्रति मास औसत बिक्री	प्रति मास औसत लाभ/हानि
		रु०	रु०
1972-73	जी० टी०	1,48,029	(—) 14,098
	वृन्दावन	33,864	(+) 2,255
1973-74	जी टी०	1,92,750	(—) 7,197
	वृन्दावन	45,302	(+) 2,518
1974-75	जी० टी०	2,57,531	(+) 6,408
	वृन्दावन	61,554	(+) 4,582

हावड़ा-मद्रास मेल और लिंक एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजनयान नहीं लगता ।

Re-shaping of Engines produced by C.L.W.

2124. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Railway engines produced in Chittaranjan Locomotive Factory have been reshaped by fitting 700 horse power diesel machines ;

(b) if so, the amount India used to spend so far on the import of this type of machine ; and

(c) the foreign exchange likely to be saved as a result of their production in the country itself ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Earlier 20 Metre Gauge Diesel Hydraulic Locomotives type YDM1 had been imported in 1955-56 from North British Locomotive Company, England and these locomotives now require replacement of their Paxman Engine. Chittaranjan Locomotive Works is already manufacturing 700 Horse Power MaK Diesel Engines for Diesel Shunters and therefore it has been decided to use Chittaranjan Locomotive Works, built power packs for repowering YDM1 locos. One YDM1 loco has since been equipped with this indigenous engine and another 4 are proposed to be modified during 1975-76.

(b) In 1955-56 these locomotives were imported at a cost of Rs. 5.50 lakhs per locomotive.

(c) The Foreign Exchange saved by re-powering with Chittaranjan Locomotive Works built power-packs is estimated at about Rs. 2.0 lakhs per locomotive. Besides, for maintenance purpose, approximately Rs. 25,000 per loco per annum are expected to be saved.

Demand for Multi-Member Election Commission

2125. **Shri Jagannathrao Joshi** :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Madhavrao Scindia :
Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the circumstances as a result of which demand for multi-member Election Commission is being made in and outside Parliament ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the reasons for continuing with the one-member Election Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) & (b) Government are of the view that no circumstances have arisen which would warrant the conversion of the Election Commission into a multi-member body.

(c) Government are satisfied that the Election Commission as at present constituted is able to perform its functions effectively.

Posts of Parmanent and Additional Judges vacant in Supreme Court and High Court

2126. **Shri Jagannath rao Joshi** :
Shri Atal Bhari Vajpayee :
Shri Hemendra Singh Banera :
Shri Ishwar Chowdhury :

Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of permanent and additional judges lying vacant in various High Courts and the Supreme Court of the country and since when these have been lying vacant ;

(b) the posts which have been lying vacant for the last more than two years and the reasons why these have been lying vacant ;

(c) the number of cases pending in each High Court on account of the aforesaid vacancies have not been filled up ; and

(d) the oldest case among these pending cases and since when it has been pending; and

(e) whether Government will fix a time-limit for filling up these vacancies ?

The Minister of Law, Justice, and Company Affairs (Shri H.R. Gokhale) : (a) & (b) A statement giving the information is attached. **[Placed in the Library. See No.** L.T—9078/75]

(c) It is not possible to bifurcate the pendency of cases on the basis suggested.

(d) A statement giving the available information regarding the year to which the oldest case relates and the particulars thereof is attached.

(e) Government have been continuously making efforts to fill the vacancies as early as possible.

कुकिंग गैस की कमी

2127. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुकिंग गैस की भारी कमी है जिसके कारण बहुत से व्यक्तियों को कुकिंग गैस प्राप्त करने के लिये महीनों प्रतिक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) खाने पकाने के कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल पी जी) की वर्तमान मांग उत्पादन तथा तेल कम्पनियों के विपणन सुविधाओं से कहीं अधिक है । इसके परिणाम स्वरूप नये गैस के कनेक्शनों को प्राप्त करने के लिए लोगों को काफी स्थानों पर पर्याप्त अवधि से प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

(ख) इस समय एल पी जी का उत्पादन केवल शोधनशालाओं में साफ किये गये अशोधित तेल से किया जाता है । अतः इसकी उपलब्धता देश में साफ किये गये सम्पूर्ण अशोधित तेल द्वारा सीमित है । उच्चतम सीमा तक जहां तक प्राद्योगिकी दृष्टि से संभव हो, प्रत्येक शोधनशाला से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं । तथापि उत्पादन में वृद्धि होने के बावजूद अन्य विशिष्ट विपणन व्यवस्थाएं जैसे पर्याप्त भंडार की व्यवस्था, अधिक परिवहन हेतु, विशेष टैंक वैगनों तथा टैंक ट्रकों बोतल संयंत्र, सिलैण्डर एवं बल्व, उपयोग केन्द्रों पर गोदाम तथा विशिष्टीकृत वितरण व्यवस्थाओं आदि, एल पी जी की सप्लाई में वृद्धि करना भी आवश्यक है । हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन सैल तथा कालटैक्स के पास अपने शोधनशालाओं से उत्पादन के स्तर के लिए पर्याप्त विपणन सुविधाएं इस समय उपलब्ध हैं आई ओ सी द्वारा अपनी एल पी जी उपलब्धता तथा विपणन सुविधाओं के विस्तार के लिए विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट तैयार किया गया है । उपरोक्त योजनाओं के अनुसरण में निम्नलिखित कदम पहले ही उठाये गये हैं :—

1. एल पी जी सिलैण्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आई ओ सी ने 5000 मी० टन विशेष किस्म के इस्पात के 5000 मी० टन का पहले ही आयात किया है तथा 1975-76 के अन्त तक अपने गैस सिलैण्डरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एल पी जी इस्पात के 5000 मी० टन का एक नया आयात लाइसेंस भी प्राप्त किया है।

2. कोयाली शोधनशाला से शकूरबस्ती तक प्रपुज एल पी जी के परिवहन को आसान बनाने के लिए संयुक्त स्वामित्व के आधार पर 60 टैंक वैगनों के निर्माण के लिए आई ओ सी ने व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दिया है।

3. 16 टैंक ट्रकों का निर्माण करने के लिए भी आर्डर दिये गये हैं।

4. कानपुर में एक नया बोतल भरने के संयंत्र की योजना है तथा 1975 के मध्य तक इसके कार्य करने की सम्भावना है।

5. शकूरबस्ती पर एल पी जी बोतल भरने के संयंत्र की सुविधाओं का विस्तार करने का कार्य भी प्रगति पर है।

6. कोयाली एवं शकूरबस्ती पर टैंक वैगनों के लिए अतिरिक्त लदान एवं उतारने की सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।

बजवा यार्ड में रेलवे माल डिब्बे से गोला बारूद के पैकजों की चोरी

2128. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के जामनगर अड्डे से मध्य प्रदेश में अम्ला के लिये भेजे गये माल डिब्बे को फरवरी, 1975 के पहले सप्ताह में बड़ौदा–अहमदाबाद सेक्शन के बजवा यार्ड में तोड़कर उसमें से गोला-बारूद के पैकेज निकाल लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने पैकेज निकाले गये ;

(ग) क्या इस मामले में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है; और

(घ) माल डिब्बे की पूरी निगरानी न करने के लिए और उनकी लापरवाही के लिये रेलवे पुलिस दल के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) चार पैकेज बरामद हुए लेकिन 24 कारतूस गायब थे।

(ग) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा 3 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं :—

1. श्री भीका वल्द श्री रामा
2. श्री सोमा वल्द श्री छीटा
3. श्री भीका वल्द श्री मगन बारिया

(घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि माल डिब्बा बजवा में अनियमित रूप से रुक गया जो कि ऐसा स्टेशन है जहां रेलवे सुरक्षा दल का कोई व्यक्ति तैनात नहीं किया गया है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस में बने ए० सी०/डी० सी० बिजली से चलने वाले आधुनिक इंजन

2129. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशाप में अत्यधिक आधुनिक ए० सी०/डी० सी० इंजन बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यात्री गाड़ी और मालगाड़ी दोनों के लिए बने इंजनों की क्षमता क्या है

(ग) क्या इंजन शुद्धतः भारतीय है अथवा उसमें कुछ विदेशी पुर्जे लगे हैं और उसकी उत्पादन लागत क्या है; और

(घ) इन इंजनों को किन जोनों में चलाया जायेगा और इनका अनुमानित वार्षिक उत्पादन कितना होगा और इनके प्रयोग से भारतीय रेलों में कोयले की खपत कितनी कम होगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । चित्तरंजन इंजन कारखाने में डब्ल्यू सी ए एम I टाइप का इंजन बनाया गया है जिसे 1500 वाल्ट डी० सी० और 1000 वाल्ट ए० सी० बिजली की सप्लाई पर चलाया जा सकता है ।

(ख) उस इंजन की कर्षण क्षमता इस प्रकार है :—

सवारी गाड़ी—750 मीटरिक टन 120 किलो मी० प्रति घंटा

माल गाड़ी—3660 मीटरिक टन (बौक्स रेक) गाड़ी 80 किलो मी० प्रति घंटा

(ग) इस इंजन के लिए कुछ विशेष मदों का आयात करना होता है । इस इंजन की अनुमानित लागत लगभग 39 लाख रुपये है ।

(घ) इंजनों को पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद और बम्बई खण्ड के बीच चलाने की योजना है । चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने द्वारा बनाने के लिए कुल आर्डर 53 इंजनों के लिए हैं और 1974-75 में उत्पादित पहले दो इंजनों का परीक्षण हो जाने पर निम्नलिखित के अनुसार उनका उत्पादन होने की सम्भावना है :—

1974-75	—	2
1975-76	—	8
1976-77	—	24
1977-78	—	9
1978-79	—	10
जोड़		53

अहमदाबाद और बम्बई खण्ड पर इन 53 इंजनों के चलाने पर कोयले की खपत में लगभग 2.4 लाख टन प्रति वर्ष कमी होने की सम्भावना है ।

जखपुरा-बासपानी रेलवे लाइन का निर्माण

2130. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जखपुरा—बासपानी लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ किये जाने में अब तक कितनी गति हुई है तथा निर्माण कार्य वास्तव में कब आरम्भ होगा;

(ख) स्थान सर्वेक्षण प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब क्यों हो रहा है;

(ग) स्थान सर्वेक्षण पर अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है तथा अब तक कितने किलोमीटर स्थान का सर्वेक्षण कार्य पूरा हुआ है; और

(घ) क्या इस रेलवे लाइन के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस रेलवे लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण, इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस के 1975 के मध्य में पूरा हो जाने की आशा है। उड़ीसा सरकार से भी इस लाइन के निर्माण की 50 प्रतिशत लागत वहन करने के लिए अनुरोध किया गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने, रिपोर्टों की जांच कर लिये जाने और राज्य सरकार के साथ वित्तीय प्रबन्धों को अंतिम रूप दे देने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

(ख) रिपोर्ट पेश करने में विलम्ब नहीं हो रहा है और सर्वेक्षण का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा।

(ग) सर्वेक्षण पर 1974-75 के अंत तक 7.02 लाख रुपये खर्च होने की प्रत्याशा है। कुल 180 किलोमीटर लम्बाई में से 170 किलोमीटर के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण का क्षेत्र कार्य पूरा किया जा चुका है।

(घ) जी नहीं।

उड़ीसा तट में तेल भंडार

2131. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही उड़ीसा तट में तेल भंडार होने का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो कहां पर और अनुमानतः कितनी मात्रा में; और

(ग) क्या उड़ीसा तट में तेल की खुदाई हेतु प्रारम्भिक कार्य शीघ्र ही शुरू किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उड़ीसा के कुछ भागों और पश्चिमी बंगाल के महाद्वीपीय शेल्फ तट में तेल अन्वेषण के लिए नटोमस-कार्ल्सबरग ग्रुप को एक ठेका दिया गया है। ठेकेदार द्वारा क्षेत्र का भूमि कम्पीय भूभीक्षण पूरा किया गया है और विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण शीघ्र पूरे होने की संभावना है।

मामलों को एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग को सौंपने के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का न होना

2132. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें आयोग ने मामले सौंपे जाने हेतु किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धान्तों अथवा सिद्धान्तों का न होना अपनी प्रभावहीनता का कारण बताया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में, आयोग को मामले निर्देशित करने के लिये किन्हीं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उल्लेख करने का प्रावधान नहीं है, परन्तु उसकी धारा 28, में, केन्द्रीय सरकार तथा आयोग दोनों के लिये, उनके समक्ष अध्याय 3 के अन्तर्गत मामलों पर विचार करते समय, सात मामलों के ध्यान में रक्खे जाने का विशेषाभिवान है। दिनांक 28-11-1972 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य एवं प्रशासन पर प्रथम रिपोर्ट के अध्याय 1 उप-पैरा (ख) (पृष्ठ 1-4) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, एवं यही बात, दिनांक 18 दिसम्बर, 1974 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई, 1973 के कलैण्डर वर्ष की एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के उपबन्धों के कार्यकरण से सम्बन्धित तृतीय वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय 5, पैरा (ग) (पृष्ठ 25-26) में दुहराई गई है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का पांच पृथक डिवीजनों में विभाजन

2133. **श्री राम सहाय पांडे :**

श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

श्री प्रसन्नाभाई मेंहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पांच पृथक डिवीजनों में विभाजित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और प्रत्येक डिवीजन को क्या-क्या कार्य सौंपा जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के वर्तमान ढांचे में ईराक प्रायोजना के अतिरिक्त तटीय क्षेत्रों के लिए तीन प्रदेश और अपतटीय क्षेत्र में एक क्षेत्र है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कार्यो के विकेन्द्रीकरण तथा प्रदत्त शक्तियों के विनियोजन के लिए एक कार्यक्रम कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है ।

उर्वरकों की मांग तथा उत्पादन

2134. क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत वर्ष उर्वरकों की कुल कितनी मांग थी;

(ख) उर्वरकों का कितना उत्पादन की कुल कितना उत्पादन स्वदेश में हुआ तथा विदेशों से कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया;

(ग) क्या इस समय उत्पादन क्षमता के 55 प्रतिशत का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो पूरी उत्पादन क्षमता का उपभोग करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय के अनुसार न्यूट्रिएन्टस के रूप में 1974 के खरीफ और 1974-75 के रबी की फसल के लिए उर्वरक की कृषि संबंधी कुल आवश्यकता का अनुमान 28.22 लाख मीटरी टन एन 9.15 लाख मीटरी टन पी2 औ 5 और 5.24 लाख मीटरी टन के (पोटाश) है ।

(ख) वर्ष 1973-74 में 10.60 लाख मीटरी टन 'एन' और 3.23 लाख मीटरी टन पी2 ओ5 देशीय उत्पादन किया गया तथा 1974-75 में (जनवरी 1975) का 9.49 लाख मीटरी टन 'एन' और 2.58 लाख मीटरी टन पी2 ओ5 का उत्पादन किया गया । पोटास का देशीय उत्पादन नहीं किया जाता । कृषि और सिंचाई मंत्रालय के अनुसार जनवरी-दिसम्बर 1974 में 7.825 लाख मीटरी टन 'एन' 2.042 लाख मीटरी टन पी2 ओ5 तथा 4.218 मीटरी टन पोटाश का आयात किया गया ।

(ग) और (घ) वर्ष 1973-74 में नाइट्रोजन 55% और पी2 ओ 5 की 65% समग्र क्षमता का उपयोग किया गया । क्षमता के कम उपयोग का कारण यह था कि तीन बड़े उर्वरक प्रायोजनाओं अर्थात दुर्गापुर, कोचीन और गोआ ने वर्ष के अंतिम 6 महीनों में उत्पादन आरंभ किया और वे उत्पादन में विशेष योगदान नहीं दे सके । इसके अतिरिक्त, फैक्ट, अलवाइ और सिन्द्री के संयंत्रों की क्षीण अवस्था, नैवेली राउरकेला और सिन्द्री में उपयुक्त किस्म की कच्चे माल की अनुपलब्धता तथा कानपुर और गोरखपुर में बिजली की अपर्याप्त सप्लाई, के कारण सप्लाई की कम उपयोग किया जा सका । दूसरी ओर, और अधिक आधुनिक प्रक्रिया पर आधारित संयंत्रों का कार्य निष्पादन संतोषजनक रहा । क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए नवीकरण, कठिनाइयों को दूर करने, आधुनिकीकरण, आदि जैसे अनेक उपाय किये जा रहे हैं ।

पूर्वोत्तर रेलवे के बाराबंकी समस्तीपुर सेक्शन पर लाइन बदलने की परियोजना का पूरा होना

2135. **श्री मधु लिमये :**

श्री विश्वनाथ राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के बाराबंकी–समस्तीपुर सेक्शन को बदलकर ब्राड गेज करने की प्रयोजना के पूरा होने की मूल तिथि क्या थी;

(ख) क्या निर्माण कार्य क्रमानुसार चल रहा है या परियोजना के कार्यनिष्पादन में विलम्ब हुआ है; ।

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(घ) यह बदलने का कार्य कब तक पूरा होगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस परियोजना को पूरा करने की लक्ष्य तिथि शुरू में जनवरी 1977 निर्धारित की गयी थी ।

(ख) से (घ) सीमित मात्रा में धन उपलब्ध होने के कारण इस परियोजना को पूरा होने में विलम्ब हो जाने की सम्भावना है । इस काम के पूरा होने की तारीख पांचवीं योजना के शेष वर्षों में रेलों को उपलब्ध होने वाले साधनों पर निर्भर करेगी ।

12 LSS/75—8

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पूरी बैंच का वर्ष में एक बार इजलास

2136. **श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की पूरी बैंच का वर्ष में एक बार इजलास लगाने के सम्बन्ध में निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री **(श्री एच० आर० गोखले)** : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Crimes in Railways during 1974-75

2137. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of incidents of thefts, dacoity and loot that took place in railways during 1974-75 indicating the names of the places where they took place and the total number of murders committed as also the names of the places of these murders; and

(b) which of these crimes where detected and the number of culprits challaned indicating the sections of the law under which they were challaned.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :(a) 3524, 112, 216 and 45 cases of theft of passengers' property, dacoity, robbery (loot) and murders respectively were reported on the Railways during 1974-75- (upto January, 1975),

The names of places where they occurred are given in the statement attached. [Placed in the library. See No. L.T.—9079/75]

(b) 264, 21, 17 and 6 cases of theft of Passengers' property, dacoity, robbery (loot) and murders respectively were detected so far.

429, 65, 18 and 7 persons were challaned so far in cases of theft of passengers' property, dacoity, robbery (loot) and murders respectively.

Persons involved in cases of thefts were challaned under Sections 379/411 Indian Penal Code.

Persons involved in cases of dacoity were challaned under Section 395/397 Indian Penal Code.

Persons involved in cases of robbery were challaned under Sections 392/394 Indian Penal Code; and

Persons involved in cases of murders were challaned under Section 302 Indian Penal Code.

Conversion of Ahmedabad—Delhi metre gauge line into broad gauge line

2138. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to convert the Ahmedabad-Delhi metre gauge line into broad guage line;

(b) if so, when;

(c) whether the survey in this regard has been completed and if so, when was it completed; and

(d) the reasons why the work of conversion of this metre gauge line into broad gauge line is not taken up during the present famine conditions.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (d) The reports of traffic survey for the conversion of Delhi-Ahmedabad Metre Gauge line to Broad Gauge which was completed in July 1973 are under examination. In view of the present difficult financial position of the railways and the huge capital investment involved, it has not been possible to take up the project during the present famine conditions.

मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से इंजिनों की खरीद के लिये क्रयादेश

2139. **श्री टुना उराव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से इंजिनों के लिए क्रयादेश मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74 और 1974-75 में चित्तरंजन लोको मोटिव वर्क्स द्वारा कितने इंजिनों का निर्यात किया गया;

(ग) उक्त अवधि में किन देशों को ये इंजिन भेजे गये; और

(घ) इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी तक चितरंजन रेल इंजन कारखाने को कोई निर्यात आदेश नहीं मिला है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा अधिक खपत वाली औषधियों का उत्पादन

2140. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी अधिक खपत वाली औषधियों के लिए मैसर्स मर्क, शार्प एंड दोहम, मैसर्स बेयर इंडिया लिमिटेड, मैसर्स सर्ले इंडिया लिमिटेड, मैसर्स हैक्स्ट तथा मैसर्स सीबा-गुल लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) उनकी लाइसेंस क्षमतायें क्या हैं ; गत तीन वर्षों में कितना उत्पादन हुआ तथा इन कम्पनियों को प्रत्येक अधिक खपत वाली औषधि के लिए कितनी आयातित तथा सरकारी एजेंसी के माध्यम से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी ;

(ग) क्या इन्ही अधिक खपत वाली औषधियों के लिए भारतीय फर्मों के प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या लाइसेंस में मूल निर्माण की शर्त रखी गयी थी, यदि हां, तो इस फर्मों को पूर्वान्वितक सहायक सामग्री के आयात को मना करने के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है संलग्न है (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–

9080/75) इस प्रकार की सूचना मैसर्स मर्क शार्प एण्ड ढोम आफ इण्डिया लि० और मैसर्स सिवातुल के संबंध में एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(घ) मूल निर्माण, यदि कोई हो, इन कंपनियों को दिए गए औद्योगिक लाइसेंसों पर आयात के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

मैसर्स सैंडोज (आई) लिमिटेड को दिये गये लाइसेंस

2141. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स सैंडोल (आई) लिमिटेड को 1965-70 के दौरान दिए गए औद्योगिक लाइसेसों और स्वीकृतियों की रूप-रेखा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से किसी लाइसेंस/स्वीकृति/अधिसूचना में सहयोग की कोई शर्त थी ;

(ग) यदि हां, तो सहयोग करारों की मुख्य बातें क्या हैं ; जिन वस्तुओं के लिए स्वीकृति दी गई उनका ब्यौरा क्या है और क्या सहयोग कर्ताओं के साथ हुए करारों को हाल ही में संशोधित किया गया है, यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(घ) इन लाइसेसों के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक वस्तु पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और गत तीन वर्षों के दौरान उनका कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

इंडियन एक्सप्रैस ग्रुप और आंध्र प्रभा लिमिटिड विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास की गई शिकायतें

2142. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने आर० पी० गोयनका के प्रबन्धाधीन चल रही इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप और आंध्र प्रभा लिमिटेड कम्पनियों के कदाचार के बारे में कुछ शिकायतें 1968-74 के बीच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतें किस प्रकार की हैं और उस बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) कम्पनी विधि बोर्ड ने 2 अप्रैल, 1971 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को एक परिवाद प्रस्तुत किया था, जिन्होंने इस परिवाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख, 420 तथा 477-क के अन्तर्गत अपराधों के लिये पंजीकृत किया । इण्डियन एक्सप्रेस समूह तथा आंध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड, श्री आर० एन० गाइन्का के नियंत्रणाधीन हैं ।

प्रस्तुत किये गये परिवाद में साथ साथ आरोप है कि मै० आन्ध्र प्रभा प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धक-वर्ग ने 1967-68 में लगभग 37 लाख रु० के मूल्य के सफेद मुद्रण कागज का स्फीत स्टाक इस दृष्टि से दिखाया था, ताकि पंजाब नैशनल बैंक मद्रास से अधिकतर नकद ऋण सुविधायें प्राप्त हो सकें, एवं इस प्रकार बैंक से कागज के उस स्टाक पर, जो था ही नहीं, ऋण प्राप्त करके बैंक को धोखा दिया । इसके

तुरन्त पश्चात जांच-पड़ताल प्रारम्भ की गई एवं अन्वेषण किये गये थे, श्री रामनाथ गोइन्का ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांचों एवं अन्वेषणों एवं कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परिवाद की वास्तविकताओं पर आपत्ति करते हुये मद्रास उच्च न्यायालय में लिखित याचिका दायर कर दी । लिखित याचिकायें खारिज हो गई थीं, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के लिये अपील की छूट का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात् इन्डियन एक्सप्रेस समूह की कम्पनियों तथा श्री रामनाथ गोइन्का ने सर्वोच्च न्यायालय में छः अपीलें दायर कर दी हैं । इन अपीलों की अभी सुनवाई नहीं हुई है ।

जांच-पड़ताल के मध्य प्राप्त साक्ष्य को ध्यान में रखते हुये केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, धारा 471 के साथ पठित धारा 467, भारतीय दंड संहिता धारा 477 क, के अन्तर्गत मद्रास में स्पेशल प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दिनांक 21-5-73 को एक आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया । यह मामला अब चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मद्रास के समक्ष अनिर्णीत है ।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

2143. **श्री बी० एस० मौरा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-वित्तीय कम्पनियों और गैर-बैंकिंग कम्पनियों में लोगों की जमा राशियों के नियंत्रण के लिए सरकार कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ : (क) तथा (ख) कम्पनी (संशोधन) अधिनियम 1974, जो 1 फरवरी 1975 से लागू हो गया है, के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 में एक नवीन धारा 58 क जोड़ी गई है, जो केन्द्रीय सरकार को, सीमा जिस तक, प्रकार जिसमें, तथा निबन्धन जिसके अधीन एक कम्पनी की जमा राशियां, या तो जनता से अथवा इसके सदस्यों से स्वीकार या आमन्त्रित की जानी है, को विहित करने की शक्ति प्रदान करती है । इन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कम्पनी (जमाओं का स्वीकरण) नियम, 1975 प्राख्यापित किये हैं । ये नियम, जो ऐसी कम्पनियों पर लागू होते हैं, जो बैंकिंग कम्पनियां नहीं हैं, और वित्तीय कम्पनियां भी नहीं है, 3 फरवरी 1975 से लागू हुये हैं । इन नियमों की एक प्रति शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

कुछ विदेशी औषध फर्मों को 'बल्क ड्रग्स' के लिये लाइसेंस दिया जाना

2144. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बोरो बैलकम, में एण्ड बैकर्स फाईजर, सिनेमाइड और सीबा कम्पनियों के किन-किन 'बल्क ड्रगों' के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ख) इन कम्पनियों की गत तीन वर्षों में लाइसेंस प्राप्त क्षमता कितनी रही, उनमें कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक 'बल्क ड्रगों' के लिए आयातित तथा कैनेलाइन्ड (सरकारी एजेंसी द्वारा आयातित) कच्चे माल की आवश्यकता हुई ;

(ग) क्या भारतीय फर्मों द्वारा ऐसी औषधियों के उत्पादन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया ; और

(घ) क्या स्वीकृत प्रस्ताव में यह मूल निर्माण के बारे में कोई शर्त थी और यदि हां, तो सरकार ने उन्हें पेनल्टीमेट और इन्टरमीडियेट के आयात की अनुमति क्यों दी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) मैसर्स में एण्ड बेकर लिमिटेड, फीजर लिमिटेड और मैसर्स सिनामिड इण्डिया लिमिटेड के बारे में अपेक्षित सूचना वाला विवरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 9081/75) जैसा कि बोरोग्स वेल्कम एण्ड कं० (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड और मैसर्स सिवा गेगी आफ इण्डिया लि० के बारे में उसी तरह की सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

क्षमता का उल्लेख किये बिना ही जारी किये गये औद्योगिक लाईसेंस

2145. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत में क्षमता का उल्लेख किए बिना ही कितने औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किए गए हैं ;

(ख) इस लाइसेंसों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है, उन फर्मों के नाम क्या हैं, निर्माण की मदें कौन-कौन सी हैं और क्षमताओं को निर्धारित न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस पूरे मामले की जांच कराने और [विदेशी फर्मों को हुए लाभों का समाप्त करने की दृष्टि से इस मामले के सभी पहलुओं की छानबीन करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

मैसर्स होवेस्ट को सी० ओ० बी० लाइसेंस देना

2146. **श्री खेमचन्द भाई चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1970 की विविधीकरण नीति के अनुसार कच्चे माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात की अनुमति नहीं है ;

(ख) मैसर्स होयेस्ट को निजि मदों के लिए सी० ओ० बी० लाईसेंस देने की हाल ही में सिफारिश की गई है, उन के उत्पादन के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस कम्पनी ने अपना आवेदन 1970 में क्यों नहीं दिया था और उसे तीन वर्ष के पश्चात् सी० ओ० बी० लाइसेंस देने की सिफारिश किए जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री [(श्री के० आर० गणेश) (क) 18 जुलाई, 1970 के औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के प्रेस नोट में अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि पूंजीगत माल, कच्चे माल अथवा घटकों के आयात के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में विदेशी मुद्रा की कोई राशि खर्च नहीं होनी चाहिए ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है एवं सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

दहेज लेने के लिये कठोर दण्ड

2147. **श्री हरी सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सिफारिश की है कि दहेज लेने वाले तथा देने वाले व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा उस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों ने भी इस मामले में केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिशें भेजी हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव भेजा है जिसमें मुख्य रूप से यह उपबंध करने के लिए सिफारिश की गई है कि पत्नी को दाम्पत्त अधिकार से इस आधार पर इंकार करने के कारण कि दहेज नहीं दिया गया है या दिया गया दहेज अपर्याप्त है, पति को भयोपरत दण्ड दिया जाए। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं।

Increasing Prices of Medicines

2148. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemical** be pleased to state:

(a) whether Government propose to increase the prices of various medicines including sulpha drugs and antibiotics; and

(b) if so, whether a committee had been or is being constituted by Government in this regard on the demand of the drug manufacturers.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) Prices of drugs are controlled under the Drugs (Prices Control) Order, 1970, which provides for a mechanism for effecting changes in prices according to certain norms prescribed therein.

(b) Government have set up a Committee on Drugs and Pharmaceutical Industry under the Chairmanship of Shri Jaisukhlal Hathi, whose terms of reference, inter alia, include;

"To examine the measures taken so far to reduce the prices of drugs for the consumer and to recommend such further measures as may be necessary to rationalise the prices of basic drugs and formulations."

Appropriate action will be taken by the Government in the light of the recommendations made by the Committee which is expected to submit its report in April, 1975.

Production and Supply of Caustic Soda and Soda Ash

2149. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) the quantity of caustic soda and soda ash produced during the years 1972-73 and 1973-74 in the country;

(b) the quantity of caustic soda and soda ash supplied out of this to the various industries and for public use; and

(c) whether a major part of caustic soda and soda ash was exported ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh): (a) The production of Caustic Soda and Soda Ash was as under:—

Year	Caustic Soda	Soda Ash
	(in tonnes)	(In tonnes)
1972-73	3,96,000	4,86,000
1973-74	4,12,000	4,80,000

(b) Information in this respect is not available as there is no control over distribution of both caustic soda and soda ash.

(c) Export of Caustic Soda and Soda Ash during the years 1972 to 1974 was not significant.

कासरगोड स्टेशन के प्लेटफार्म में सुधार करने तथा उसका विस्तार करने के लिये अभ्यावेदन

2150. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कासरगोड स्टेशन के प्लेटफार्म में सुधार करने तथा उस का विस्तार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कासरगोड स्टेशन दक्षिण रेलवे के कन्नानूर–मंगलूर खंड पर है । कासरगोड का मौजूदा प्लेटफार्म मध्यम स्तर (1'–6") का है । इस स्टेशन के प्लेटफार्म को ऊंचा करने और बढ़ाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । कासरगोड रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है जहां अंततः ऊंचे स्तर के प्लेटफार्म की व्यवस्था करनी पड़ेगी । लेकिन इस समय साधनों की कठिन स्थिति के कारण इसे अभी तक रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करना संभव नहीं हो सका है ।

14 बोगियों की लम्बाई वाली गाड़ियां खड़ी करने के उद्देश्य से अभी हाल में मौजूदा प्लेटफार्म को 450 फुट बढ़ाया गया है और इसे उसी मध्यम स्तर के अनुसार किया गया है ।

विवाह विच्छेद सम्बन्धी विधि का सभी हिन्दुओं पर लागू किया जाना

2151. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू समाज के किन वर्गों पर विवाह-विच्छेद के मामले में हिन्दू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है ;

(ख) क्या "अलियसन्तान विधि" द्वारा शासित हिन्दू बिना कारण बताये ही विवाह-विच्छेद अभिप्राप्त कर सकता है ; और

(ग) क्या सरकार का सभी हिन्दुओं के लिए विवाह-विच्छेद सम्बन्धी एक समान विधि बनाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) से (ग) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955, जिससे हिन्दुओं की विवाह-विच्छेद संबंधी विधि शासित होती है, अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, हिन्दुओं के सभी वर्गों को लागू होता है । तथापि, इस अधिनियम के उपबंध, रूढ़ि से मान्यता प्राप्त या किसी विशेष अधिनियमिति द्वारा प्रदत्त किसी ऐसे अधिकार पर प्रभाव नहीं डालते हैं जो विवाह का विघटन अभिप्राप्त करने का अधिकार हो [देखिये अधिनियम की धारा 29(2)] मद्रास अलियसन्तान एक्ट, 1949 में, जो हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थान्तर्गत एक विशेष विधि है, यह उपबंधित है कि किसी अलियसन्तान स्त्री और उसी सम्प्रदाय के किसी पुरुष या ऐसे पुरूष के, जो यद्यपि उसी सम्प्रदाय का नहीं है तथापि हिन्दू या जैन है, बीच हुआ विवाह, विवाह के पक्षकारों द्वारा निष्पादित विवाह- विघटन है संबंधी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या न्यायालय द्वारा विघटन का आदेश दिए जाने पर विघटित हो सकता है । यदि विवाह रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा विघटित होता है तो वह परस्पर सहमति द्वारा विवाह-विघटन का मामला होगा । न्यायालय के आदेश द्वारा विघटन के मामले में, कोई विनिर्दिष्ट आधार आवश्यक नहीं हैं, किन्तु न्यायालय केवल तभी आदेश दे सकता है जब कि अर्जी की तारीख से छह मास पश्चात किन्तु एक वर्ष समाप्त होने के पूर्व अर्जीदार द्वारा समावेदन किया गया हो । ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपबंध में यह सिद्धान्त निहित है कि यदि पक्षकार इस अवधि के दौरान मेल मिलाप करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं तो विवाह-बंधन टूट चुका है ।

कोट्टूर से हरीहर तक रेलवे लाइन बनाना

2152. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हास्पेट क्षेत्र में न्यू मंगलौर पत्तन को लोह अयस्क ले जाने के लिय कोट्टूर से हरिहर तक रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां तो क्या प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जायगा ; और उसे कब तक क्रियान्वित किया जायगा ; और

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कोट्टूर से हरिहर तक एक रेलव लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है ? ज्योंहि जांच का काम सभी दृष्टियों से पूरा हो जायेगा इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना पर 8.13 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

बंगलौर-गुन्तकल रेल लाइन

2153. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर और गुन्तकल के बीच निर्धारित समय के अनुसार बड़ी लाइन का कार्य पूरा होने की तारीख क्या है ; और

(ख) कितना कार्य अब तक पूरा हो चुका है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस काम को पूरा करने की मूल लक्ष्य तिथि दिसम्बर, 1976 है किन्तु धन की कठिन स्थिति के कारण इसके स्थगित किये जाने की संभावना है।

(ख) जनवरी, 1975 के अन्त तक समग्र रूप से अद्यतन प्रगति 2.37 प्रतिशत है।

विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस जारी करना बंद किया जाना

2154. श्री धामनकर :

श्री वसन्त साठे :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी औषध कम्पनियों को वे औद्योगिक लाइसेंस तब तक जारी न करने का निर्णय किया है, जो लाइसेंसिंग समिति द्वारा दिये जाने के लिए अनुमोदित कर दिये गये हैं जब तक इन कम्पनियों से सम्बन्धित समस्याओं की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्रों, समय-समय पर सरकार की नीति का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास मंत्रालय के 31 अक्टूबर, 1973 के प्रेस नोट में घोषित सुव्यवस्थित कार्य पद्धति के अनुसार विचार किया जाता है। औषध उद्योग की समस्याओं का पुनरीक्षण किया जा रहा है और श्री जय सुख लाल हाथी के नेतृत्व में संगठित औषध एवं भेषेज पर समिति औषध उद्योग के विभिन्न पहलूओं की जांच कर रही है और इस के विचारार्थ विषयों में अन्य विषयों के अतिरिक्त ये सम्मिलित हैं।

"औषध उद्योग विशेष रूप से भारतीय एवं लघु क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए सिफारिशें करना। सिफारिशें करते समय समिति उद्योग के सन्तुलित क्षेत्रीय फैलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी।

सरकार हाथी समिति की रिपोर्ट जिसके अप्रल, 1975 में प्राप्त होने की आशा है, की जाने वाली सिफारिशों की समस्या के संदर्भ में विभिन्न पहलुओं पर निर्णय करेगी।

Projects of Indian Railways lying incomplete after stone-laying or inauguration ceremonies

2155. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of projects of the Indian Railway which are lying incomplete inspite of their stone-laying or inauguration ceremonies have taken place; and

(b) the steps being taken by Government for completing these projects.

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) The following projects have been inaugurated in the recent past for the construction. It takes a number of years to complete a Railway project after inauguration. Their present position is indicated below:—

S. No.	Name of Project	Present position
1.	Tirunelveli-Trivandrum-Kanyakumari BG link.	Construction work in progress.
2.	Shahdara-Saharanpur BG link.	Do.
3.	Dalmau-Daryapur (Restoration)	Do.

Name of project	Present Position
4. Saraigarh-Partapganj (Restoration)	Work completed and opened to traffic in June, 1974.
5. Partapganj-Forbesgang (Restoration)	Work in progress.
6. Chittauni-Bagaha (Restoration)	Do.
7. Nadikude-Bibinagar	Final location survey in progress.
8. Rohtak-Bhiwani	Work in progress.
9. Jhanjharpur-Laukaha Bazar	Do.
10. BG line in the area served by the former Howrah-Amta Light Railway including Bargachia-Champadanga Branch.	West Bengal Govt. has been requested to acquire and hand over the land.
11. B.G. links to Ramnagar and Kathgodam	Final Location Survey in progress.
12. Sakri-Hasanpur	Final location survey completed.
13. Nangal Dam-Talwara	Final location survey in progress.
14. Varanasi proposed station building with parcel and claims office.	Work in progress.
15. Wagon repair shop near Vijayawada.	Do.

कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण

2156. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया है और इन के राष्ट्रीयकरण से सरकार को कितने मूल्य की सम्पत्ति प्राप्त हुई है ; और

(ख) सरकार ने उक्त अवधि के दौरान इनमें से प्रत्येक कम्पनी को कितना मुआवजा दिया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

त्रिपुरा में धरमनगर से कलाशहर तक रेलवे लाइन का विस्तार

2157. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में धरम नगर से कलाशहर तक रेलवे लाइन के विस्तार की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य कब तक आरम्भ होगा ; और

(ग) उक्त कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) धर्मनगर-कुमारघाट-कला शहर खण्ड (61 कि० मी०) में मीटर लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा

रही है । सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार लाइन पर 12.06 करोड़ रुपय की लागत आयेगी जिसमें चल-स्टाक की लागत शामिल नहीं है । धर्म नगर और कुमार घाट के बीच वाले भाग में लाइन के निर्माण के लिए 1974-75 के रेलवे बजट में प्रस्ताव रखा गया था लेकिन शर्त यह थी कि इसके लिए उत्तर पूर्वी परिषद् धन उपलब्ध कराये । अनुमान है कि इस भाग में लाइन के निर्माण की लागत 8.15 करोड़ रुपये आयेगी । इस परियोजना के लिए धन प्राप्त होते ही काम शुरू कर दिया जायेगा ।

कुछ विदेशी कम्पनियों द्वारा घटिया औषधियों का उत्पादन

2158. **श्री बी० आर० शुक्ल : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी विदेशी कम्पनियां भारत में औषधियों का उत्पादन कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि उन में से कोई कम्पनी घटिया या नकली औषधियों का उत्पादन कर रही है ;

(ग) क्या औषधियों का उत्पादन उपभोक्ताओं की मांग से अधिक है ; और

(घ) क्या वे उत्पादक अपनी लाइसेंस शुद्धा क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो क्या सरकार ने आवश्यकता से अधिक उत्पादन पर कोई आपत्ति की है ।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली औषध निर्माण करने वाली 35 कम्पनियां हैं । फिर भी दो कम्पनियों ने सूचना दी है कि वे किसी औषध का निर्माण नहीं करते परन्तु उनके द्वारा निर्माण की जाने वाली वस्तुओं की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि क्या कोई मद औषध एवं भेषज के अन्तर्गत आती हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

(ग) और (घ) विभिन्न, कम्पनियों द्वारा औषधों का उत्पादन मार्केट में मांग के अनुसार किया जाता है । श्री जयसुख लाल हाथी के नेतृत्व में औषध एवं भेषज पर समिति औषध उपयोग के विभिन्न पहलू की जांच कर रही है । समिति की रिपोर्ट अप्रैल, 1975 में प्राप्त होने की आशा है और उसके बाद ही औषधों के अधिक उत्पादन के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा निर्मित औषधियों के ब्रान्ड नामों का भारतीय फर्मों के उत्पादों पर दुष्प्रभाव

2159. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशी औषध-निर्माता फर्मों द्वारा ब्रांड नामों के जारी रखे जाने का देशी कम्पनियों द्वारा निर्मित उसी प्रकार की औषधियों पर और उन की किस्म पर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : देशीय तथा विदेशी फर्मों द्वारा देश में निर्मित अधिकतर औषध सूत्रयोगों का विपणन ब्रांड नामों से किया जाता है । औषध और भेषज उद्योग समिति की "सामान्य जनता, विशेष रूप से ग्रामीण जनता, को आवश्यक औषधें तथा आम घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने के उपायों" के बारे में रिपोर्ट, जिसमें ब्रांड नामों को व्यापक नामों से परिवर्तित करने का पहलू भी सम्मिलित है, हाल ही में प्राप्त की जा चुकी है और उस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

गिरिडीह में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना

2160. **श्री दामोदर पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारी बाग जिले में गिरीडीह नामक स्थान पर प्रस्तावित कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) वास्तविक निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बिहार स्थित गिडी नामक स्थान में कोयले पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना पर एक प्राद्योगिकी आर्थिक सम्भावता अध्ययन तैयार किया गया है इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कलकत्ता में भूमिगत रेल के निर्माण के बारे में निर्णय

2161. **श्री रानेन सेन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में भूमिगत रेल बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) निर्माण का काम हो रहा है यद्यपि साधनों की कमी के कारण कामगति धीमी पड़ गयी है ।

(ख) 1975-76 में इस परियोजना के लिये 8.4 करोड़ रुपये के परिव्यय का बजट में शामिल करने का अनुमोदन कर दिया गया है ।

(ग) संसाधनों की वर्तमान कमी विदेशी मुद्रा की कठिनाई और लक्षित निर्माण कार्य को किस गति से किया जाये ये सभी प्रश्न अभी तक विचाराधीन हैं ।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने में पानी की कमी

2162. **श्री रानेन सेन** :

श्री नूरूल हुडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने को पानी की भारी कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कारण इस कारखाने में तेल के उत्पादन पर किस सीमा तक दुष्प्रभाव पड़ा है ?.

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल निर्यातक देशों द्वारा तेल के मूल्य बढ़ाना

2163. **श्री रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख, तेल निर्यातक देश तेल का मूल्य बढ़ाने जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) इस बात के अभी कोई निश्चित संकेत नहीं हैं कि प्रमुख तेल उत्पादक देश तेल की कीमतों को निकट भविष्य में बढ़ाने जा रहे हैं।

औषध उद्योग के बारे में राष्ट्रीय सम्मेलन

2164. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21-22 दिसम्बर, 1974 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक स्वाधीनता और औषधि उद्योग की भावी सम्भावनायें विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा की गई मुख्य नीति सम्बन्धी सिफारिशें और अन्य सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं, और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) सरकार को 21 तथा 22 दिसम्बर, 1974 को नई दिल्ली में भेषज उद्योग की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिप्रेक्ष्य के सम्बन्ध में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन की घोषणा तथा दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं । इस सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. औषध-निर्माण तथा भेषज उद्योग की ऐसी सभी इकाइयों का राष्ट्रीयकरण किया जाये जिनमें विदेशी इक्विटी पूंजी है।

2. किसी भी क्षेत्र द्वारा उत्पादित आवश्यक औषधों तथा उनके सूत्रयोगों के समग्र वितरण का राष्ट्रीयकरण किया जाये तथा केन्द्रीयकृत सहकारी एजेंसी को सौंपा जाये। इस प्रकार की राष्ट्रीय वितरण एजेंसी को पर्याप्त नियंत्रण की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहियें ।

3. सभी भेषजों तथा मध्यवर्ती भेषजों का आयात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से व्यवस्थित किया जाये।

सरकार को अप्रैल, 1975 में श्री जयसुखालाल हाथी की अध्यक्षता में गठित भेषज तथा औषध निर्माण समिति की रिपोर्ट मिलने की आशा है । इस समिति के विचारार्थ विषय काफी अधिक है । इस समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ राष्ट्रीयकरण सम्मेलन की सिफारिशों पर भी विचार किया जायेगा।

त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम लाईन को ब्राड-गेज लाइन में बदलने के काम को पूरा करना और उस पर होने वाला व्यय

2165. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम-एरणाकुलम रेल लाइन को ब्राड-गेज में बदलने का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया था ;

(ख) निर्माण कार्य को सम्भवतः किस तिथि तक पुरा किया जायेगा ; और

(ग) उस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) आमान परिवर्तन का काम 12-4-1972 को शुरू किया गया था ।

(ख) अनुमान है कि यह परियोजना 1976 के अन्त तक पूरी हो जायेगी बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्ध हो।

(ग) इस परियोजना की प्रत्याशित लागत 13.60 करोड़ रु० है ।

त्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने के लिए केरल सरकार का अनुरोध

2166. **श्रीमति भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने त्रिवेन्द्रम में रेलवे डिवीजनल मुख्यालय स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) : जी हां, 1972 में ।

(ख) यह प्रस्ताव औचित्य पूर्ण नहीं पाया गया और तदनुसार केरल सरकार को सूचित कर दिया गया था।

केरल सरकार द्वारा केरल में रेल लाईनों के विद्युतीकरण के लिये अनुरोध

2167. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने हाल ही में केन्द्र से फिर अनुरोध किया है कि राज्य में कुछ रेल लाईनों का विद्युतीकरण किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तेल संकट को देखते हुए और केरल में उचित दर पर काफी बिजली उपलब्ध होने के कारण इस राज्य में रेलवे लाईनों के बिजलीकरण पर विचार किया जाना चाहिये ।

कुछ एन्टीबायोटिक औषधियों के निर्माण के लिये सी० एफ० फुलबोर्ड को लाइसेंस दिया जाना

2168. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुत सी एन्टीबायोटिक औषधि बनाने के लिये, भारत में विदेशी स्वामित्व की सी० एफ० फुलबोर्ड (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड नामक कम्पनी को लाइसेंस दिया हैं,

(ख) क्या औषध उद्योग पर हाथी समिति को रिपोर्ट के निकट भविष्य में प्राप्त हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस परिस्थिति में विदेशी कम्पनी को लाइसेंस देने का क्या कारण है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ग) जी नहीं । आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के अन्तर्गत 13 सितम्बर, 1974 को कम्पनी से प्राप्त आवेदन पत्र में उन्होंने निम्नलिखित विषयों का उत्पादन करने का प्रस्ताव दिया है :—

क्रम संख्या	विषय	वार्षिक क्षमता
1.	जेंटा माइसिन सल्फेट	1000 किग्रा०
2.	गोलियां	360 मिलियन
3.	इन्जैक्टेविल्स	8100 लिटर
4.	आइटमेंटस तथा क्रीम	25,000 किग्रा०
5.	सोल्यूसन्स	11,000 लिटर
6.	कैप्सूल्स	5,000 मिलियन

औद्योगिक लाइसेंस लेने के लिये पार्टी के आवेदन पत्र की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध तथा भेषज उद्योग पर समिति अपनी रिपोर्ट सम्भवतः अप्रैल, 1975 तक प्रस्तुत करेगी ।

पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर छिद्रण कार्य

2169. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गेस आयोग ने वर्दमान जिले में गाल्सी और 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में वाकुलटोला में तेल का पता लगाने के लिये छिद्रण कार्य आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूप रेखा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो छिद्रण कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बकुल्तला संरचना पर खुदाई का कार्य करने की, इस वर्ष के दौरान संभावना है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मांगे गये तेल के बढ़े हुए मूल्य को देखते हुए सरकार द्वारा तेल का आयात

2170. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समय-समय पर भारत में कार्यरत विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा मांगें गये तेल के बढ़े हुये मूल्य को देखते हुये, सरकार ने तेल सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं को सरकारी स्तर पर आयात करने से होने वाले लाभों पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूप-रेखा क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव पर विदेशी तेल कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) समय-समय से परिस्थितयों के आधार पर अशोधित तेल के आयात को यथासंभव मूल्यों पर व्यवस्थित करने को सुनिश्चित करना सरकार का सदा प्रयत्न रहा है। राष्ट्रीय तेल कम्पनियों से सीधे अशोधित तेल का आयात अब कुल अशोधित तेल के आयात का आधे से अधिक माना जाता है। सरकार से सरकार के आधार पर सारी तेल आवश्यकताओं को आयात करने के लिये इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

डिवीजनल सुपरिंटेन्डेन्ट, दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के अन्तर्गत कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की बकाया राशि का भुगतान

2171. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) में कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते को बकाया राशि का भुगतान न किये जाने के बारे में 3 दिसम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2828 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे, दिल्ली डिवीज़न के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट ने एडजूडिकेटर सेक्शन क्लर्कों को समयोपरि भत्ते को बकाया राशि के बिल तैयार करने हेतु देय मानदेय के मामले पर, और जिसे उन्होंने जनरल मैनेजर, उत्तर रेलवे को भेजा है, अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर रेलवे के जनरल मैनैजर ने उक्त मामले पर निर्णय ले लिया है और कब तक भुगतान किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) समयोपरि भत्ते की बकाया राशि के बिल तैयार करने हेतु क्लर्कों को देय मानदेय की दर के बारे में निर्णय हो चुका है और आशा है कि भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

12 LSS/75—9.

प्रति सप्ताह 48 घंटे की ड्यूटी की व्यवस्था करने के लिए रेलवे बोर्ड न्यायाधिकरण का निर्णय

2172. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सप्ताह में 48 घंटे अथवा 14 दिन में 96 घंटे की ड्यूटी की व्यवस्था करने के लिये श्रमिक न्यायाधिकरण के निर्णयों को क्रियान्वित करने के आदेश जारी किये हैं ;

(ख) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न ने उक्त निर्णयों को क्रियान्वित करने के आदेश 7 महीने बाद जारी किये ;

(ग) क्या एच० ओ० ई० आर० शाखा 96 घंटे से अधिक के समयोपरि भत्ते के बिल इस तर्क पर पास करने से इंकार कर रही है कि यह नया रोस्टर निकलने के पश्चात् देय होता है जो कि 1 अगस्त, 1974 से भत्ता देय होने सम्बन्धी आदेशों का उल्लंघन है ; और

(घ) क्या यह मानदेय की मांग करने के लिये उक्त विलम्ब जान-बूझ कर किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल कर्मचारियों के काम के घंटों से सम्बन्धित, जो 'सतत्' तथा 'अनिवार्यतः' विरोधी कर्मचारियों के लिये मानक काम के घंटों के रूप में 48 प्रति सप्ताह या 96 पाक्षिक हैं, रेल श्रम अधिकरण, 1969 की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये आदेश रेलवे बोर्ड ने 13-6-1974 को जारी किये थे। इन मानक कार्य घंटों में प्रारम्भिक और/या पूरक काम करने के लिये मामले के अनुसार अधिक से अधिक 3,6 या $4\frac{1}{2}$ घंटे प्रति सप्ताह और जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा 'अनिवार्यतः विरोधी' कर्मचारियों से 12 या 24 घंटे प्रति सप्ताह और काम लिया जा सकता है।

(ख) दिल्ली मण्डल द्वारा आदेश 7-1-1975 को जारी किये गये थे।

(ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार प्रारम्भिक और/या पूरक काम के लिये अपेक्षित समय का निर्धारण प्रतिनिधिक कोटियों के कार्य विश्लेषण द्वारा किया जाता है और उसे मानक काम के घंटों में जोड़ दिया जाता है तथा वह ड्यूटी रोस्टर में परिलक्षित होता है। जब तक यह कार्रवाई पूरी नहीं होती, समयोपरि की ग्राह्यता तय करने के लिये, प्रारम्भिक और/या पूरक कार्य की अनुमत अधिकतम सीमाएं ही कसौटी मानी जानी चाहियें।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सोडा एश की मांग तथा उसका उत्पादन

2173. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : **क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान, वर्ष-वार सोडा एश की कुल मांग तथा उसका उत्पादन कितना रहा ;

(ख) क्या इस उत्पाद पर कोई मूल्य नियंत्रण है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) सोडा एश के प्रमुख उत्पादकों के नाम क्या हैं और वर्ष 1972 से 1974 के दौरान, वर्षवार, प्रत्येक प्रमुख उत्पादक की लाइसेंस प्राप्त क्षमता और अधिकाधिक क्षमता का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) वर्ष 1972 से 1974 के दौरान, वर्षवार प्रत्येक प्रमुख उत्पादक का वास्तविक उत्पादन कितना रहा ;

(च) क्या कुछ फर्मों के विरुद्ध सोडा एश में बड़े पैमाने पर चोर बाजारी करने के आरोप हैं ; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) :—

(लाख मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन	मांग
1972	4.86	5.00
1973	4.69	5.10
1974	5.10	5.10

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तथा (ङ) विवरण संलग्न है ।

(च) सोडा ऐश के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है ।

(छ) प्रश्न नहीं उठता ।

	1972			1973			1974		
फर्म का नाम	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता	स्थापित क्षमता	उत्पादन	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता	स्थापित क्षमता	उत्पादन	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता	स्थापित क्षमता	उत्पादन
1. टाटा रसायन लि०, मिथापुर (गुजरात)	2.16	2.16	2.25	3.60	2.50	2.20	5.00	3.60	2.48
2. सौराष्ट्र रसायन, पोरबन्दर (गुजरात)	1.68	1.68	1.84	1.68	1.68	1.69	1.68	1.68	1.88
3. धरनगाध्रा रसायन वर्कस लि०, धरनगाध्रा (गुजरात)	0.46	0.46	0.54	0.65	0.50	0.57	0.65	0.65	0.54
4. न्यू सेन्टरल जूट मिल्स कम्पनी लि०, वाराणसी (उ० प्र०)	0.50	0.50	.210	0.40	0.40	0.20	0.40	0.40	0.19

जीवन-रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी करने के लिए कार्यवाही

2174. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य कम करने के लिए और क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या ऐसी औषधियां बाजार में वास्तविक मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेची जा रही हैं और यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) भारत सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग समिति की स्थापना की है अन्य बातों के साथ जिसके विचारार्थ विषयों में है :--

"उपभोक्ता के लिए औषध मूल्यों को कम करने के लिए अब तक उठाए कदमों की परीक्षा करना और ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो मूल औषध और सूत्रयोगी के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक हैं।"

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन औषधों के मूल्यों को कानूनी तौर से नियंत्रित किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि कोई फुटकर विक्रेता केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत उस सूत्रयोग को फुटकर मूल्य से अधिक पर उपभोक्ता कोई सूत्रयोग नहीं बेचेगा ।

सरकार ने औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 में संशोधन में यह व्यवस्था करने का निर्णय किया है कि फुटकर विक्रेता केवल लेबलों पर छपे मूल्यों पर ही उनको बेचेंगे।

राज्य औषध नियंत्रक औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के लागू करने को निगरानी रखता है ।

मई 1974 को हड़ताल में भाग लेने वाले रेलकर्मचारियों का स्थानान्तरण

2175. **श्री एस० एम० बनर्जी** :: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 को हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों का बिना वैध कारणों के स्थानान्तरण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त शोषण को रोकने के लिए आवश्यक निदेश जारी किये जा चुके हैं ?

रेल मंत्रालय **में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह)** :(क) और (ख) मात्र मई 1974 की गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण किसी रेल-कर्मचारी का स्थानान्तरण अथवा उत्पीड़न नहीं किया गया है। किन्तु प्रशासनिक हित में कुछ रेल कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है। बाद में, पुनर्विचार करने पर, इन स्थानान्तरणों में से बहुत से रद्द कर दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Former Railway Minister's Reference to Development of Railway's in Bihar

2177. **Shri Ramavatar Shastri: Will** the Minister of **Railways** be pleased to state

(a) whether while inaugurating the Samastipur-Muzaffarpur broad gauge line in Samastipur on 2nd January, 1975, the Railway Minister late Shri L.N. Mishra had made some reference about development of railways in Bihar;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in this connection?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) & (c) Reference was made in his speech to the railway projects approved/in progress and proposed surveys for new projects in Bihar. Action has been taken to progress the projects under construction/approved within the available resources. A decision on the various surveys will be taken after these are completed and the reports examined from all angles.

Demand for a fast train between Jamshedpur and Patna

2178. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the people of Patna, Jamshedpur and other places have been demanding for a long time a fast train between Jamshedpur and Patna during day-time;

(b) whether Government have decided to run a train during day-time between Patna and Jamshedpur keeping in view convenience of passengers and Railway income; and

(c) if so, the time by which Government propose to implement this decision?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) and **(c)** Apart from the question of traffic justification, introduction of additional train between Tatanagar and Patna is not operationally feasible at present due to lack of terminal facilities at Tatanagar and Patna and sectional capacity on Grand Chord section of Eastern Railway.

Smuggling in Mihijam area of Santhal Pargana (Bihar)

2179. **Shri Ramavatar Shastri**· Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Mihijam area of Santhal Pargana (Bihar) is a centre of smugglers;

(b) whether the Railway Intelligence Department conducted raids at the residences of smugglers and wagon-breakers of Mihijam on the 15th August, 1973 and thereafter and recovered goods worth lakhs of rupees stolen from Chittaranjan Locomotive Works and Wagons;

(c) if so, whether an attempt was made to kill Prof. Surjit Singh , a social worker of Mihijam, for assisting in this, by throwing a bomb on him on the 1st February. 1974 although the Police officers had prior intimation about it; and

(d) if so, the action taken by Government to apprehend the culprits and the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No such report has come to the notice of this Ministry.

(b) Yes. on 15-8-73, a team of Officers from the Central Crime Bureau, Railway Board (Ministry of Railways) and CID of Bihar organised a raid and conducted searches of houses/godowns of receivers of stolen railway property at Mihijam and recovered non-ferrous material valued about Rs. 1 lakh suspected to have been stolen from Chittaranjan Locomotive Works.

(c) Shri Surjit Singh, who had assisted the raiding party, had complained to the then Minister for Railways that on 1-2-74, there was a bomb attack on him an d he was seriously injured as a result thereof.

(d) The Government of Bihar was requested to afford Shri Surjit Singh full protection, which was accordingly arranged by them.

Civil Police, Mihijam also registered a case No. 2 (2) 74 under Section 3 of Explosives Act/307 Indian Penal Code and arrested 2 criminals. Police investigations continue.

नामरुप और बरौनी में उर्वरक परियोजना

2180. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप और बरौनी में उर्वरक परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पनियोजनाएं कब से चालू हो जायेंगी ; और

(ग) उक्त परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) नामरुप (विस्तार) और बरौनी उर्वरक प्रायोजनाओं का यांत्रिक स्थापन लगभग सम्पन्न हो गया है और इनके चालू किये जाने से पहले की प्रतिक्रियाएं जारी हैं।

(ग) लगभग 152,000 टन नाइट्रोजन प्रतिवर्ष प्रत्येक से।

हाथी समिति को कार्याविधि बढ़ाना

2181. **श्री वाई० ईश्वयर रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या हाथी समिति की कार्यावधि पुनः बढ़ा दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं ;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों की रूपरेखा क्या है और उन पर सरकार का निर्णय क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में गठित औषध एवं भेषज उद्योग समिति अब 8 अप्रैल, 1975 तक अपनी अन्तिम रिपोर्ट देगी क्योंकि सरकार द्वारा इसकी अवधि दो मास बढ़ा दी गई है।

(ख) अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए समिति ने सरकार को सूचित किया था कि समिति के विभिन्न विचाराधीन विषयों पर रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिये विभिन्न वर्गों का गठन किया गया है और संबंधित वर्गों के संयोजकों द्वारा तैयार किए गए रिपोर्टों के मसौदे समिति के सदस्यों के पास भेजे गए थे। विचार विमर्श के दौरान ज्ञात हुआ कि रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पूर्व रिपोर्टों के कुछ मसौदे पर और विचार विमर्श एवं जांच आवश्यक होगी। समिति को अपने विचाराधीन विषयों पर जो कि काफी विस्तृत हैं, कार्य पूरा करने में समर्थ बनाने के लिये समिति द्वारा प्रस्तावित अवधि बढ़ाने की मंजूरी देना उचित समझा गया है।

(ग) और (घ) समिति ने औषधों के गुण नियंत्रण एवं सम्बन्धी विषयों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है इस बारे में समिति द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रति 25 फरवरी, 1975 को तारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर में सदन के पटल पर रखी गई थी।

समिति ने अनिवार्य एवं घरेलू औषधों की एक सूची भी प्रेषित की है जो 24 फरवरी, को सभा के पटल पर रखी गई थी। समिति ने अभी-अभी अगली, "जन-साधारण विशेषता ग्रामीण क्षेत्र निवासियों के लिये अनिवार्य औषधियां एवं आम घरेलू औषधियां उपलब्ध करवाने के उपायों" पर एक रिपोर्ट प्रेषित कर दी है जिनमें औषधों के ब्राण्ड नामों को साधारण नामों में बदलने के पहलू का भी उल्लेख किया गया है और जो शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

समिति द्वारा प्रेषित की गई अन्तरिम रिपोर्ट सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

आसाम तेल क्षेत्रों के अशोधित तेल का अन्य शोधनशालाओं में शोधन

2182. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम तेल क्षेत्रों के अतिरिक्त अशोधित तेल का अन्य तेल शोधनशालाओं में शोधन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से एक नई तेल शोधनशाला स्थापित करने और वर्तमान तेल शोधनशालाओं की क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (घ) तेल इंडिया लि० और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच अन्तिम मूल्यांकन के अनुसार 1977–78 या 1978–79 के असम तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष अशोधित तेल के 5.30 मि० टन तक की उपलब्धता होने की संभावना है। यह असम अशोधित तेल पर आधारित वर्तमान शोधनशालाओं और असम में बोनगई गांव में स्थापित होने वाली शोधनशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिय पर्याप्त है जैसा निम्न-लिखित है :—

(मि० मी० टन में)

डिगबोई	. .	0.50
गुहाटी	. . .	0.80
बोनगई गांव	(1972 से आगे तक)	1.00
बरौनी	. .	3.00
		5.30

असम राज्य सरकार से असम में अतिरिक्त अशोधित तेल की प्रक्रिया के लिये कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, परन्तु जैसे ऊपर उल्लिखित है, वर्तमान और प्रायोजित शोधनशालाओं की आवश्यकताओं से ऊपर अतिरिक्त अशोधित तेल के उपलब्ध होने की कोई सम्भावना नहीं है।

चक्रधरपुर-चांडिल सेक्शन में स्वचालित सिगनल व्यवस्था

2183. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलव के चक्रधरपुर-चांडिल सेक्शन में स्वचालित सिगनल की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था किए जाने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974 में उक्त सैक्शन में कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(ग) सरकार ने रेलवे यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए ब्लाक प्रणाली पुनः लागू करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्ष 1974 के दौरान तीन दुर्घटनाएं हुई थीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

औषधियां बनाने में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी

2184. **श्री सरोज मुखर्जी : पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में कार्य कर रही विदेशी औषध कम्पनियों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से औषधियां बनाने में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री की कीमतों में कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो औषधियां बनाने में प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के सामान्य नाम क्या हैं और प्रत्येक सामग्री की कीमत में कितनी कमी की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, नहीं ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उल्टाडांगा की दुर्घटना के लिए उत्तरदायी रेल कर्मचारी

2185. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उल्टा डांगा स्टेशन पर 29 जनवरी, 1975 को हुई रेल दुर्घटना के लिए उत्तरदायी ठहराये गए रेल कमचारियों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : रेलवे संरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त, पूर्वी मण्डल, कलकत्ता द्वारा इस दुर्घटना की जांच की गयी है और उनकी रिपोट की प्रतीक्षा है।

कटिहार लोको शैड के कोयला लदान श्रमिक

2186. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटिहार लोको शैड के कोयला लदान श्रमिकों ने 31 जनवरी, 1975 को हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी यात्री गाड़ियां रद्द की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान न किये जाने के कारण।

(ग) कोई भी यात्री गाड़ी रद्द नहीं की गयी थी क्योंकि विभागीय श्रमिकों को काम पर लगाया गया था।

चेतक एक्सप्रेस का विलंब से चलना

2187. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली तथा उदयपुर के बीच चेतक एक्सप्रैस गाड़ी विलंब से चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित समय के अनुसार इस गाड़ी को चलाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) खतरे की जंजीर बहुत अधिक खींचे जाने के कारण और उसके फलस्वरूप समय से हटे हुए गाड़ी चालन और अनिर्धारित क्रासिंग के कारण चेतक एक्सप्रेस का समय-पालन संतोषजनक नहीं रहा है। सभी परिहार्य विलम्बों के लिए दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जा रही है और सिविल प्राधिकारियों के समय साथ उपयुक्त स्तर पर समन्वय स्थापित करके बदमाशों की गतिविधि को रोका जा रहा है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम

2188. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 देश में अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है ;

(ख) क्या उक्त अधिनियम के बावजूद जो 15 वर्ष पूर्व लागू किया गया था, देश में दहेज के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या अधिनियम के उपबंधों में कोई त्रुटि है, जैसे कि अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध नहीं बनाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिनियम में उचित संशोधन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) ऐसी धारणा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा है।

(ख) सरकार को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है कि दहेज के मामलों में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) चूंकि दहेज एक सामाजिक समस्या है अतः उचित सामाजिक चेतना के बिना, केवल विधान इस बुराई को समाप्त करने में प्रभावी नहीं होगा।

तथापि स्त्रियों की प्रास्थिति से संबंधित समिति द्वारा इस विषय पर की गई कतिपय सिफारिशें विचाराधीन हैं।

बर्माशैल द्वारा परित सम्पत्तियों के बेचे जाने के संबंध में पैट्रोलियम कर्मचारी संघ कलकत्ता से ज्ञापन

2189. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम कर्मचारी संघ, 3 तथा 4 हरी स्ट्रीट, कलकत्ता-1, ने उनको 5 नवम्बर, 1974 को इस आशय का एक ज्ञापन दिया था कि 'बर्मा शैल द्वारा अपनी परिसंपत्तियां बेचे जाने से सरकार के हितों को आघात पहुंच रहा है तथा पूर्वी जोन में कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा से खतरा पैदा हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में किन बातों का उल्लेख किया गया है ;

(ग) इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

(घ) कंपनी द्वारा आज तक बेची हुई परिसम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जब इस कंपनी के अभिग्रहण के संबंध में बातचीत चल रही है तब सरकार ने कंपनी को अपनी परिसम्पति बेचने की अनुमति क्यों दी है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) :(क) से (ङ): पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन, कलकत्ता ने पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को भेजे गए अपने 5 नवम्बर 1974 के पत्र में यह अभ्यावेदन किया है कि बर्मा-शैल ने पूर्वी क्षेत्र में आवश्यक चल और अचल परिसम्पत्तियों को राष्ट्रीय तथा कमचारियों के हित को परवाह किये बिना विशेषकर हल्दिया शोधनशाला के अविर्भाव के समय तथा देश में बर्मा शैल के प्रचालन को ले लेने के लिए सरकार के साथ बातचीत का पूर्णानुमान करके उसने इन परिसम्पत्तियों की बिक्री से बहुत बड़ा लाभ अर्जित किया है। पेट्रोलियम वर्कर्स यूनियन ने सरकार से इस मामले में हस्ताक्षेप करने की प्रार्थना की है तथा ऐसे विक्रयों पर प्रतिबन्ध लगाने को कहा है जिस से कर्मचारियों का बेरोजगारी का डर दूर हो जाए। हल्दिया शोधनशाला के चालू हो जाने के परिणामस्वरूप अधिशेष कर्मचारियों से संबंधित मामला वर्ष 1974 से सरकार के विचाराधीन है। सितम्बर 1973 में यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान व्यवस्था को पूरे 1974 वर्ष में बनाए रखा जाए तथा अधिशेप कर्मचारियों की स्थिति का 1975 के आरंभ में पुनरीक्षण किया जाए। बर्मा शैल सहित समस्त तेल कंपनियों को इस आधार पर सूचना दे दी गई है। वर्तमान वर्ष के मध्य तक यही स्थिति बनी रहेगी।

बज-बज की परिसम्पत्तियों की बिक्री तथा उसके परिणामस्वरूप अधिशेष कर्मचारियों के बारे में बर्मा-शैल ने यह पुष्टि की है कि जो कर्मचारी अधिशेष रह जाएंगे उन्हें यूनियन के साथ किए गए समझौते के संदर्भ में उपयुक्त रूप से काम पर लगा दिया जाएगा।

बर्मा शैल ने यह भी सलाह दी है कि इसके एक मानव समस्या होने के कारण उनके पास कार्य-भार की तुलना में अधिशेप कर्मचारी होने के बावजूद उन्होंने अभी तक कमचारियों की छंटनी या जबरन छुट्टी नहीं की है। बर्मा शैल द्वारा परिसम्पत्तियों की बिक्री किए जाने के प्रश्न को भी उगाया गया था। बर्मा-शैल ने सूचना दी थी कि वे उस चल या अचल परिसम्पत्ति को बेच रहे हैं जो उनके द्वारा अपने

सामान्य व्यापार में अधिशेष या अनावश्यक पाई गई। बेची जाने वाली परिसम्पत्ति में स्टोरेज टैंक्स, ट्रैक्स, पाइप, बार्जेज और अचल संपत्ति सम्मिलित है। वर्मा शैल ने सूचना दी है कि इस प्रकार की बिक्री से उनको वर्ष 1972 में 17.34 लाख रु० तथा 1973 में 47.09 लाख रुपये की वसूली हुई। अचल परिसम्पत्तियों के विक्रय के लिए एफ० ए० ई० आर० ए० (विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम) के अंतर्गत रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से वर्मा-शैल सहित समस्त तेल कंपनियों को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के क्षेत्र के बारे में उपयुक्त आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने वर्मा शैल को सलाह दी है कि वे बात-चीत की अवधि के दौरान अपनी परिसम्पत्तियों का विक्रय न करे।

आयातित अशोधित तेल की मात्रा तथा मूल्य

2190. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 से 1974 तक कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के (एक) अशोधित तेल (दो) पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया गया ;

(ख) उक्त अवधि में, वर्षवार कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के अशोधित तेल का आयात (एक) प्रत्येक तेल उत्पादक देश से सीधा (दो) भारत में कार्य कर रही प्रत्येक विदेशी तेल कंपनियों द्वारा किया गया ;

(ग) वर्ष 1972 से 1974 तक वर्षवार, (एक) प्रत्येक तेल उत्पादक देश से सीधे (दो) भारत में काय कर रही प्रत्येक विदेशी तेल कंपनी द्वारा आयात किए गए अशोधित तेल कंपनी का औसतन प्रति बैरल मूल्य कितना कितना था ;

(घ) क्या वर्ष 1975 के लिए आयात कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) वर्ष 1972 से 1975 तक वर्षवार, देश में उत्पादित अशोधित तेल की कुल मात्रा तथा मूल्य कितना है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) सूचना निम्न प्रकार है :

मात्रा: मि० मी० टन
मूल्य: रु० /करोड़

	1972		1974		1974	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(i) कच्चा तेल	12.3	144.25	13.4	244.56	14.0	904.56
(ii) पेट्रोलियम उत्पाद	3.3	56.69	4.0	100.39	2.9	220.31

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :-

I. प्रत्येक तेल उत्पादक देश से सीधा :

	1972		1973		1974	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान	—	—	—	—	0.99	71.86
ईराक	.1	1.81	0.8	15.46	2.79	199.25
साउदी व अरबिया	--	—	0.91	23.99	0.63	48.26

II. भारत में कार्य कर रही प्रत्येक विदेशी तेल कंपनी द्वारा :

	1972		1973		1974	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
(i) **बर्मा शैल**						
ईरान	3.57	41.04	3.70	63.43	2.91	179.28
(ii) **कालटैक्स**						
ईरान	1.15	14.71	1.08	19.99	0.17	9.77
साउदी अरबिया	--	--	--	--	0.94	58.65
कुल	1.15	14.71	1.08	19.99	1.11	68.42
(iii) एस्सो/एच पी० सी०						
साउदी अरबिया	2.51	27.85	2.56	39.46	2.69**	154.05**

*अस्थायी

**एस्सो/एच० पी० सी०

उपर्युक्त के अलावा एम आर एल तथा सी आर एल (सरकारी क्षेत्र में) द्वारा इस अवधि के दौरान आयातित अशोधित तेल निम्नलिखित था :

	1972		1973		1974	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
एम० आर० एल० (ईरान)	2.60	32.24	2.51	47.04	2.30	155.86
सी० आर० एल० (ईरान)	2.32	26.08	1.91	35.16	0.55	27.55

(ग) 1972 से 1974 के दौरान विदेशी तेल कंपनियों द्वारा जहाज पर्यन्त निःशुल्क भाड़ा मूल्यों के दावे के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी-9082/75] तथापि, सीधे सरकार द्वारा आयातित तेल के प्रति बैरल के लिए दिए गए मूल्यों को बताना जन हित में नहीं है।

(घ) अभी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) इन वर्षों के दौरान अशोधित तेल का देशी उत्पादन निम्नलिखित है :--

वर्ष	मात्रा (मिलियन मीटरी टन)
1972 . . .	7.37
1973	7 20
1974	7.49
1975	8.25 (अनुमानित)

देशी उत्पादकों को स्वीकृत अशोधित तेल का मूल्य अब आयात समानता के साथ जुड़ा हुआ नही है । उत्पादन करने वाली संगठनों द्वारा वसूल किए गए मूल्य, वर्षवार, निम्न लिखित हैं:

	ओ आई एल		ओ एन जी सी
वर्ष	रु० करोड़	वर्ष	रु०/करोड़
1972	. 33.96	1972-73	48.82
1973	34.52	1973-74	80.90
1974	41.64	1974-75 (अनुमानित)	141.10
1975 अनुमानित	43.60 (अनुमानित)	1975-76	170.62

असम तेल कंपनी अपने द्वारा उत्पादित अशोधित तेल की कुल मात्रा को स्वयं साफ करती हैं। चूंकि यह अशोधित तेल किसी अन्य संगठनों को बेचा नहीं डा जाता, उसके मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विशेषाधिकार के प्रश्न के वारे में

RE : QUESTION OF PRIVILEGE

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, कल आपने आश्वासन दिया था कि यदि कुछ दस्तावेज आपकें समक्ष रखे जायें तो आप उनकी जांच करेंगे और तब सभा में इस मामले को उठाया जा सकता है। मैंने सभा की कार्यवाही का वृतांत पड़ा है और जिन बातों को श्री वाजपेयी ने 27 तारीख को नहीं उठाया था उसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मेरा नम्र निवेदन है कि विशेषाधिकार के मामलें सें सम्बन्धित जो संगत जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मुझे कुछ कहने दिया जाये जिन अन्य व्यक्तियों ने सूचनाएं दी हैं उन्हें भी विचार व्यक्त करने दिये जाये । तत्पश्चात आप जो भी निर्णय देंगें वह हमें मान्य होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपसे कहा था कि जो भी नये कागजात आपके पास हों उन्हें भेज दीजिए लेकिन आप ने कुछ नहीं भेजा। आप के भेजे हुए कागजात मैंने देखें हैं। वे सब वहीं है। जिनके बारे में मैंनें विनिर्णय दिया है। कल सुबह तक जो कुछ भी मुझे मिला है मैंनें उसकी जांच कर ली है। उसमे नयी बात कोई भी नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय, मुझे इस संबंध में कुछ कहना है। मैंने जो सूचना कल भेजी थी उसी को क्रम में आज प्रातः एक सूचना मैंने दी है।

बात यह है माननीय प्रधानमंत्री ने कल एक वक्तव्य दिया था जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई है। जहां तक मुझे याद है प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहला परिपत्र भी उनके सचिवालय द्वारा जारी किया गया था। अब आपका मत यह है कि परिपत्र उनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था और नये प्रधानमंत्री ने उसे पुनः परिचालित कराया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके कथन पर दृढ़ हूं। अतः आपने जो कहा था कि वह ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि परिपत्र सीमित किस्म का है। यद्यपि यह उनके पूर्ववर्ती ने जारी कराया था तथापि यह चीन, पाकिस्तान और कश्मीर तक ही सीमित है। लेकिन अब मालूम देता है कि यह सामान्य किस्म का है। दोनों में भारी अन्तर है। यह तो सभी पर लागू होता है। अतः इस मामले में भी उनका कहना गलत है।

आपको यह भी स्मरण होगा कि प्रधान मंत्री ऐसा प्रभाव पैदा करने का प्रयत्न किया बल्कि उन्होंने यह दावा किया कि परिपत्र का संबंध वक्तव्यों से है। लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि वक्तव्यों के साथ-साथ इसका संबंध अनुपूरक प्रश्नों से भी है। अध्यक्ष महोदय, आप ही इस संबंध में ठीक-ठीक निर्णय ले सकते हैं कि क्या मंत्री महोदय के वक्तव्य के बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे नियमों के अनुसार वक्तव्य सभा पर रखे जाने के बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। अतः इस दृष्टि से भी प्रधान मंत्री का यह कहना गलत है कि परिपत्र का संबंध केवल वक्तव्यों से हैं। उनके सचिवालय द्वारा जारी किए गये नोट से स्पष्ट है कि उसका संबंध प्रश्नों से भी है।

श्री बसंत साठे (अकोला): नियम 222 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जरा ठहरिये।

श्री बसंत साठे : वक्तव्य रखे जाने के बाद तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न ही व्यर्थ हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह समय व्यवस्था का प्रश्न उठाने का है।

श्री बसंत साठे : नियम 222 के विपरीत आप उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे रहे हैं। आपके भी निर्णय के बाद भी वे प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। आपके विनिर्णय के बाद मामले पर पुनः चर्चा नहीं की जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि कोई नयी बात नहीं कही जा रही। लेकिन सदस्य महोदय ने कहा है कि नई बात है और कुछ शब्द कहे हैं। इसमें कोई आरोप नहीं है। अगर आप सभी व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो मैं क्या कर सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप मुझे दो मिनट का समय दीजिये। मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा तब आप अपना विनिर्णय दें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है मैं वो बातें सभा के समक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं कुछ नयी बातें कह रहा हूं। कल सभा के ध्यान में यह बात लाई गई कि 20 नवम्बर, 1974 को प्रश्न काल के दौरान मैंने यह मामला उठाया था कि माननीय प्रधानमंत्री ने प्रश्नों के संक्षिप्त विवरण भेजने के बारे में मंत्रियों को कोई परिपत्र भेजा है।

उन्होंने 28 नवम्बर को आपको पत्र लिखा था। लेकिन मैंने इस बात पर बल दिया था कि चूंकि मैंने मामला सभा में उठाया है अतः प्रधानमंत्री को सभा में वक्तव्य देना चाहिये। उन्होंने 4 दिसम्बर को सभा में वक्तव्य दिया और कहा मेरे द्वारा पदग्रहण करने से पूर्व हमारे कार्यालय से कश्मीर, पाकिस्तान और चीन से संबंधित प्रश्नों के बारे में कुछ परिपत्र भेजे गये थे। लेकिन मैंने कोई भी परिपत्र नहीं भेजा है। फिर 24 दिसम्बर, 1974 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक समाचार प्रकाशित हुआ।:......

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : इतने शोर में मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी तक आपने जो कहा है उसमें नया कुछ नहीं है। अपना विनिर्णय देते समय मैंने सब कुछ देख लिया था। आपका दो मिनट का समय समाप्त हो गया है। आप कृपया बैठ जाइये। आप बाधा पहुंचा रहे हैं।

Sh. Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, will you kindly permit me speak for two minutes. You have heard every body but I have not been allowed to say few words.

Mr. Speaker : You finish your matter within two minutes.

Shri Madhu Limaye : First of all I want to know whether the Prime Minister has made in correct statement. She has said that " No circular has gone from the Prime Minister's Secretariat in my time. But, this before my time. However, circulars were issued many years ago, before I assumed office, that replies to questions pertaining to China, Pakistan and Kashmir should be shown to the Prime Minister in advance. I thought that I would put the records straight." But Sh. Bauri of the Prime Minister's Secretariat has admitted latter on that the second circular was sent during his term. So She was wrong. No She says that circular had been sent but it related a only to statements and not to questions. But in the first circular it was said "Questions relating to China, Pakistan and Kashmir." You please see rule 50 and then give your ruling. I am not challenging your ruling.

Mr. Speaker: There is nothing new in it. It has been said before also.

Shri. Madhu Limaye; Mr. Speaker, Sir, under rule 372, *suo moto* statement can be given. This rule says "no questions shall be asked." Now you please Check up rul e 197; supplementary word is not there, the word questions is written...... (*Interruption*) rule 197 says "There shall be no debate in such statement at the time it is made." Only a question and not a supplementary can be asked.

Mr. Speaker: Regarding what.

Sh. Madhu Limaye: I am talking about call attentions. You see rule 50:

> "Any member when called by the speaker may ask a supplementary question for the purpose of further elucidating any matter or fact regarding which an answer has been given."

So four incorrect things have been said but no regrets are forthcoming. So why a question of privilege should not be raised.

निर्माण और आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि परिपत्र का संबंध केवल लोक सभा से न हो कर राज्य सभा से भी है। राज्य सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति है। दूसरे इस सभा में भी प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि परिपत्र का संबंध लोक सभा और राज्य सभा दोनों सभाओं से है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Speaker, now you please give me time.

अध्यक्ष महोदय : आप इसे और लम्बा मत कीजिये। कल भी हमने इस पर काफी समय लगाया है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Even after the speech of the Minister for Parliamentary Affairs, one question remains to be answered. On the 4th December the Prime Minister said that she had not issued any circular but afterwards she told that a circular had been issued. The Prime Minister should at least admit that the Statement she had made on 4th Dec. was incorrect.

Mr. Speaker : I have examined the papers carefully and did not find anything new therein. There is no question of hiding anyting. It is the prerogative of the Prime Minister that she can see the statements to be made by the Ministers.

श्री मधु लिमये : वह हर चीज को छिपाना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : खेद है, मैं इस बारे में सहमत नहीं हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आम जनता को आवश्यक औषधियां तथा आम घरेलु दवाइयां उपलब्ध कराने और औषध तथा भेषज उद्योग संबंधी समिति के प्रतिवेदन के संबंध में वक्तव्य

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : म सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) आम जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधियां तथा आम घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने संबंधी उपायों के बारे में औषध तथा भेषज उद्योग संबंधी समिति के बारे में विवरण।

(2) "आम जनता को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक औषधियां तथा घरेलू दवाइयां उपलब्ध कराने संबंधी उपायों" के बारे में औषध तथा भेषज उद्योग संबंधी समिति के प्रतिवेदन की प्रति।

(3) प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये एल० टी० संख्या 9074/75]

कम्पनी (कर्मचारी का विवरण) नियम, 1975

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 फरवरी, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 41 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 9075/75]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : श्रीमन् मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा ने 27 फरवरी, 1975 की अपनी बैठक में वायु सेना और थल सेना विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975 पास कर दिया है।

(दो) कि राज्य सभा को भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1975 जो लोक सभा द्वारा 18 फरवरी, 1975 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

वायु सेना और थल सेना विधियों (संशोधन) विधेयक

Air Force and Army laws (Amendment) Bill

2. मैं वायु सेना और थल सेना विधियां (संशोधन) विधेयक, 1975, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अपराध मूलक और अश्लील उत्तेजक फिल्मों को चोरी छिपे देश में लाये जाने का समाचार

श्री ईरा सेझियान (कम्बोकोणम) : मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"अपराधमूलक और अश्लील उत्तेजक फिल्मों को चोरी छिपे देश में लाये जाने तथा बिना सेंसर की हुई बहुत सी फिल्मों के सार्वजनिक थियेटरों में दिखाये जाने का समाचार"

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : 10 सितम्बर, 1972 को सेन्ट्रल बोर्ड आफ एक्साइज एंड कस्टम्ज ने यह निर्णय किया था कि अनधिकृत रूप से आयातित सभी फीचर फिल्में जब्त करली जानी चाहिएं तथा जब्त की गई फिल्मों को उनके बदले में जुर्माने के भुगतान पर भी छुटाने की छूट देने की जरूरत नहीं है।

2. वस्तुओं के चोरी छिपे लाने ले जाने को रोकने के उपायों को सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कड़ा किया जा रहा है। फिल्मों का चोरी छुपे लाना ले जाना इन उपायों के कार्य-क्षेत्र में आता है।

3. भारत में फिल्मों का प्रदर्शन चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के उपबंधों तथा समय-समय पर यथासंशोधित विभिन्न राज्य सिनेमा (विनियम) अधिनियमों के अनुसार विनियमित होता है। कानून के अन्तर्गत, भारत में फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करने वाले मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं :—

(1) भारत में किसी भी फिल्म को केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड से प्रमाणीकृत कराये बिना प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

(2) इस प्रकार प्रमाणीकृत किसी भी फिल्म को उचित 'स्थान लाइसेंस' प्राप्त किये बिना तथा इस प्रकार के लाइसेन्स में लगाई गई शर्तों तथा प्रतिबन्धों का पालन किये बिना प्रदर्शित नहीं किया जा सकता।

12 LSS/75—10

4. फिल्मों का प्रदर्शन राज्य विषय है। हमने सभी राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों से यह अनुरोध किया था कि वे चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों तथा उनके अधीन बने नियमों को सभी जिला मजिस्ट्रेटों के ध्यान में ला दें उनको आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी सिनेमाघरों द्वारा नियमों का सख्ती से पालन हो, और इनका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाही करें।

5. फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए। कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाई शुरू की गई।

6. सरकार का प्रमाणीकृत तथा अप्रमाणीकृत दोनों प्रकार की फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए फिल्म सेन्सर बोर्ड में एक 'निरीक्षणालय' स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

श्री सेझियान : समाचारपत्रों से पता चला है कि भारत में फिल्मों की तस्करी दो तरीकों से की जाती है। एक तो चूड़ी उद्योग के लिये बेकार फिल्मों का तथा अश्लील तथा अपराधमूलक फिल्मों का आयात किया जाता है। दूसरे विदेशों में दिखाई जा चुकी भारतीय फिल्मों के बदले में ऐसा किया जाता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं। मुझे बताया गया है कि फिल्मों की तस्करी दण्डनीय अपराध नहीं है। इसे दण्डनीय अपराध माना जाये। भारत में फिल्मों की तस्करी के बदले में भारत से बाहर भी फिल्मों की तस्करी की जाती है।

यह बताया गया है कि देश से लगभग 100 फिल्मों की तस्करी हो रही है जिनमें से बहुत सा धन कमाया जाता है। इस तरह से फिल्म निर्माताओं को काफी हानि होती है और सरकार को भी विदेशी मुद्रा की हानि होती है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने बड़े फिल्म निर्माताओं के हितों की रक्षा करने तथा विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये हैं। वक्तव्य के पैरा 6 में बताया गया है कि सरकार फिल्म सेंसर बोर्ड में फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन को रोकने के लिए एक निरीक्षणालय स्थापित कर रही है। मेरे विचार में यह काफी मंहगा रहेगा और इसमें और कई कठिनाइयां भी आ सकती हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान तन्त्र को तथा आबकारी विभाग को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाये।

श्री आई० के० गुजराल : सरकार भारत से बाहर फिल्मों की तस्करी की समस्या को हल करने के लिए कार्यवाही कर रही है परन्तु देश में फिल्मों की तस्करी एक नई समस्या है। हाल में 10 मामले हमारे नोटिस में आये हैं। अप्रमाणीकृत फिल्में दिखाई गई हैं और हमारे विचार में इन फिल्मों की तस्करी की गई है क्योंकि ये सेंसर बोर्ड से पास नहीं हुई हैं। अतः हमने राज्य सरकारों से इन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहा।

जहां तक फिल्मों के आयात को नियमित करने का सम्बन्ध है, हम विदेशी फिल्म निर्माताओं से होने वाले करारों को अन्तिम रूप दे रहे हैं ताकि हमें उचित माध्यमों से अधिक फिल्में मिल सकें। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सिनेमाओं पर कड़ी निगरानी रखते हैं। कभी कभी हमें पता चलता है कि सेंसर बोर्ड द्वारा काटे गये भागों को कुछ सिनेमाओं में दिखाया जाता है। इसके लिए हम एक ऐसे छोटे निरीक्षणालय खोलने पर विचार कर रहे हैं जो विभिन्न सिनेमाओं की अचानक जांच करे तथा मुकदमें दायर करे।

श्री सी० टी० दण्डपाणी (धारापुरम्) : समाज के कुछ सम्पन्न वर्ग भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अश्लील फिल्मों की तस्करी करते हैं। फिल्मों की तस्करी चूड़ी उद्योग के लिए बेकार फिल्मों के

बहाने से की जाती है । क्या सरकार बेकार फिल्मों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ताकि चूड़ी उद्योग को किसी प्रकार की हानि न हो ।

अनधिकृत रूप से फिल्मों का आयात तथा निर्यात अपराध है । फिल्में देश से बाहर नियमित रूप से चोरी छिपे भेजी जाती हैं । ऐसा सीमा-शुल्क अधिकारियों की सांठ-गांठ से किया जाता है । मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य बड़े शहरों में इनके एजेन्ट काम करते हैं जो निर्माताओं से करार करते हैं । बाद में वे पुरानी फिल्मों के बहाने नई फिल्में चोरी छिपे बाहर भेजते हैं। यदि सीमा-शुल्क अधिकारी प्रत्येक रील देखें तो वे इस प्रकार की तस्करी को रोक सकते हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि फिल्मों की तस्करी के कितने मामले पकड़े हुए हैं और उनमें किन 2 व्यक्तियों का हाथ है।

श्री आई० के० गुजराल: जहां तक देश से बाहर तस्करी का सम्बन्ध है हम उचित कार्यवाही कर रहे हैं । हम लोगों पर मुकदमा ही नहीं चला रहे बल्कि इन चीजों को भी जब्त कर रहे हैं । इसका समाधान केवल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की स्थापना द्वारा ही सम्भव है ताकि सभी फिल्मों का निर्यात इस निगम द्वारा किया जा सके और वह फिल्मों के वितरण का भी काम करे । यह एक निरोधक उपाय सिद्ध होगा । यह मामला हमारे विचाराधीन है और हम इस पर अमल करने जा रहे हैं ।

श्री बसन्त साठे (अकोला): देश में अपराध मूलक तथा अश्लील फिल्मों की तस्करी का मामला अत्यन्त गम्भीर है । ये फिल्में सम्पन्न वर्ग को नहीं दिखाई जाती हैं । ये फिल्में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई जाती हैं जहां पर नवयुवक अपराध तथा हिंसा से प्रभावित होते हैं और इन फिल्मों की नकल करने का प्रयास करते हैं । यहां तक कि फिल्मों की नकल करके डकैतियां भी की गई हैं । फीचर फिल्में बेकार फिल्मों के नाम पर आयात की जाती हैं । सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दिये जाने चाहियें कि देश में कितनी बेकार फिल्मों की आवश्यकता है और क्या उनका आयात आवश्यक है ।

दूसरी बात यह है कि विदेशों में दिखाई गई भारतीय फिल्मों के बदले में अपराध मूलक फिल्में आयात की जाती हैं । सीमा-शुल्क अधिकारी इस बात की जांच करें कि क्या यह वही फिल्म है जो यहां से बाहर भेजी गई थी । मैं मंत्री महोदय से इन दो बातों का उत्तर चाहता हूं ।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि तस्करों के कार्य करने की विधि बहुत जटिल है । केवल यही दो तरीके नहीं हैं जो ऊपर बताये गये हैं । मेरे विचार में तस्करी के और भी कई तरीके हैं । निश्चय ही सीमा-शुल्क अधिकारी इस पर ध्यान देंगे ।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर): फिल्मों की तस्करी के लिए जो कानून बनाये गये हैं वे केवल कागजी हैं । कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता । ये फिल्में न केवल ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में ही दिखाई जाती हैं अपितु सरकारी सिनेमाओं में भी दिखाई जाती हैं । दिल्ली जैसे बड़े शहरों में क्लबें हैं। ये नाइट क्लब नहीं कहलातीं । इन्हें सामाजिक क्लबें कहा जाता है । इनके सदस्य बहुत ही उच्च अधिकारी यहां तक कि पुलिस विभाग के अधिकारी भी हैं । ये फिल्में उन्हें नियमित रूप से दिखाई जाती हैं । इनके सदस्य बहुत ही कम लोग बन सकते हैं । जब तक कि किसी नये सदस्य की सिफारिश स्क्रीनिंग कमेटी के एक दर्जन सदस्य नहीं करते तब तक वह सदस्य नहीं बन सकता । मंत्री महोदय इस बात की पूरी जांच करायें ।

श्री आई० के० गुजराल : माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि भारत में चोरी छिपी लाई गई फिल्मों का प्रदर्शन का मामला पहली बार ध्यान में आया है । हम इसे रोकने के इच्छुक हैं ।

जहां तक सामाजिक कलों का सम्बन्ध है, यह मामला समाज का है। आशा है कानून और व्यवस्था अधिकारी इस पर ध्यान देंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न पश्चात 2.30 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है जब हम जम्मू और कश्मीर राज्य के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा पुनः आरम्भ करेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sábha then adjourned for lunch till thirty minutes past Fourteen of the Clock

---

लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 14.33 बजे पुनः समवेत हुई।

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at Thirty three minutes past Fourteen of the Clock).

उपाध्यक्ष पीठासीन हुए

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं एक अत्यन्त अविलम्बनीय मामले की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। समाचार मिले हैं कि सभी बसों और ट्रकों के परमिट रद्द कर दिये गये हैं और प्राइवेट बस मालिकों को धमकी दी गई है कि उन्हें अपनी बसें तथा ट्रक वापस लेने पड़ेंगे। यह सभी कुछ पिछले 48 घन्टों में किया गया है ताकि लोग संसद पर जनता की मार्च में शामिल न हो सकें। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि यदि उन्होंने कुछ किया और यदि उनकी गाड़ियों को कुछ नुकसान हुआ तो वे जिम्मेदार नहीं होंगे।

क्या यह सच है कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथारिटी ने न केवल परमिट ही वापस ले लिये हैं अपितु बस मालिकों को यह धमकी दी है कि वे लोगों को राजधानी में न लायें। रेलों पर भी सभी प्रकार की अड़चनें डाली जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में एक वक्तव्य दे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : समूचे देश में ग्रिन्डलेंड बैंक के कर्मचारी प्रतिदिन 3 से 4 घन्टे की हड़ताल पर हैं। उन्होंने 14 मार्च को एक दिन की पूर्ण हड़ताल का निर्णय किया है। मैं वित्त मंत्री तथा श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मामले पर तुरन्त ध्यान दें।

जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में दिए गए वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : STATEMENT IN RELATION TO THE STATE OF JAMMU AND KASHMIR

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम समझौते का स्वागत करते हैं। कश्मीर की स्थिति को सामान्य बनाने वाले किसी भी प्रयास का हमेशा स्वागत होता रहेगा। कहा जाता है कि उस राज्य की स्थिति आज सामान्य है और वहां एक लोकप्रिय सरकार है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो लोग कश्मीर गये हैं उन्होंने श्रीनगर तथा अन्य स्थानों पर बहुत संख्या में सैनिकों तथा पुलिस का जमाव देखा। इस स्थिति में पुनर्निर्माण की समस्या को हल करना सम्भव नहीं। मुझे इस बात का तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस समझौते के बाद तनाव बिल्कुल समाप्त हो जायगा और सेना तथा पुलिस पर इतनी

बड़ी राशि व्यय करने की हमें आवश्यकता नहीं होगी जो लोग इस समझौते का विरोध करते आ रहे हैं वे इस तथ्य को भूल गये हैं कि भारत में विलीन होने का निर्णय अब अटल बन गया है, जो इस समझौते से सिद्ध हो चुका है। इस समझौते की मुख्य विशेषता यह है कि समस्या को भारत की एकता तथा भारतीय संविधान के व्यापक दृष्टिकोण से हल करने की प्रयास किया है।

कुछ लोगों ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया है। उनका कहना है कि कश्मीर भी देश के अन्य भागों की तरह है। चूंकि अनुच्छेद 370 और किसी राज्य के लिए नहीं है अतः इस अनुच्छेद को हटा दिया जाना चाहिये लेकिन उन्हें यह बात समझ लेनी चाहिये कि यदि हम अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रयत्न करते हैं तो एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जो इस राष्ट्र की अखण्डता हेतु जनसंघ द्वारा बनाये जाने वाले वातावरण के भी प्रतिकूल होगा।

यदि संविधान में अनुच्छेद 370 के रहने से कश्मीर जनता को सन्तोष है तो हम उस अनुच्छेद से घबराने की कोई बात नहीं है। इसके हटाये जाने के प्रयत्न से तनाव बढ़ सकता है और इसका प्रभाव उससे सर्वथा उलटा होगा जैसाकि जनसंघ सदस्य अनुमान लगा रहे हैं।

शेख अब्दुल्ला के बारे में कहा गया है कि क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है। कश्मीर में केवल शेख अब्दुल्ला ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो वहां कुछ अच्छा काम कर सकता है। अत. उनसे समझौता करना गलत नही है। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के विभिन्न लोगों के एजेन्ट के रूप में काम करेंगे तथा इस प्रकार उन्हें देश की शेष जनता के साथ लाया जा सकेगा। इस प्रकार का परिवर्तन करने के लिए यही एक रास्ता है।

स्वीकृत निष्कर्षों के अन्तर्गत सभी परिवर्तन आपसी समझौते के अनुसार भारत के संविधान के ढांचे के अनुरूप किये जायेंगे। मैं 6 फरवरी, 1975 के मिर्जा अफजल बेग के बक्तव्य का स्वागत करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों में जनमत संग्रह असंगत हो गया है। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह मांग की गई है कि कश्मीर के कुछ मामलों को भारत की सर्वोच्च न्यायालय के अन्तर्गत न लाये जाये। यह अच्छा है कि उस मांग को नहीं माना गया तथा सर्वोच्च न्यायालय की प्रभुसत्ता को समाप्त नहीं किया गया।

इसका एक और भी पहलू है। यदि काश्मीर में विभिन्न प्रकार का तनाव निरंतर बना रहेगा तो हमें पता है कि अन्तर्राष्ट्रीय शक्तियां काश्मीर को राजनीति का अखाड़ा बना लेंगी। यदि हम वहां तनाव समाप्त करने में सफल हो जाते हैं तो हम वहां किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति को प्रभाव नहीं डालने देंगे। काश्मीर के बारे में हमारा यही रवैया होना चाहिए।

काश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बनाते हुए हमें उसकी कुछ विशेषताओं को बनाये रखना चाहिए हमें काश्मीर के साथ बेटी का सा व्यवहार करना चाहिए किन्तु अपने ससुराल में उसे मालकिन समझना चाहिए। यदि उनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं हैं तो हमें उन्हे बनाये रखना चाहिए। यदि इसी बात को ध्यान में रखकर यह समझौता किया गया है तो निस्संदेह समस्या को हल करना कठिन नहीं है।

इस समझौते को स्वीकार करते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उसका अपना दृष्टीकोण है। राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा को प्रभावित करने वाली समस्याओं के प्रति उनका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। खुशी की बात है कि शेख अब्दुल्ला ने श्री जय प्रकाश नारायण की विचाराधारा को स्वीकार किया है।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : शेख अब्दुल्ला तथा प्रधान मंत्री के बीच हुए इस समझौते की सर्वत्र सराहना हुई है। कुछ समय पहले इस राज्य में तनाव था जिसका कारण यह था कि लोगों को गलत फहमी थी। इसी गलत फहमी के कारण शेख साहिब तथा केन्द्र के बीच मतभेद रहे। इसका परिणाम वहां की जनता को भुगतने पड़े। इस समझौते का विरोधी केवल जनसंघ है। मैं जनसंघ के नेताओं से कुछ पूछना चाहता हूं। वे जम्मू और काश्मीर में क्या चाहते हैं? क्या वे यही चाहते हैं कि वहां निरंतर राजनीतिक तनाव बना रहे?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): Article 370 should go.

Shri R.R. Sharma (Banka) What is the difference betw.en Tamilnadu and Jammu and Kashmir. Why they should be given special states.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं 1953 की दुखद स्थिति की पुनः याद दिलाता हूं। इस स्थिति के क्या कारण थे? उस समय प्रजा परिषद् ने अनुचित आन्दोलन किया था। आज जनसंघ भी उसी दिशा में जा रहा है। किन्तु उन्हें यह भूल जाना चाहिए कि यह 1953 नहीं है अपितु 1975 है। अब तो जम्मू और काश्मीर में ही नहीं वरन् समूचे देश में राजनीतिक स्थिति बदल गई है। अतः अब जो अच्छा वातावरण बन गया है, उसमें इस खतरनाक तत्व को प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। मेरे विचार से तो इस समझौते से जम्मू और काश्मीर में राजनीतिक वातावरण में सुधार होना आरम्भ हो गया है। इससे देश में लोकतांत्रिक, धर्म निरपेक्ष तथा प्रगतिशील शक्तियों का विकास होगा ताकि हम समाजवाद की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें।

यह ठीक है कि अतीत में शेख अब्दुल्ला का रवैया कई मामलों में अनुचित रहा है। यह भी सही है कि काश्मीर के बारे में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हुई। किन्तु अब शेख अब्दुल्ला की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। यह समझौता अकस्मात ही नहीं हुआ अपितु इस को अंतिम रूप देने में कम से कम 2½ वर्ष लगे हैं। शेख अब्दुल्ला ने इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के लोगों से सम्पर्क किया और उन्होंने सोचा कि लोगों में इसकी प्रतिक्रिया अनुकूल है तो उन्होंने गलतफहमी दूर करने का यह उचित अवसर समझा और यह समझौता कर लिया। आज शेख अब्दुल्ला तथा उनके साथियों में सहयोग तथा जिम्मेदारी की भावना है। अब उनकी शक्तियों का उपयोग राज्य की आर्थिक दशा में तीव्र गति से सुधार करने में किया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : Article 370 should be done away with and Central rules should be introduced.

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : मैं जनसंघ के सदस्यों से कहूंगा कि वे इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां लोगों की प्रतिक्रिया को देख सकते हैं। राज्य की अखंडता के लिए जम्मू के लोग सदैव तैयार रहे हैं। खुशी की बात है कि शेख अब्दुल्ला तीनों क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। उन्हें पता है कि जम्मू, काश्मीर तथा लद्दाख के लोगों को किस तरह आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि उनके नेतृत्व में जम्मू, काश्मीर तथा लद्दाख के सम्बन्ध और मजबूत होंगे और जम्मू और काश्मीर तथा भारत के बीच भी सम्बन्ध और अधिक मजबूत होंगे।

मेरे जनसंघी मित्र भी भुट्टो की तरह इस समझौते का विरोध कर रहे हैं। जिन्हें किसी प्रकार की शंका है मेरा उन मित्रों से अनुरोध है कि अपने दिमाग से शंका दूर कर दें और राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में अपना सहयोग दें।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम इस समझौते से सहमत हैं । इससे शेख अब्दुल्ला तथा भारत सरकार के बीच जो गलत फहमी थी, वह दूर हो गई है । दुख की बात है कि यह अध्याय इतने लम्बे समय से चलता रहा है । फिर भी संतोष की बात है कि अन्ततोगत्वा यह समझौता हो ही गया । आशा है कि इससे जम्मू और काश्मीर के लोगों तथा समूचे देश वासियों की दशा में सुधार होगा।

हमें इस बात का पता नहीं है कि यह समझौता किस तरह हुआ है । हम यह नहीं कह सकते कि दोनों पक्ष इस समझौते को बनाये रखेंगे ताकि वह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पुन: उत्पन्न न हो । इस बारे में आश्वासन केवल प्रधान मंत्री ही दे सकती हैं ।

इस समझौते के सम्बन्ध में बातचीत किस तरह हुई, इस बारे में हमें अंधकार में रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने सभा को इस बारे में जिस तरह अंधकार में रखा है, क्या वह उचित है । इस बारे में आरम्भ से जो कुछ बातचीत हुई है, क्या उससे संसद को अवगत नहीं किया जाना चाहिए था। इस पर हमें महान आपत्ति है ।

कुछ कारणों से हम इस समझौते का समर्थन नहीं करते मैं इतना बता दूं कि शेख अब्दुल्ला का इस रूप में आने का मैं स्वागत नहीं करता क्योंकि वह प्रथम संख्यकों का नेता है । अल्प संख्यकों के नेता के रूप में उनका आदर करता हूं शेख अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। हमें उन्हें एक राष्ट्रीय नेता समझना चाहिए । एक बार पंडित नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के बारे में कहा था कि वह धर्म निरपेक्ष के सिद्धान्तों का समर्थक है । वह दो राष्ट्र के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता।

आधुनिक काश्मीर का मुख्य निर्माता शेख अब्दुल्ला है और आधुनिक काश्मीर के लिए उन्होंने जो प्रयास किए हैं, वे भुलाये नहीं जा सकते । हमारा ख्याल है कि देश की परिवर्तित परिस्थितियों में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं ।

शेख अब्दुला ने हाल ही में जो कुछ बातें कही हैं, हमें उन्हें सुनकर हर्ष है । शेख अब्दुला ने कहा है कि वह प्रशासन में सुधार करने के लिए उत्सुक है और वह प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा है कि मैं समाजवाद, धर्म निरपेक्ष तथा लोकतंत्र के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी के सिद्धान्तों को स्थान दूंगा।

शेख अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं बल प्रयोग में विश्वास नहीं करता मैं विरोधियों को प्यार से मनाऊंगा । उन्होंने पुलिस से कहा कि मेरे विरोधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाये । वह श्री जय प्रकाश नारायण वाली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं । श्री जय प्रकाश नारायण तथा शेख अब्दुल्ला के विचारों में समानता है ।

वह वहां जनता के मुख्य मंत्री के रूप में गए हैं। वह आपके दल के नेता के रूप में नहीं गए हैं । श्री जय प्रकाश नारायण तथा उनके आन्दोलन में लगे लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे इस आन्दोलन के माध्यम से दलहीन लोकतंत्र के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं।

शेख अब्दुल्ला वहां दलहीन नेता और मुख्य मंत्री के रूप में कार्य करेंगे । मैंने अपने मित्र श्री स्वर्ण सिंह से पूछा है कि क्या जम्मू और काश्मीर विधान सभा भंग नहीं समझी जाये ? वर्तमान संदर्भ में जम्मू और काश्मीर विधान सभा का क्या अर्थ है ? शेख अब्दुल का कोई भी मंत्री विधान सभा से नहीं है।

मैं प्रधान मंत्री से सहमत हूं कि यह समझौता विधिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। काश्मीर की स्थिति पर विचार करते हुए हमें अपने महान नेताओं के विचारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अनुच्छेद 370 से वहां की प्रगति रुक जायेगी बल्कि काश्मीर में जो एकता हुई है उसका अधिकांश श्रेय अनुच्छेद 370 को जाता है। मेरा विचार है कि अनुच्छेद 370 को वापस लेने की मांग काश्मीर के लोगों द्वारा की जायेगी। अनुच्छेद 370 ने वास्तविक रूप से रचनात्मक भूमिका निभायी है। यह स्थायी अनुच्छेद बन गया है। हम इस समझौते पर संतोष व्यक्त करते हैं। हमें आशा है कि यह समझौता सफल सिद्ध होगा और इससे सारी गलतफहमी दूर हो जायेगी। हमारी ओर से आश्वासन है कि हम भी इस समझौते को सफल बनाने में अपना सहयोग देंगे।

श्री सन्त बक्श सिंह (फतेहपुर): श्री श्याम नन्दन मिश्र द्वारा कही गई एक-दो बातों को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम काश्मीर में श्री जय प्रकाश नारायण की भाषा में बोलते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उनके समर्थक उनके वहां आने पर किस भाषा का प्रयोग करते हैं।

मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग दिन रात विधि-पूर्वक निर्वाचित विधान सभा को भंग करने का अभियान चला रहे हैं वे उस व्यक्ति के बारे में चिंतित हैं जोकि विधान सभा का सदस्य नहीं है और मुख्य मंत्री बनाया गया है। क्या श्री मिश्र यह भूल गए हैं कि यह प्रयोग उनके दल ने भी किया था जबकि उन्होंने श्री टी० एन० सिंह को उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया था (**व्यवधान**)।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: क्या वह किसी दल के हैं? उनका किसी दल से संबंध नहीं है। क्या आप टी० एन० सिंह तथा शेख अब्दुला के बीच अंतर नहीं समझते?

श्री सन्त बक्श सिंह: मैं तो केवल विधान सभाओं और विधान सभाओं के लिये निर्वाचित व्यक्तियों का मुख्य मंत्री चुने जाने के प्रति आपका जो प्यार है, उसे बताना चाहता हूं। मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि काश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही दर्जा दिया जा रहा है। आश्चर्य है कि वे भारतीय भावना को भूल गए हैं। भारतीयों की भावना यह है कि विभिन्नता में एकता स्थापित की जाये। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न भाषाएं तथा कई संस्कृतियां हैं। उसके बावजूद भी हमारे यहां विभिन्नता में एकता है। जहां यह भावना नहीं है उनकी स्थिति खराब है। आज पाकिस्तान या बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। 1967-69 के दौरान की मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। उस समय अमृतसर से कलकत्ता तक एक भी कांग्रेसी सरकार नहीं थी। यह तो केवल प्रधान मंत्री की सूझबूझ थी कि भारत में एकता बनी रही। हम देश में इसी तरह की सहनशीलता चाहते हैं। प्रधान मंत्री ने उसी नीति का अनुसरण किया जो उस समय के प्रधान मंत्री की नीति थी। 1964 में नेहरू जी ऐसा ही करना चाहते थे। शेख अब्दुला को वजीरे आजम पुकारे जाने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। नाम में क्या रखा हुआ है? जनसंघ की कार्यकारिणी समिति ने कहा है कि समझौते में धर्म निरपेक्ष समाजवाद तथा लोकतंत्र की बात तो की गई है किन्तु उसमें देश भक्ति की कोई बात नहीं की गई है। ये लोग देशभक्ति की भावना को केवल तभी समझ सकते हैं जबकि वे अपने दिमाग से संकीर्णता को तिलांजली दे दें।

प्रधान मंत्री ने यह समझौता करके दूरदर्शिता का परिचय दिया है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि शेख अब्दुला एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहा है। और मैं यह भी बता दूं कि जो लोग आज शेख अब्दुला के बारे में गलत बातें कह रहे हैं उन्हें पता होना चाहिये कि जब शेख अब्दुल्ला देश से बाहर रहे तो वे नहीं चाहते थे कि मैं देश से बाहर रहूं। वह सिद्धान्तों के लिये लड़े और आज अपने लोगों का भलीभांति नेतृत्व कर रहे हैं।

Shri S.A. Shamim (Srinagar) : Four years ago when I came to this House after being elected from Kashmir I had come with an appeal that justice must be done to Kashmir and that the only way to do justice to Kashmir was to do justice to Sheikh Abdullah. I am happy that what I have been demanding for the last four years has after all been done.

The very Members spoke on this occasion shows that this accord has been welcomed by the entire country. The problem of Kashmir was not just that it became a part of India because the Maharaja had the right to sign the Instrument of Accession. If it was so, there was no problem. Main thing about Kashmir problem was that when the country was divided in the name of religion, a muslim majority state decided that it wanted to go with the Hindu majority country. Sheikh Abdullah gave an ideological contact to our concept of secularism. This was the greatness of Sheikh Abdullah.

The basic point is as to who gave us the right to discuss this matter of Kashmir. It was none other than Sheikh Abdullah. Something is said about the bravery and sacrifice of Indian soldiers. It is all there but let those who said this remember that it was Sheikh Abdullah and his unarmed soldiers who first repulsed the invaders. It was they who shed their blood first. So let us not be ungreatful to one who has made this sacrifice and because of whom we are today talking about Kashmir and calling it an inseparable part of ours.

What happened in 1953 is a dreadful dream. The sooner we forget about it, the better it is. But the important thing is that since 1953 something has been pinching our conscience, We have no answer to the question as to why the man who has so bravery stood against Pakistan and who is the architect of Kashmir's accession to India is put behind the bars. This has been pinching our conscience. It is a matter of happiness that that chapter has now been closed. People are heaving a sigh of relief and are proved of what has been achieved.

The breast beating by Shri Bhutto can be understood because this Agreement has deprived him of his greatest weapon against India. The country should be happy about it. If anybody is unhapply, they are those who are either ignorant about this problem of Kashmir or those who have no clear thinking on the matter and who do not want justice to be done to the people and whose concept of 'Vishal Bharat' is that the Hindu majority can ride roughshod over the wishes of the people.

I do not agree with the Prime Minister when she says that Sheikh Abdullah may call himself 'Wazire Azam' and she can call him as Chief Minister. Sheikh Abdullah did not accept this interpretation and I also do not accept it. These matters though not so important in themselves, have a great psychological appeal for the masses in Kashmir. This minor issue should not be a source of irritation. Smt. Gandhi should made it clear that whatever the amendment to the state Constitution provides, would be accepted.

शेख अब्दुला का काम बहुत कठिन है। लोग सोचते हैं कि क्योंकि शेख सत्ता में हैं इसलिए काश्मीर की सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। लोगों को यह नहीं सोचना चाहिये कि पाकिस्तान का पक्ष-पोषण करने वाले लोग अब नहीं हैं। और पाकिस्तान काश्मीर में दिलचस्पी नहीं लेगा और हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। शेख का कार्य बहुत कठिन है और लोगों को उनका पूरा समर्थन करना चाहिये। मैं राष्ट्रीय हित में जनसंघ के लोगों से इस बारे में अपील करूंगा। हमने शेख अब्दुला को अपने राष्ट्रीय जीवन में मिलाने का तजुर्बा किया है और यह तजुर्बा सफल होना चाहिये। हमें सभी को अपनी दलगत बातों से ऊपर उठकर शेख अब्दुला का समर्थन करना चाहिये।

शेख आज लोकतंत्र के प्रतीक बन गये हैं। हमारे लोकतंत्र की यही विशेषता है कि गहरे मतभेद के बावजूद भी हमारे यहां बातचीत के लिये हमेशा गुंजाइश रहती है। जो बात शेख अब्दुला पर लागू होती है वही जयप्रकाश नारायण पर भी लागू होती है। शेख अब्दुला के साथ जो समझौता हुआ है उसका केवल एक ही अर्थ है और वह यह कि मतभेदों को दूर करने का एकमात्र तरीका वार्ता ही है।

जनसंघ के सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि उन्हें विश्वास करना सीखना चाहिये। यदि वे विश्वास करेंगे तो वे पायेंगे कि शेख अब्दुला साहेब एक बहुत बढ़िया आदमी हैं।

Shri Kushok Bakula (Ladakh): Sheikh Abdullah is undoubted a great leader who has made great sacrifices for the freedom of Kashmir. But unfortunately, he has not made much attention to Ladakh. The demand of the people of Ladakh is a little different. We have full confidence in our leader, Shrimati Indira Gandhi and we have left everything to her as to what should be done about our region.

The people of Ladakh have been demanding Central rule in Ladakh for the last one and a half year and we would continue to make this demand until the Prime Minister and Sheikh Saheb talk to us about this. Why do the people want Central rule ? It is because there has been practically no development in Ladakh. There is no pucca road even for two miles nor are there any pucca bridges. The Prime Minister visited that area and she knows the conditions there.

We had first demanded the Nefa patten for our region but the Prime Minister asked to wait and talk to Gajendragadkar Commission. The Commission made some very good suggestions but they were put in cold storage. That is why there is a demand for the Central Rule. The majority want this there. We want that Prime Minister should accept it or should talk with us.

At the present moment we neither praise Sheikh Abdullah nor oppose him. What we want is that our demand should be considered and our problems be solved. Only then we can praise Sheikh Abdullah.

Sheikh Abdullah has been saying in his speeches that his efforts would be to protect the interests of the muslims of Kashmir and make them happy, but he never talks about the people of Ladakh. We would like Sheikh Saheb to give a guarantee for the development of the people of Ladakh, of the Buddhists in Ladakh. All these years we have been given false promises.

It is said that a representative of Ladakh has been taken in the Ministry. But the person who has been made a Minister is not a representative of the people of Ladakh. We do not want to criticize him. We want to see how he works.

The people of Jammu and Kashmir are naturally happy because they have got the necessary funds for development. But that is not so for Ladakh. This is regrettable. The people of Ladakh have made sacrifices for safeguarding the integrity and honour of the country.

Mr. Bhutto may say whatever he likes about Jammu and Kashmir but he must understand that Jammu and Kashmir is a part of India and will ever remain so. The problems of the people of Ladakh and Jammu are our own problems and Mr. Bhutto has no business to poke his nose into these affairs.

श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् (थंजावूर) : मैं शेख अब्दुला और प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी के बीच हुए समझौते का स्वागत करता हूं। बहुत से सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया है जिसके अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 370 जरूरी है और जम्मू और काश्मीर राज्य को विशेष सुविधायें मिलनी चाहियें। कुछ सदस्यों ने आशंका व्यक्त की कि अन्य राज्य भी इसी प्रकार की विशेष सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। हमारे संविधान के निर्माताओं के सामने संविधान बनाते समय कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त थे। उन्होंने जम्मू और काश्मीर को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने ऐसा करते समय उस समय के राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखा था जब हमारा देश आजाद हुआ था। यदि अन्य राज्य भी केन्द्र से और अधिकारों की मांग करते हैं तो यह राजनीतिक दलों का प्रश्न नहीं बनना चाहिये।

हमारे देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल गई हैं। अब हमें एक नई संविधान सभा बनानी चाहिये जिसमें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हों और एक नया संविधान बनाना चाहिये जो नई पीढ़ी की इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करे। मुझे विश्वास है कि नई संविधान सभा देश के सभी भागों के हितों की रक्षा करेगी।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : जम्मू और काश्मीर का दर्जा और इस राज्य के हमारे देश में विलय का मामला कई वर्षों से बड़ा नाजुक मामला रहा है। अब यह गतिरोध समाप्त कर दिया गया है और एक नया कदम आगे बढ़ाया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारी प्रधान मंत्री और शेख अब्दुला के बीच समझौता हो गया है।

प्रधान मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस समझौते का उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करना है। खुशी की बात है कि इस समझौते के बाद जम्मू और काश्मीर में स्थिति सामान्य हो सकेगी।

काश्मीर संबंधी इस समझौते ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को सही सिद्ध कर दिया है जो शुरू से ही कह रही है कि जम्मू और काश्मीर का विलय पूर्ण है। विलय के समय दिये गये सभी आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये। ऐतिहासिक कारणों को ध्यान में रखकर जम्मू और काश्मीर के साथ विशेष व्यवहार करना ही होगा।

कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 को रखा जायेगा और उस पर अमल किया जायेगा। हमारा भी यही दृष्टिकोण रहा है और अब इसका ही समर्थन किया गया है।

यह देखना है कि संघर्ष किस हद तक समाप्त होगा। शेख अब्दुला का व्यक्तित्व यद्यपि महान है तथापि उनमें परस्पर विरोध रहा है। इस बात को ध्यान में रखना होगा और हमें सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना होगा। शेख अब्दुला ने आत्म-निर्णय की अपनी मांग को छोड़ दिया है। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि पाकिस्तान भी इस विवाद में शामिल है और वह 1950 की स्थिति पर नहीं लौटना चाहते। वह नये चुनावों और नई असेम्बली की मांग भी नहीं करते। वे अपनी पुरानी स्थिति पर दृढ़ नहीं हैं और आशा है कि उन्होंने ऐसा सत्ता प्राप्त करने के लिये नहीं किया और वह काश्मीर के सभी मामलों को हल करना चाहते हैं और संबंध सामान्य बनाना चाहते हैं।

शेख अब्दुला के साथ समझौते का मतलब यह नहीं है कि सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। जम्मू और काश्मीर राज्य में ही ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस समझौते को ठीक नहीं समझते। इसलिये हमें उन लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिये और उन्हें अपने साथ मिलाकर चलना चाहिये ताकि यह समझौता अधिक विस्तृत और पूर्ण हो सके।

मैं चाहता हूं कि उनके साथ भी बातचीत हो ताकि यह समझौता सदा के लिए स्थिर हो जाये। हम चाहते हैं कि जम्मू और काश्मीर राज्य के साथ हमेशा के लिए टकराव समाप्त हो। अतः मुझे आशा है कि प्रधान मंत्री तथा शेख अब्दुला इस दिशा में कार्य करेंगे और साथ में जम्मू और काश्मीर तथा शेष भारत के लोगों का भी विश्वास प्राप्त करेंगे। आशा ही नहीं एवं पूर्ण विश्वास भी है कि यह समझौता सफल सिद्ध होगा।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण) : इस समझौते पर हमें तीन कोणों से दृष्टिपात करना है। पहला संवैधानिक दृष्टि से, दूसरा काश्मीर की पृष्ठभूमि तथा तीसरे काश्मीर तथा भारत के बीच हुए समझौते की जटिलता। संवैधानिक दृष्टिकोण से बहुत कुछ कहा गया है।

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि शेख अब्दुला केवल स्वतन्त्रता सेनानी ही नहीं थे वरन् वे भारत विभाजन के विरोधी भी थे । शेख अब्दुला ने जम्मू और काश्मीर में नेतृत्व 1930 से आरम्भ कर दिया था । यद्यपि मुस्लिम लीग द्वि राष्ट्र के सिद्धान्त तथा इस्लामी राष्ट्र के सिद्धान्त में सफल हुई । किन्तु जम्मू और काश्मीर में नहीं क्योंकि वहां शेख अब्दुला का नेतृत्व था । शेख अब्दुला आरम्भ से ही धर्म-निरपेक्ष के समर्थक थे । शेख अब्दुला के नेतृत्व में काश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान से साथ मिलने से अस्वीकार कर दिया, इसलिए पाकिस्तान ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्यों बांध रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री एस० ए० कादर : हमें पृष्ठभूमि पर विचार करना ही होगा । वह आरम्भ से ही राष्ट्र-वादी था । शेख अब्दुला का केन्द्रीय सरकार के साथ टकराव चल रहा था तब भी वह अपनी राष्ट्र-वादिता से विचलित नहीं हुए । हर्ष की बात है कि वह आज काश्मीर को भारत का अंग स्वीकार करते हैं । विकास की बात की गई है । मैं समझता हूं कि यदि किसी राज्य में कोई क्षेत्र पिछड़ा हुआ है तो उस राज्य को विकसित नहीं कहा जा सकता । यह तो केवल आंशिक विकास हुआ । इसलिए यह आवश्यक है कि लद्दाख का भी समुचित विकास किया जाये । मुझे पूरी आशा है कि शेख अब्दुला जैसे व्यक्ति राज्य का सर्वांगीण विकास चाहेंगे ।

काश्मीर और भारत एक हैं और हमेशा एक बनकर रहेंगे । दोनों के बीच कभी भी किसी तरह का विवाद नहीं होगा ।

श्री मुखर्जी ने भारत को बहुराट्रवादी देश कहा है । मैं नहीं समझता कि बहुराष्ट्रवाद का आधार क्या होता है । भाषा या भौगोलिक आधार पर ऐसा हो सकता है किन्तु इन सब बातों के होते हुए भी भारत एक ही देश है ।

मुझे आशा है कि भारत तथा जम्मू और काश्मीर के सभी हितैषी इस समझौते का स्वागत करेंगे । यदि हम चाहते हैं कि शेख अब्दुला अपने कार्य में सफल हों तो हमें उनके हाथ मजबूत करने होंगे ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस समझौते का स्वागत करता हूं । यह यर्थाथ और व्यावहारिक दृष्टिकोण की विजय है, जो कि हमारे नेताओं ने राजनीति में अपनाए हैं । इस महान कार्य के लिए दोनों पक्षों में साहस, विश्वास और उदारता अपेक्षित थी । इसके अतिरिक्त इस समस्या का कोई और हल नहीं था ।

कुछ मित्र तथा विरोधी पक्ष के सदस्य यह शिकायत कर रहे हैं कि इस समझौते पर बातचीत करते समय उन्हें अंधेरे में रखा गया है और उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया है ।

हमें यह समझना होगा कि यह वार्ता बड़ी नाजुक थी और परस्पर निकटता के लिए कार्य करना था । अतः इस सम्बन्ध में बार-बार विरोधी पक्ष की सलाह लेना इस मामले के हित में नहीं था ।

प्रधान मंत्री ने अपने 24 फरवरी के वक्तव्य में शेख अब्दुला के बारे में कहा कि "मूल रूप में उनके राष्ट्रीय आदर्शों और उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया ।" उन्होंने इस बात की पुनः पुष्टि की है कि जम्मू और काश्मीर राज्य का भारत में अन्तिम रूप से विलय हो गया है और वह भारत का अभिन्न अंग बन चुका है । प्रधान मंत्री के इन विचारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है । लेकिन

प्रधान मंत्री की बातों से अधिक जिस चीज़ ने देश के करोड़ों लोगों के दिलों को हर्षित किया है, वह है शेख अब्दुला द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र । अपने पत्र में शेख अब्दुला ने लिखा है कि "मैं अपने राज्य के लोगों के हितार्थ, जिसे सदा मैंने अपना पवित्र विश्वास समझा है, एक कदम ही नहीं अपितु कई कदम नीचे उतरने के लिए तैयार हूं ।" शेख अब्दुला के नीचे उतरने और कई बातों को सफल बनाने के लिए समझौता करना उनका मुख्य उद्देश्य था । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शेख साहिब के लिए मुख्य मंत्री का पद तो उद्देश्य प्राप्ति का एक साधन था । उनका उद्देश्य तो यह है कि किसी तरह काश्मीर के लोगों का हित हो और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार किया ।

हर्ष की बात है कि इस समझौते से एक विवाद-ग्रस्त मामला हल हो गया है और अन्ततः यथापूर्व स्थिति की समस्या हल हो गई है । इस समझौते के फलस्वरूप अब काश्मीर में भी राजनीति की धारा सुचारु रूप से चलने लगी है । वहां के लोगों ने राहत महसूस की है क्योंकि शेख अब्दुला पुनः मंच पर आ गए हैं । उनके नेतृत्व के बिना आगे बढ़ना कठिन था और उनकी उपेक्षा करना भी मूर्खता थी । हमें आशा है कि इससे धर्म निरपेक्षता को बल मिलेगा और एकता के सूत्र मज़बूत होंगे । किन्तु वर्गों में यह गलतफहमी है कि इस समझौते से काश्मीर छोटे-छोटे भागों में विभाजित होगा । हो सकता है कि उनकी आशंकाएं सही हों । लेकिन निश्चय ही उनकी नियत बुरी है । किन्तु जब हम इसकी पृष्ठभूमि पर विचार करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इससे काश्मीर विभाजन को बल मिलेगा । वास्तविकता तो यह है कि राष्ट्र को मज़बूत बनाने की दिशा में यह एक सराहनीय कदम है ।

इस समझौते को हमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखना होगा । यदि पाकिस्तान और चीन इसे नहीं चाहते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी जम्मू और काश्मीर के लोगों के हित में रुचि है । इसके विपरीत वे प्रजातान्त्रिक गुण से ईर्ष्या करते हैं और भारत में हो रहे लोकतान्त्रिक, समाजवाद तथा धर्म निरपेक्षवाद के विकास को सहन नहीं कर पा रहे हैं ।

यदि हम कहेंगे कि काश्मीर के लोग हमसे पृथक हो जायेंगे या हम पर प्रभुत्व जमा लेंगे तो हम एक स्वतन्त्र राष्ट्रवादी कहलाने के अधिकारी नहीं हैं । इन सब शंकाओं से दूर होकर इस समझौते ने समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्र का मार्ग प्रशस्त किया है । शेख अब्दुला तो नई शक्ति के प्रतीक मात्र हैं । यदि शेख अब्दुला नहीं भी रहते तो निकट भविष्य में हमारी भावी पीढ़ी इन कदमों पर चलकर इस समझौते को सुदृढ़ बनायेगी और अपेक्षित ढंग से कार्य करेगी ।

अनुच्छेद 370 के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अन्तर्गत काश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है । किन्तु भारत के संविधान ने काश्मीर को विशेष दर्जा नहीं दिया है । वास्तव में अनुच्छेद 370 द्वारा संविधान में काश्मीर की विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है और जब तक काश्मीर में ये विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं, तब तक यह अनुच्छेद बना रहेगा । अतः संविधान में यह अनुच्छेद रहने दिया जाये और हमें ऐसे कार्य करने होंगे जिनसे ऐसा वातावरण तैयार होगा कि अनुच्छेद 370 को रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी ।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधि) : मैं इस समझौते का हार्दिक स्वागत करता हूं । मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि यह समझौता करके हमने एक बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है और भविष्य में इस तरह के किसी भी विवाद को सुलझाया जा सकेगा । अनुच्छेद 370 हमारे संविधान का

एक अभिन्न अंग रहा है । यह एक पवित्र आशा है । यह अनुच्छेद जो आज केवल काश्मीर पर ही लागू है, भविष्य में अन्य स्थानों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा ।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री, अंतरिक्ष मंत्री, योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : इस विषय पर हमने काफी लम्बी चर्चा की है । कई प्रकार की बातें उठायी गई हैं । मैंने पहले जो आशा व्यक्त की थी कि जनसंघ इस समझौते की भावना तथा लाभों को समझेगा, वह निराशा में बदल गई है । यह उनके दृष्टिकोण से सिद्ध हो जाता है ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Speaker in the Chair)

यह समझौता भारतीय संविधान के अन्तर्गत किया गया है और इस समझौते को करते हुए यह ध्यान में रखा गया है कि केन्द्र भी सुचारू रूप से कार्य करता रहे तथा राज्य का सामाजिक-आर्थिक विकास होता रहे ।

कुछ सदस्यों ने स्वायत्तता की बात की है । संविधान में सुदृढ़ केन्द्र की व्यवस्था है फिर भी यह राज्यों को कुछ स्वायत्तता देता है ।

महात्मा गांधी के बराबर हममें से कोई भी नहीं हो सकता किन्तु केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के मामले में हम व्यक्तिपरक नहीं हैं । यदि प्रत्येक राज्य केवल अपने ही हितों की सोचेगा तो फिर पिछड़े राज्यों की सहायता किस प्रकार की जायेगी । हमारे राज्य एक–दूसरे पर निर्भर हैं । एक को दूसरे से किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही है । केन्द्र उनको एक रस्सी से बांधकर उनमें अभिन्नता पैदा करता है ।

मैं विविधता तथा विकेन्द्रीकरण में विश्वास करती हूं । सभी को अपने संसाधन बढ़ाने चाहिएं । किन्तु समान रूप से एकता का होना भी आवश्यक है । जब तक केन्द्र मज़बूत नहीं है तब तक देश में एकता नहीं रह सकती । राज्य स्वायत्तता राष्ट्रीय शक्ति से पृथक है । यदि कोई राज्य स्वायत्तता के बहाने पर कोई ऐसी मांग करता है जो कि राष्ट्र के हित में नहीं है उसे देशवासी स्वीकार नहीं करेंगे ।

अनुच्छेद 370 के पक्ष में, विपक्ष में तथा स्पष्टीकरण के बारे में कई सदस्यों ने कहा है । संविधान में यह अनुच्छेद जम्मू और काश्मीर राज्य के ऐतिहासिक तथा राजनीतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर रखा गया है । इन तमाम वर्षों में यह सन्तोषजनक ढंग से कार्य करता रहा और इसी तरह इस राज्य में कई महत्वपूर्ण तथा आवश्यक उपबन्ध लागू किए गए । राज्य में कुछ और भी उपबन्ध लागू किए जा सकते हैं । (**व्यवधान**) मैंने कल जो एक वाक्य बोला था, श्री वाजपेयी ने उसके बारे में बहुत कहा है । विपक्ष की यही आदत है कि वह किसी भी मामले की भावना को समझे बिना किसी एक विशेष बात की रट लगाए फिरते हैं ।

श्री पीलू मोदी : विपक्ष क्यों ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : अनुच्छेद 370 की वर्तमान स्थिति के बारे में मेरा विचार उच्चतम न्यायालय द्वारा 1970 में दिए गए निर्णय पर आधारित है ।

राज्य संविधान सभा ने, जिसने अपना कार्य 1956 में पूरा किया था, अनुच्छेद 370 को हटाने या उसमें संशोधन करने का सुझाव नहीं दिया अतः यह हमारे संविधान का एक अंग बन गया और इस स्थिति की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने 1970 में कर दी थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : अब भारत में कोई संविधान सभा नहीं है तो क्या भारत के संविधान में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता ? यह कोई तर्क नहीं है।

श्रीमती इंदिरा गांधी: मैं यह नहीं कह रही हूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।

श्री पीलू मोदी : वह कह रही हैं कि इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं कहता हूं कि इसमें परिवर्तन हो सकता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह समझौता करके हमने समर्पण नहीं किया है और न ही इससे जम्मू और काश्मीर तथा केन्द्र के सम्बन्धों में कोई शिथिलता नहीं आयेगी। यह कहना सही नहीं है कि यह अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बनकर रह जायेगा।

कहा गया है कि इस समझौते में कुछ गुप्त खण्ड रखे गए हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देती हूं कि इस तरह की कोई बात नहीं है। वह राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, नागरिक आजादी और धार्मिक समानता के उस सन्देश की ओर आकर्षित हुए जिसका प्रचार हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा किया जा रहा था और उनके नेशनल कान्फ्रेंस दल का मार्गदर्शी सिद्धान्त यही सन्देश हो गया। यदि वह भारत के साथ रहे हैं और यदि उन्होंने काश्मीर की जनता को अपना भाग्य भारत के साथ जोड़ने के लिए सहमत किया है तो उसका कारण है हमारे दल की नीतियां। यदि हम जनसंघ की नीतियों पर चलते तो मेरा विचार है कि काश्मीर कभी भी भारत में न मिलता।

इसके बाद की घटनाओं की भी चर्चा की गई है। पिछली गलतफहमियों या गलतियों को दोहराने का कोई लाभ नहीं। कुछ आन्तरिक घटनाओं के कारण कुछ कार्यवाहियां करनी पड़ीं। जब हमें लगा कि दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन हुआ है तो हमने वार्ता आरम्भ करने में झिझक नहीं की। शेख अब्दुला द्वारा वार्ता का अवसर प्रदान किया गया। वह राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होने और अपने अनुभव तथा आदर्शों द्वारा हमारे देश की लोकतान्त्रिक और धर्मनिरपेक्ष तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिये तैयार हो गये।

शेख अब्दुल्ला ने स्पष्ट कहा है कि उनका सदा यह विश्वास रहा है कि काश्मीर की भलाई भारत के साथ रहने में ही है। उन्होंने पुनः यह बात दोहरायी है कि काश्मीर का भारत में विलय एक विवादास्पद विषय नहीं रहा है। प्लेबिसिट फ्रन्ट के इस निर्णय से कि वह अपने उद्देश्य और नाम में परिवर्तन कर रहा है, सभी सन्देह दूर हो जाने चाहियें। प्लेबिसिट फ्रन्ट के होने से देश को बाहर देश से शत्रुता रखने वालों को प्रोत्साहन मिलता था। अब यह बात समाप्त हो जानी चाहिये। इसका यह अर्थ यह नहीं कि अब शत्रुता नहीं रहेगी लेकिन हमें उसका सामना तो करना ही है। मुझे विश्वास है कि शेख साहिब ऐसा करने में सफल होंगे।

मुझे पूरी आशा है कि श्री शमीम भी इस कार्य में हमारी सहायता करेंगे। हमें शेख साहिब के दृष्टिकोण को पहचानना चाहिये। हमें भी उनकी कठिनाइयों को समझना चाहिये और उन्हें भी हमारी कठिनाइयों की जानकारी होनी चाहिये। इसी कारण हमें समझौता करने में विलम्ब हुआ ताकि समझौते के लिये वातावरण तैयार किया जा सके। हमें इसमें सफलता मिली है। हमें शेख साहिब

की हर सम्भव सहायता करनी चाहिये ताकि वे रास्ते में ग्राने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। वार्ता के दौरान मिर्जा ग्रफजल बेग द्वारा निभाई गई ठोस भूमिका के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। सइद मीर कासिम ने भी लाभदायक कार्य किया। उन्होंने बड़े हित के लिये छोटे हित को कुरबान कर दिया। श्री पार्थसारथी, श्री बालकृष्णन ग्रौर सरदार स्वर्ण सिंह सभी ने इस नाजुक कार्य में योगदान दिया है।

मुझे खुशी है कि मेरे माननीय मित्र श्री मावलंकर ने मृदुला साराभाई का उल्लेख किया है। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि उनकी बीमारी से पूर्व हमने इस मामले पर चर्चा की थी। उन्हें पूरी जानकारी थी। मुझे पता है कि उन्हें भी बहुत खुशी हुई थी।

जम्मू ग्रौर लद्दाख की घटनाग्रों से हमें बहुत चिन्ता हुई है। जम्मू में जो काम हुग्रा है उसके बारे में डा० कर्ण सिंह ने बताया है। ग्रभी कुशोक बाकुला ने कहा कि लद्दाख के लिये कुछ नहीं किया गया है। यह बात पूरी तरह ठीक नहीं। वहां विकास कार्य हुए हैं लेकिन यह सच है कि ये काम ग्रपर्याप्त हैं। मैंने इन क्षेत्रों के विकास में रुचि ली है ग्रौर मैं इन क्षेत्रों का नियमित रूप से दौरा भी करती रही हूं। शेख ग्रब्दुल्ला के साथ बातचीत के दौरान मैंने इन क्षेत्रों की कठिनाइयों की विशेष रूप से चर्चा की थी। हाल के महीनों में शेख साहिब ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था ग्रौर उन्होंने मुझे यह ग्राश्वासन दिया था कि वह सभी क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार करेंगे। उनके मंत्रिमण्डल के गठन के ढंग से प्रतीत होता है कि वह जम्मू ग्रौर लद्दाख के विषय में सोचते हैं।

जम्मू ग्रौर काश्मीर में विशेष स्थिति है। इसका कारण उसका संविधान ग्रथवा मुसलमानों का बहुमत होना नहीं है वल्कि यह इसलिये है कि उन्हें हम पर किये गये ग्राक्रमणों के दौरान बार-बार युद्ध-भूमि बनना पड़ा है। राज्य के तीनों ही क्षेत्रों को ग्राक्रमण का सर्वाधिक मुकाबला करना पड़ा है। मैं उन वीर गुज्जरों, बाकरवालों ग्रौर गड्डियों का उल्लेख करना चाहती हूं। इन समुदायों के लोगों को निधर्नता ग्रौर कठिनाइयों का सबसे ग्रधिक सामना करना पड़ा है। हमें शिक्षा तथा रोज़गार देकर उनकी पर्याप्त सहायता करनी चाहिये। मुझे ग्राशा है कि उनकी समस्याग्रों की ग्रोर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

मैं समझती हूं कि जिन बातों की चर्चा की गई है, उनमें से ग्रधिकांश का उत्तर दिया जा चुका है। देश के सामने जो समस्याएं हैं उनका बातचीत द्वारा हल निकाला जाना चाहये। लम्बे ग्ररसे से चली ग्रा रही समस्या को ग्रवश्य सुलझाया जाना चाहिये विशेषकर ऐसे समय जबकि हमारे ग्रन्दर योग्यता है ग्रौर हमें ग्रवसर प्राप्त हुग्रा है।

यद्यपि विपक्ष हम पर ग्रौर हमारे दल पर ग्राक्षेप करने का कोई ग्रवसर नहीं छोड़ता तथापि हमारा सदैव यह प्रयास रहा है कि देश के व्यापक हित में यह समस्या सुलझा ली जाये। यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि काश्मीर में हमारे दल के प्रदेश एकक ने ग्रथवा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे दल के निजी स्वार्थों का ध्यान नहीं किया है बल्कि हमारे देश की एकता को ग्रौर उसकी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया है।

हमें किसी चमत्कार की या तनाव एकदम तुरन्त समाप्त होने की ग्राशा नहीं करनी चाहिये। चाहते तो हम भी ऐसा ही हैं लेकिन जीवन में समस्याएं तो ग्राती ही हैं ग्रौर उनके समाधान करते समय ग्रौर कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। लेकिन समझ-बूझ ग्रौर विश्वास के साथ उपलब्धि हमें

चुनौतियों का सामना करने के लिये सुदृढ़ करती हैं। हमें इसी भावना से इस समझौते को देखना चाहिये। यहां कुछ सदस्यों को छोड़कर शेष सभी ने इसे पूर्ण समर्थन प्रदान किया है और उसमें निहित भावना का आदर किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूं। मैं शेख अब्दुल्ला के लिये भी शुभ कामनाएं व्यक्त करती हूं ताकि आगे आने वाले कार्यों से भी निवटा जा सके।

श्री पीलू मोदी : मैं श्री शमीम के प्रति भी शुभ कामनाएं व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ प्रतिस्थापन प्रस्ताव आये हैं। एक श्री वाजपेयी द्वारा पेश किया गया है। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति के लिये खेद व्यक्त किया है। इसमें सभा के अवमान की कोई बात नहीं। वह अपने दल की 'रैली' में भाग ले रहे हैं।

प्रश्न यह है कि :

"मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :--

"यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सभा में 24 फरवरी, 1975 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् संकल्प करती है कि जम्मू और काश्मीर को शेष भारत के साथ एकीकृत करने के लिये पिछली दो दशाब्दियों से भी अधिक समय से किये जा रहे कार्य को आगे बढ़ाया जाये और इस राज्य को भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष लाया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में Ayes	विपक्ष में Noes
8	191

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब श्री सुरेन्द्र महन्ती द्वारा पेश किया गया एक अन्य प्रतिस्थापन प्रस्ताव है।

श्री सुरेन्द्र महंती : मैं चाहता हूं कि इस पर मत-विभाजन हो।

(अध्यक्ष महोदय प्रतिस्थापन द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ)

The Substitution Motion was put & negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रतिस्थापन संख्या 1 लेंगे जिसे श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी ने पेश किया है। मैं इसे सभा में मत विभाजन के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"यह सभा प्रधान मंत्री द्वारा जम्मू और काश्मीर राज्य के सम्बन्ध में सभा में 24 फरवरी, 1975 को दिये गये वक्तव्य पर विचार करने के पश्चात् उसका अनुमोदन करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :
The Lok Sabha divided :

पक्ष में Ayes	विपक्ष में Noes
189	8

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

THE MOTION WAS ADOPTED.

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन संशोधन विधेयक

Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill

निर्माण और आवस तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, पर विचार किया जाये ।"

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी पीठासीन हुए :

Shri Dinesh Chander Goswami in the Chair.

मैं माननीय सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जब 1973 का यह संशोधी विधेयक लाया गया था तो मेरे पूर्ववर्ती ने कहा था कि शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा । यह विधेयक उसी का परिणाम है ।

1973 के संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित संशोधी विधेयक, अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत मार्च, 1970 से पूर्व अधिग्रहीत की गई सम्पत्ति के अधिग्रहण की अवधि 10 मार्च, 1975 को समाप्त हो जायेगी । अधिग्रहण की गई सम्पत्ति का उपयोग रक्षा कार्यों अथवा सार्वजनिक महत्व के कार्यों के लिये किया जा रहा है । यद्यपि इन सम्पत्तियों को लम्बे समय तक रखने का इरादा नहीं था परन्तु धन की कमी के कारण निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाना पड़ा है । रक्षा कार्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्माण किए गये हैं तथा सभा इस बात से सहमत होगी कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती उन्हें बनाये रखना वांछित है । जहां सम्भव हो सका है, हमने अधिग्रहण समाप्त कर दिया है और जहां आवश्यक समझा गया है हमने सम्पत्ति का अर्जन किया है । विधेयक में उल्लिखित समय तक अधिग्रहण का उपबन्ध रखने के अतिरिक्त और कोई विकल्प ही नहीं रह गया है ।

जहां तक प्रतिपूर्ति का सम्बन्ध है, सभा इस बात से सहमत होगी कि सम्पत्ति का किराया मूल्य बढ़ा है तथा इनमें से बहुत सी सम्पत्तियां लम्बे समय से अधिग्रहीत हैं । इनके मालिक अधिग्रहण समाप्त करने अथवा मुआवज़ा बढ़ाने के लिये कह रहे हैं । विधेयक में तदनुकूल पुनरीक्षण करने का उपबन्ध किया गया है तथा इससे कुछ सीमा तक सन्तोष होगा ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री नरुल हुडा (कछार) : स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अधिनियम, 1963 में पास किया गया था जिसके द्वारा सम्पत्ति का अर्जन 3 से 5 वर्ष के लिये किया गया था। अब फिर संशोधन द्वारा यह अवधि बढ़ाने का उपबन्ध किया जा रहा है। पिछले 35 वर्ष में इस अधिनियम का छः बार पुनरीक्षण किया गया है। हर बार समय बढ़ाया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम को भलीभांति कार्यान्वित किया गया है।

हमें यह भी पता है कि निहित स्वार्थ पनप रहे हैं और हमने देखा है कि जिन छोटे लोगों अथवा थोड़ी सम्पत्ति के मालिकों की सम्पत्ति का रक्षा मंत्रालय और उसके विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया है उन्हें हानि उठानी पड़ी है। उन्हें पर्याप्त मुआवज़ा नहीं दिया गया है या मुआवज़े की अदायगी में विलम्ब हुआ है। उदाहरण के लिये सिल्चर के पास कछार जिले में गरीब और मध्यम दर्जे के किसानों की कुछ सौ बीघा भूमि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा निर्माण कार्यों के लिये अधिग्रहीत की थी। उस क्षेत्र के लोगों को मुआवज़ा प्राप्त करने के लिये अनेक वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

रक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों में भेद किया जाना चाहिये। रक्षा कार्यों के लिये भूमि और इमारतें अधिग्रहीत की जायें और उचित मुआवज़ा दिया जाये। परन्तु लोक निर्माण विभाग और अन्य मंत्रालयों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं किया जा सकता।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कानून जनता के हित में लागू किये जायें न कि केवल रक्षा अथवा अन्य मंत्रालयों के हित के लिये।

Shri Md. Jamilusrahman (Kishangunj) : This piece of legislation is a good step and also necessary in view of the present crises through which the country was passing. It was quite appropriate that properties were requisitioned for the purposes of defence of the country and such properties must remain under the occupation of the Government . But the compensation should be calculated in a correct manner and the owners of such properties as are requisitioned should be paid compensation at the market price.

In my district Purnea, the compensation for the land that had been acquired for refugee camps had not been paid properly. Payment of compensation had not been made for the last 8 to 10 years. Government should pay attention to it. The Minister should give an assurance that adequate compensation would be paid to the owners of those properties that had been acquired or requisitioned. That compensation should be adequate and not arbitrary and it should be calculated at the market price.

In the end I would like to suggest to the Government of India that every State Government should be given directions to pay adequate compensation to those whose propreties have been acquired.

Shri R.R. Sharma (Banda) : Mr. Chairman, Sir, nothing is more valuable than the country. But no body can tolerate the misuse of property after it is acquisitioned or requisitioned. This legislation was originated in 1939 from DIR under which certain properties were acquired. The term of this act has been extended from time to time. It was in the year 1952 that a comprehensive Bill was brought for the purpose for the first time and the Government acquired certain properties under it. But there were two basic difficulties firstly, no effort had been made to rehabilitate those whose immovable properties have been taken over. It is, therefore, essential that a provision be included in this Bill to lay down that anyone whose property was acquired would be rehabilitated.

Secondly, a point was also made about the adequacy of compensation. In that connection it could be suggested that compensation should be computed on the basis of market value and a provision should be made to achieve that.

The third point that I want to put forward is this that there were certain cases in which properties were acquired in 1939 for the defence of India but such properties as are not required now, are lying unused and no action has been taken about their disposal due to red tapism of bureaucracy. Such properties should be returned to their owners immediately and strict action should be taken against the erring officers. Therefore, this Bill should be amended in view of the aforesaid suggestions.

I request you to pay attention to my above suggestions.

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चण्डीगढ़) : इस बात में दो राय नहीं हो सकतीं कि इस प्रकार का विधान अत्यन्त आवश्यक है । यह बात सभी जानते हैं कि रक्षा सेवाओं तथा अन्य आवश्यक प्रयोजनों के लिए सम्पत्तियों का अधिग्रहण तथा अर्जन बहुत ज़रूरी है । मेरी आपत्ति कुछ स्थानों पर इसकी क्रियान्विति के ढंग के बारे में है । सरकार को यह देखना चाहिये कि इसकी क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो और इस सभा द्वारा सरकार को प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग न हो और जनता को कोई हानि न हो । लोगों की शिकायत है कि कई वर्ष पूर्व उनकी सम्पत्ति का अर्जन किया गया था परन्तु वह अभी तक ऐसी पड़ी है । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये । हमें यह देखना चाहिये कि हमारे अधिकारीगण इन शक्तियों का दुरुपयोग न करें ।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : लोक प्रयोजन के सम्पत्तियों के अर्जन की समूची समस्या इतनी अधिक हो गई है कि इससे न केवल लोक कल्याण ही होता है अपितु यह जनता की नाराजगी तथा आक्रोश को भी जन्म देती है । नाराजगी तथा आक्रोश इसलिए होता है क्योंकि अर्जन की आवश्यकता नहीं होती फिर भी अर्जन कर लिया जाता है और क्योंकि इन सम्पत्तियों के मालिकों का परिवार काफी बड़ा होता है और उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें उन सम्पत्तियों की ज़रूरत होती है परन्तु वे ऐसा नहीं कर पाते है । इस नाराजगी तथा आक्रोश का कारण यह भी है कि जब सरकार इन सम्पत्तियों का अर्जन करती है तो जो धन उन्हें दिया जाता है वह पर्याप्त नहीं होता है ।

श्री रघुरामैया ने कहा है कि सरकार को सुरक्षा अथवा अन्य कर्मचारियों के लिए दूसरे लोगों के घरों का अधिग्रहण करना पड़ता है । मेरा कहना यह नहीं है कि अधिग्रहण ज़रूरी नहीं है । कुछ क्षेत्रों में अधिग्रहण ज़रूरी है और हमें इसके लिए आगामी कार्यवाही करनी चाहिये । परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना अथवा चार्ट है जिससे यह पता लग सके कि किस-किस सम्पत्ति का अधिग्रहण किया गया और सम्पत्ति का अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं । उक्त योजना के आधार पर सरकार अधिग्रहण अथवा वापस कर सकती है ।

जब सरकार किसी सम्पत्ति का अधिग्रहण करती है अथवा अधिग्रहण की अवधि बढ़ाती है तो क्या मुआवज़े के न्याय-संगत भुगतान पर भी विचार किया जाता है ? मैं यह नहीं कहता कि मुआवज़े की पूरी राशि दी जाये । लेकिन समानता और न्याय से काम लिया जाना चाहिय और मुआवजे की राशि इतनी कम नहीं होनी चाहिये जिससे किसी व्यक्ति के लिये यह सोचना कठिन हो जाये कि उसके पास सम्पत्ति थी लेकिन अब कुछ नहीं है ।

गत मास अहमदाबाद में टेलीफोन विभाग के कुछ कर्मचारियों के सामने एक कठिनाई आई । अचानक ही उन्हें 28 फरवरी, 1975 को अपने मकान को खाली करने के लिए कहा गया क्योंकि

पुन: अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही थी । जब तक सरकार द्वारा उन्हें अन्य मकान नहीं दिया जाता तब तक वे कहां जाते । अत: सरकार को अधिग्रहण कार्य जारी रखना चाहिये । आशा है कि अहमदाबाद में ऐसा किया गया होगा । हम सभी चाहते हैं कि हमारी रक्षा व्यवस्था मजबूत हो । देश में 70 केन्टोनमेन्ट क्षेत्र हैं जिनमें 30 लाख से अधिक लोग रहते हैं और उनमें से अधिकांश के पास उन क्षेत्रों में मकान, जमीन तथा अन्य अचल सम्पत्ति भी है । यदि लोक हित के नाम पर उनकी सम्पत्ति का अपर्याप्त मुआवजे के साथ अधिग्रहण किया गया तो इससे लोक हित तथा सुरक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

यदि सरकार इस शक्ति को 10 वर्षों तक अपने पास रखना चाहती है और यदि वह सम्पत्ति को अपने पास रखना चाहती है तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिस सम्पत्ति की आवश्यकता नहीं, उसे मूल मालिक को वापस किया जाना चाहिये । सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि मुआवजे की राशि का भुगतान आज की मार्किट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाये ।

Shri M.C. Daga (Pali) : The Minister should tell us the amount which the Government have to pay every year as rent for the requistioned properties and aslo the amount which the Government received as rent. How much property is with the Government and how much Government have released .

The Government are extending the period of requisition by five years . The Minister should tell us by how much the compensation for the requistioned properties be increased. The original owners of requisitioned houses have a grievance that they will not get back their houses now which they otherwise will get back. Will the Government extend the period of requisition even beyond 1980.

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : It is natural to acquire immoveable property for public purposes, but the owner should be given compensation at the market rate.

Sometimes agricultural land belonging to small farmers is acquired for defence purposes. These poor farmers are rendered jobless because they do not have alternative sources of livelihood. There farmers can get some relief if the Government help them in starting some industry or give preference to their childern in the matter of providing employment. Land of small farmers was requisitioned for defence project, Bhandara. The land was taken ten years ago but full compensation was not paid to most of the people, whose land was acquired. Those people had neither been given help to start some industry nor their childern had been given employment. Their problems should be given due consideration.

Big farmers because of their access with the high officers or leaders save their land from acquisition for public purposes but small farmrs, who have no say with the officers, suffer. Small people should be given protection because they cannot bear the loss of their property. Big people even if they suffer some loss can withstand it. The approach of the Government should see that small people are given all protection.

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) ! हमें सम्पत्ति का अधिग्रहण करने में प्रसन्नता नहीं होती । हमें राष्ट्र की जरूरतों के मुताबिक मजबूरी से अधिग्रहण करना पड़ता है । कई मंत्रालय/विभाग सम्पत्तियों का अधिग्रहण करते हैं । रक्षा मंत्रालय को छोड़कर, डाक तार विभाग, दिल्ली प्रशासन, विदेश मंत्रालय, आणविक ऊर्जा विभाग, रेलवे, गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग तथा अन्य कई विभागों द्वारा सम्पत्ति अधिग्रहण का कार्य किया जाता है ।

ऐसा नहीं है कि हम सम्पत्ति का अधिग्रहण मोचन नहीं करते । जब कभी सम्पत्ति हमारी आवश्यकताओं से अधिक हुई अर्थात् फालतू हुई तो हमने उस सम्पत्ति का अधिग्रहण मोचन किया है । रक्षा मंत्रालय ने 5669.47 एकड़ भूमि का अधिग्रहण मोचन किया है । निर्माण और आवास मंत्रालय

ने 92 भवनों और गृह मंत्रालय ने 10 भवनों का अधिग्रहण मोचन किया है। मुआवज़े का निर्णय मुख्य अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत किया जाता है। अब संशोधी अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि इसका पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। मुआवज़े के आधार में परिवर्तन नहीं किया गया। पंचवर्षीय पुनरीक्षण के अधीन मुआवज़े की राशि निर्धारित करने में केवल अधिग्रहण की मूल तिथि ही सब कुछ नहीं। संशोधी अधिनियम में इसका सम्बन्ध उस तिथि से भी है जिसके अनुसार उपधारा 2-क के अन्तर्गत पुनरीक्षण किया जाना है।

यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में सम्पत्ति का अधिग्रहण रक्षा उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया अपितु सम्पत्ति के मालिकों को तंग करने के लिए उनकी सम्पत्ति अधिग्रहण अधीन रखी हुई है। यदि कोई ऐसा मामला मेरे ध्यान में लाया गया तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा। सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए प्रति वर्ष दिये जाने वाले आवर्ती मुआवज़े की राशि 50 लाख रुपये के लगभग है।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS .ADOPTED

सभापति महोदय: अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। कोई भी संशोधन नहीं है। अतः मैं सभी खण्ड, अधिनियम, सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधयक का पूरा नाम विधयक में जोड़े गये?

श्री के० रघुरामैया: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पास किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

THE MOTION WAS ADOPTED

सभापति महोदय : मेरे विचार में सभा का मत है कि हम कल 2 घन्टे और बैठें।

सभा कल मध्याह्न पूर्व 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 5 मार्च, 1975/14 फाल्गुन, 1896 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थागित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Wednesday, March 5, 1975/ Phalguna 14, 1896 (Saka).

MGIPRRND—12 LSS/75——Sec. VI—27-6-1975—200.